रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 1, 2006/श्रावण 10, 1928
No. 182] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 1, 2006/SRAVANA 10, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2006

अंतिम जांच परिणाम

विषय : सऊदी अरब, ईरान, जापान, यू एस ए तथा फ्रांस के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित कास्टिक सोडा के आयात से संबंधित पाटनरोधी (निर्णायक समीक्षा) जांच ।

सं.15/29/2004-डीजीएडी : 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे (एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) एवं सीमा शुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, मूल्यांकन, शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 (जिसे एतद्पश्चात नियमावली कहा गया है, को ध्यान में रखते हुए);

क. **मामले की पृष्टभूमि**

(i) जबकि उपर्युक्त नियमावली को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट, प्राधिकारी द्वारा यूएसए, जापान, ईरान, सऊदी अरब तथा फ्रांस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कॉस्टिक सोडा के कथित पाटन के बारे में दिनांक 26.5.2000 को पाटनरोधी जांच शुरू की गई और प्राधिकारी की दिनांक 16.11.2000 को प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 26.12.2000 की सीमाशुल्क अधिसूचना द्वारा यूएसए, जापान, ईरान सऊदी अरब तथा फ्रांस से आयातित कॉस्टिक सोडा पर अन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम

दिनांक 14.05.2001 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किए गए थे और राजस्व विभाग द्वारा सम्बद्ध देशों से आयातित सम्बद्ध वस्तुओं पर दिनांक 26.6.2001 को अधिसूचना द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

(ii) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 9 क (5) की शर्तों के अनुसरण में घरेलू उद्योग द्वारा 2005 में सप्रमाण प्रस्तुत की गई याचिका के आधार पर, जिसमें शुल्क को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने का अनुरोध किया गया था, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उक्त उपाय के संबंध में दिनांक 2 मई, 2005 की अधिसूचना द्वारा यह जांच करने के लिए कि क्या शुल्क समाप्त करने से पाटन एवं/अथवा क्षति जारी रहेगी अथवा पुन: होगी, निर्णायक समीक्षा प्रक्रिया शुरू की गई। जांच दिनांक 1 अप्रैल, 2003 से शुरू करके 30 सितम्बर 2004 (पीओआई) तक की अवधि तक की गयी। तथापि क्षति की जांच वर्ष 2000-01 से 2003 सितम्बर, 04 की अवधि के लिए की गई।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

1. जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है:

i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) को उपर्युक्त नियमावली के तहत अल्कली मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा प्रस्तुत एक याचिका प्राप्त हुई, जिसमें यूएसए, जापान, ईरान फ्रांस तथा सऊदी अरब (जिन्हें एतद्पश्चात सम्बद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कॉस्टिक सोडा (जिसे एतद्पश्चात सम्बद्ध वस्तु कहा गया है) के आयात के बारे में पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा, इसे जारी रखने तथा बढ़ाने के लिए निर्णायक समीक्षा शुरू करने का अनुरोध किया गया था।

ii) याचिकाकर्ता द्वारा प्रदत्त जानकारी से प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त औचित्य प्रतीत होता था कि पहले लगाए गए, पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की आवश्यकता है। इससे संतुष्ट होने पर यूएसए, जापान, ईरान, सऊदी अरब तथा फ्रांस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तुओं, जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की अनुसूची के अध्याय 28 के तहत वर्गीकृत हैं, के आयात के संबंध में पाटनरोधी निर्याणक जांच समीक्षा शुरू करने के संबंध में प्राधिकारी द्वारा दिनांक 02/05/2005 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।

iii) प्राधिकारी द्वारा नियम 6(2) के अनुसरण में सार्वजनिक सूचना की एक प्रति सम्बद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों एवं/अथवा निर्यातकों को भिजवाई गई और उन्हें पत्र की तारीख से चालीस दिन के भीतर अपेक्षित जानकारी देने तथा अपने विचार लिखित में अवगत कराने का अवसर प्रदान किया गया।

iv) प्राधिकारी द्वारा नियम 6 (2) अनुसरण में सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भारत में सम्बद्ध वस्तुओं के ज्ञात आयातकों और उपभोक्ताओं को भिजवाई गई और उन्हें पत्र की तारीख से चालीस दिन के भीतर संबंधित जानकारी देने और अपने विचार लिखित में अवगत कराने की सलाह दी गई।

v) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) तथा वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से जांच अवधि तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयात का ब्यौरा एकत्र करने का अनुरोध किया गया।

vi) उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के तहत प्राधिकारी द्वारा सम्बद्ध वस्तुओं के ज्ञात उत्पादकों एवं/अथवा निर्यातकों तथा दूतावासों/भूभागों को याचिका के गैर गोपनीय पाठ की प्रतियां भिजवाई गईं। गैर गोपनीय याचिका की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षों को भी उनके अनुरोध पर उपलब्ध कराई गई।

vii) प्राधिकारी द्वारा नियम 6(4) के अनुसरण में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों सहित सम्बद्ध देशों की सरकारों से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए उन्हें एक-एक प्रश्नावली भिजवाई गई। निम्नलिखित पक्षों द्वारा प्रश्नावली का उत्तर भेजा गया:-

(क) मेसर्स सऊदी बेसिक इण्डस्टीज कार्पोरेशन (एसएबीआईसी)।
(ख) मेसर्स सऊदी पेट्रोकेमिकल्स कम्पनी (एसएडीएएफ) सऊदी अरब।
(ग) मेसर्स शेल ट्रेडिंग (एम.ई.) प्रा.लि. (एसटीएमई) दुबई, यूएई।
(घ) मेसर्स टाइकॉन इंटरनेशनल लि. (ट्राइकॉन), ह्यूस्टन, यूएसए
(ङ) मेसर्स एमगल्फ पॉलीमर्स एण्ड केमिकल्स (एमगल्फ),दुबई, यूएई ।

(viii) नियम 6(4) के अनुसरण में प्रश्नावली सम्बद्ध वस्तुओं के आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा एसोसिएशनों को भी सूचनार्थ भिजवाई गई। निम्नलिखित पक्षों ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए :-

(क) मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि. (नेल्को)
(ख) मेसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड (एचएलएल)
(ग) इण्डियन एग्रो एण्ड रिसाइकल्ड पेपर मिल्स एसोसिएशन

प्राधिकारी द्वारा विचाराधीन उत्पाद के औद्योगिक प्रयोक्ताओं तथा ज्ञात प्रतिनिधि उपभोक्ता संगठनों को पाटन, क्षति तथा कारणात्मकता की दृष्टि से जांच के संबंध में सुसंगत जानकारी उपलब्ध कराने का अवसर दिया गया।

(ix) हितबद्ध पक्षों को अपेक्षित जानकारी मौखिक तौर पर प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए प्राधिकारी ने दिनांक 21 दिसंबर, 2005 को एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया, जिसमें याचिकाकर्ता तथा अन्य हितबद्ध पक्ष उपस्थित थे। सार्वजनिक सुनवाई में उपस्थित पक्षों का मौखिक रूप से प्रस्तुत जानकारी लिखित रूप में प्रस्तुत करने की सलाह दी गई। हितबद्ध पक्षों को अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा मौखिक रूप से व्यक्त विचारों/ सूचना के प्रतिवादिक तर्क प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई। विभिन्न हितबद्ध पक्षों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतिकरण पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है।

(x) जांच के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों तथा प्रदत्त जानकारी/साक्ष्य पर, जिस सीमा तक यह साक्ष्य से समर्थित है और वर्तमान जांच के सुसंगत समझी गई है, वर्तमान जांच परिणामों में प्राधिकारी ने समुचित रूप से विचार किया है ।

(xi) प्राधिकारी ने जांच के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत जानकारी, जिस पर यह जांच रिपोर्ट आधारित है, की यथार्थता से स्वयं को संतुष्ट किया है। इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी द्वारा, जहां तक सुसंगत आवश्यक समझा गया, विदेशी उत्पादकों घरेलू उद्योग तथा प्रयोक्ताओं का नाके पर सत्यापन किया गया। घरेलू उद्योग से क्षति के बारे में अतिरिक्त। पूरक ब्यौरा मंगाया गया, जो प्राप्त हो गया।

(xii) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उन कंपनियों, जिन का सत्यापन नहीं किया गया, सहित घरेलू उद्योग के सभी संघटकों से लागत जानकारी का प्रमाणीकरण भिजवाने का अनुरोध किया गया, जो प्राप्त हो गया।

(xiii) उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसरण में इस जांच रिपोर्ट में जिन अनिवार्य तथ्यों/आधारों पर विचार किया गया, उनसे ज्ञात हितबद्ध पक्षों को अवगत कराया गया और इन पर प्राप्त टिप्पणियों पर भी अंतिम जांच रिपोर्ट में विचार किया जाएगा। उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसरण में इस जांच रिपोर्ट में जिन अनिवार्य तथ्यों/आधारों पर विचार किया गया, उनसे ज्ञात हितबद्ध पक्षों को दिनांक 12/7/2006 को अवगत कराया गया और उनसे प्राप्त टिप्पणियों पर भी विधिवत विचार किया गया है।

(xiv) नियम 6(7) के अनुसरण में विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का गैर गोपनीय पाठ, प्राधिकारी द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाइल के माध्यम से हितबद्ध पक्षों को निरीक्षणार्थ उपलब्ध कराया गया।

(xv) सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) तथा याचिकाकर्ता द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर उत्पादन लागत तथा भारत में सम्बद्ध वस्तुओं को बनाने तथा बेचने की अनुकूलतम लागत की गणना हेतु लागत की गई ताकि यह अभिनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

(xvi) इस अधिसूचना में **** एक हितबद्ध पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी प्रदर्शित करता है, जिसे नियमावली के तहत गुणों के आधार पर प्राधिकारी द्वारा गोपनीय माना गया।

(xvii) जांच 1 अप्रैल, 2003 से शुरू करके 30 सितंबर 2004 (18 माह) की अवधि तक की गयी, जिसे जांच अवधि (पीओआई) कहा गया है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में अप्रैल, 2000 - मार्च, 2001, अप्रैल, 2001- मार्च, 2002 तथा अप्रैल, 2002- मार्च, 2003 तथा जांच अवधि शामिल की गई है।

(xviii) जहां पर भी किसी हितबद्ध पक्ष द्वारा वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई अथवा अन्यथा प्रदान नहीं की गई अथवा जांच में उल्लेखनीय बाधा डाली गई, प्राधिकारी द्वारा जांच परिणाम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं।

(xix) विभिन्न हिबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त जानकारी की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के आधार पर की गई । संतुष्ट होने पर जहां जरूरी था प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता बरती गई और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया तथा अन्य हितबद्ध पक्षों को इसे उद्घाटित नहीं किया गया।

ग.) <u>विचाराधी उत्पाद एवं समान वस्तु</u>

ग. 1. <u>हितबद्ध पक्षों के विचार</u>

2. घरेलू उद्योग का कहना है कि वर्तमान समीक्षा जांच निर्णायक समीक्षा जांच है। मूल जांच तथा वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में शामिल उत्पाद सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, जिसे सामान्यत: कास्टिक सोडा कहा जाता है। मूल जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु से संबंधित विषयों की विस्तृत जांच की गई थी, जिनकी पुष्टि की जानी अपेक्षित है। इस निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद वहीं होना चाहिए जो मूल जांच में था, क्योंकि वर्तमान जांच केवल समीक्षा जांच है। यह भी तर्क दिया गया है कि कॉस्टिक सोडा लाई तथा इसका ठोस रूप समान वस्तु ही है, और अन्तर केवल इनके भौतिक रूप तथा सान्द्रण में है। प्राधिकारी ने हाल ही में यह अभिमत व्यक्त किया है कि समीक्षा मामले में विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के दायरे की समीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मामला होते हुए भारतीय उत्पादकों ने कहा है कि विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के दायरे की समीक्षा इस समय करना अपेक्षित नहीं है । संबद्ध वस्तु का आयात लाई तथा ठोस दोनों रूपों में किया जाता है परन्तु लाई कॉस्टिक सोडा का आयात सामान्यत: 500 मी. टन के शिपमेंट आकार या इसके गुणकों में किया जाता है। भारतीय उत्पादकों का कहना है कि लाई तथा ठोस कास्टिक सोडा संबंधित लागत तथा कीमतों के स्तर पर भिन्न होते हैं। चूंकि जांच अवधि के दौरानकास्टिक सोडा को दोनों रूपों में आयात किया गया है, निर्दिष्ट प्राधिकारी सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन का निर्धारण तदनुसार कर सकते हैं।

ग. 2 <u>आयातकों, प्रयोक्ताओं, निर्यातकों एवं अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार</u>:

3. आयातकों, निर्यातकों, प्रयोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षों ने निम्नलिखित बातें कहीं हैं :-

(क) मेसर्स नाल्को ने कहा है कि कास्टिक सोडा लाई तथा ठोस/फ्लेक भिन्न-भिन्न उत्पाद हैं तथा इन्हें वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ समान उत्पाद नहीं कहा जा सकता। उनका कहना है कि लाई रूप में कास्टिक सोडा का उपयोग एल्यूमिना के उत्पादन हेतु

एल्यूमिनियम उद्योग द्वारा विश्वभर में किया जाता है, और इन उद्योगों में सॉलिड/फलैक्स वाणिज्यिक रूप से कास्टिक सोडा के लिए प्रतिस्थापनीय नहीं है। लाई तथा ठोस में अन्तर होंता है क्योंकि लाई में कास्टिक सोडा का सान्द्रण ठोस् की अपेक्षा कम होता है। यह कहा गया है कि ठोस/फलैक्स तथा लाई कास्टिक सोडा को समान उत्पाद नहीं माना जा सकता, अत: कास्टिक सोडा के लाई रूप को विचाराधीन उत्पाद माना जाए क्योंकि बाजार मूल्य, प्रहस्तन, भण्डारण तथा परिवहन आदि के साथ-साथ उनका अंतिम उपयोग भी भिन्न है।

(ख) नाल्को ने यह भी तर्क दिया है कि वे निविदा के माध्यम से केवल लाई कास्टिक सोडा की खरीद करते हैं। इस जांच के तहत सभी प्रकार का कास्टिक सोडा समान वस्तु नहीं है। "समान उत्पाद" नहीं है । समान उत्पाद तथा क्षति विश्लेषण की दृष्टि से कास्टिक सोडा के ठोस रूप पर विचार करने से निम्नलिखित कारणों से विकृति उत्पन्न हो जाएगी :-

- तरल रूप में कास्टिक सोडा का सान्द्रण ठोस रूप से कम होता है, परिणामत: अन्तिम उपयोग भी भिन्न होते हैं।
- जैसा कि क्लोर अल्कली रिपोर्ट से देखा जा सकता है, दोनों उत्पादों के बाजार अनुभव तथा विपणन पैटर्न में भिन्नता है।
- ठोस रूप में कास्टिक सोडा की खरीद से लागत बढ़ जाएगी।
- चूंकि ठोस कास्टिक सोडा की उत्पादन लागत तरल कास्टिक सोडा की उत्पादन लागत से अधिक है अत: याचिकाकर्ता ने कथित पाटन मार्जिन तथा क्षति को अत्यधिक बताने की इच्छा के वशीभूत होकर कास्टिक सोडा के ठोस रूप को शामिल किया है।
- भारत में कास्टिक सोडा का आयात नाल्को द्वारा आयातित कास्टिक सोडा सहित तरल कास्टिक सोडा के 85% से अधिक है।

(ग) द एग्रो एण्ड रिसाइकल्ड पेपर मिल्स एसोसिएशन ने भी तर्क दिया है कि नियमावली के तहत ठोस/फलैक्स कास्टिक सोडा तथा कास्टिक सोडा लाई समान वस्तुएं नहीं हैं।

ग.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

4. वर्तमान जांच विचाराधीन उत्पाद सम्बद्ध देशों के मूल का अथवा वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रॉक्साइड (रासायनिक नामकरण एनएओएच) है, जिसे सामान्यत: कास्टिक सोडा (वर्तमान जांच में कास्टिक सोडा कहा गया है) कहा जाता है। विचाराधीन उत्पाद वही है, जिस पर मूल जांच में विचार किया गया था। कास्टिक सोडा एक अकार्बनिक, साबुन जैसा, अत्यंत क्षारीय तथा गंधहीन रसायन है, जिसका अनुप्रयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे लुगदी तथा कागज, अखबारी कागज, विस्कोस यार्न, स्टेपल रेशे, एल्यूमिनियम, कॉटन, वस्त्रों, नहाने और धुलाई के साबुन, डिटर्जेंट, रंजकों, औषधियों व भेषजों के विनिर्माण, पेट्रोलियम शोधन आदि में होता है। कास्टिक सोडा का उत्पादन तीन प्रौद्योगिकीय विधियों अर्थात मरक्यूरी सैल विधि, डायाफ्राम विधि तथा मेम्ब्रेन विधि से दो रूपों अर्थात लाई तथा ठोस रूप में किया जाता है। इन विधियों में अंतर के कारण उत्पाद की विभिन्न विशेषताओं में कोई अंतर नहीं आता।

कोई विशिष्ट प्रौद्योगिकी अपनाना उत्पादक की सुविधा पर निर्भर होता है। कास्टिक सोडा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के शीर्ष 2815.11 तथा 2815.12 के तहत वर्गीकृत है। आई टी सी के आठ अंकीय वर्गीकरण के अनुसार यह उत्पाद सीमाशुल्क शीर्ष 2815.1110, 2815.1120 तथा 2815.1200 के तहत वर्गीकृत है। तथापि यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी तरह बंधनकारी नहीं है।

5. यह देखा गया है कि कास्टिक सोडा का उत्पादन व बिक्री प्रमखत: लाई के रूप में की जाती है। चूंकि यह अत्यधिक मात्रा में प्रयुक्त होता है, इसके कम सान्द्रण के कारण अधिक परिवहन लागत होने पर भी उपभोक्ता को इसकी प्रभावी लागत कम आती है, जबकि इसे फ्लेक्स में परिवर्तित कर देने से प्रयोक्ता को अतिरिक्त लागत आती है। उन कार्यों तथा प्रयोजनों के लिए, जहां कास्टिक सोडा का ठोस रूप प्रयोग किया जाता है, इसका लाई रूप भी प्रयुक्त हो सकता है। कास्टिक सोडा दो रूपों में होने के कारण यह भिन्न उत्पाद नहीं हो जाता, अपितु उत्पाद कास्टिक सोडा ही रहता है और उसकी विशेषताएं भी वही रहती हैं। तथापि कीमतों में अंतर के मद्देनजर, सामान्य मूल्य की निर्यात कीमत से और आयात के पहुंच मूल्य की गैर क्षति कीमत से तुलना के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने इसके भौतिक रूप के अंतर पर विचार करके दोनों रूपों की अलग-अलग तुलना की है। लाई तथा ठोस रूप के लिए पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु सामान्य मूल्यों और गैर क्षति कीमतों का अलग-अलग निर्धारण किया गया है।

6. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं को सम्बद्ध देशों में उत्पादित एवं/अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं के समान वस्तु माना जा सकता है, प्राधिकारी ने विभिन्न सुसंगत मानदण्डों यथा भौतिक तथा तकनीकी विशेषताओं, उत्पादन प्रौद्योगिकी, विनिर्माण प्रक्रिया, कार्य एवं उपयोग, मूल्य तंत्र, ग्राहकों की पसंद आदि पर विचार किया। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं संबद्ध देशों द्वारा उत्पादित एवं/अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं के समान वस्तु हैं। दोनों तकनीकी तथा वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय है और उपभोक्ता घरेलू तौर पर उत्पादित तथा आयातित वस्तुओं का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं और कर सकते हैं। विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण तथा संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तुओं एवं घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं की अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं, प्रतिस्थापनीयता तथा परस्पर परिवर्तनशीलता को देखते हुए प्राधिकारी का अभिमत है कि उपर्युक्त नियमावली के नियम 2 (घ) के अनुसार संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तुएं और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं समान वस्तु हैं। यह भी नोट किया गया है कि समान वस्तु के बारे में प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण को माननीय सीइएसटीएटी ने बरकरार रखा है और वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षों ने इस संबंध में कोई नये तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं।

घ <u>घरेलू उद्योग</u>

घ.) <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

7. घरेलू उद्योग ने कहा है कि घरेलू उद्योग की ओर से समस्त प्रस्तुतिकरण अल्कली मेन्यूफेक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (एएमएआई) द्वारा किया गया है। भारत में कास्टिक सोडा के सभी उत्पादक इस एसोसिएशन के सदस्य हैं और भारत में संबद्ध

वस्तुओं के अनेक निर्माताओं ने लागत संबंधी सूचना सहित क्षति से संबंधित जानकारी मुहैया कराई है। इस तर्क का कोई कानूनी अथवा तथ्यात्मक आधार नहीं है कि मूल जांच तथा उसके बाद होने वाली सभी जांचों में घरेलू उद्योग की संरचना वही रहे। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक जांच में घरेलू उद्योग का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है और घरेलू उद्योग का यह दायरा सदैव परिवर्तित होता रहता है।

घ.2 <u>निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार</u>

क. मेसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि. ने तर्क दिया है कि मूल जांच की तुलना में घरेलू उद्योग की संरचना में निर्णायक जांच में आमूल परिवर्तन हो गया है। उनका यह भी तर्क है कि सहभागी कंपनियां घरेलू उद्योग के रूप में पेश हो रहीं है, जबकि उनमें से अधिकांश, क्षति संबंधी सूचना प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं।

ख. मेसर्स शैल ट्रेडिंग (एमई) प्रा. लि. (एसटीएमई) ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं का समर्थन करने वाले घरेलू उद्योग का कुल उत्पादन 45% से अधिक प्रतीत नहीं होता, और इस प्रकार वे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1995 के नियम 5 (3) (क) के साथ पठित नियम 2 (ख) में यथा निर्धारित 50% के अर्हता मानदण्ड को पूरा नहीं करते।

घ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

8. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) अनुसार घरेलू उद्योग से तात्पर्य ऐसे घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण में और उससे जुड़े कार्यकलापों में पूर्ण रूप से कार्यरत हैं अथवा जिनका उक्त वस्तु का संचयी उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख भाग है, बशर्ते ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित न हों या वे स्वयं उसका आयात न कर रहे हों, ऐसे मामले में इस प्रकार के उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जाएगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों ने क्षति के निर्धारण और उसकी सीमा के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराई है :-

क. मेसर्स बिहार कॉस्टिक्स एण्ड केमिकल्स लि.
ख. मेसर्स डीसीडब्ल्यू लिमिटेड
ग. मेसर्स गुजरात अल्कलीज एण्ड केमिकल्स लि. (बडौदा एवं दाहेज)
घ. मेसर्स इण्डियन पेट्रोकेमिकल कार्पोरेशन लि.
ड. मेसर्स जयश्री केमिकल्स लि.
च. मेसर्स पंजाब अल्कलीज एण्ड केमिकल्स लि.
छ. मेसर्स श्रीराम अल्कलीज एण्ड केमिकल्स लि.
ज. मेसर्स स्टैण्डर्ड अल्कलीज
झ. मेसर्स एसआईइएल केमिकल कॉम्प्लेक्स
ट. मेसर्स सोलरीज केमटेक लि.

9. प्राधिकारी ने इस निर्णायक समीक्षा जांच में जांच अवधि के दौरान सहभागी उत्पादकों का उत्पादन 1338738 मी. टन. निर्धारित किया है। इस प्रकार सहभागी कम्पनियों का उत्पादन, घरेलू उद्योग के उत्पादन, जो 2647350 मी. टन. है, से 50% से भी अधिक है। अतः प्राधिकारी का अभिमत है कि नियमावली के अर्थ के भीतर ये कंपनियां घरेलू उद्योग हैं।

5. अन्य मुद्दे

5.1 घरेलू उद्योग के विचार

10. घरेलू उद्योग ने कहा है कि :

- याचिका सभी प्रकार से पूर्ण हैं और जांच शुरूआत से पूर्व प्राधिकारी को पर्याप्त तथा सही साक्ष्य उपलब्ध कराया गया था, जो निर्णायक समीक्षा जांच का आधार बना है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद विभिन्न स्रोतों से हुए लगातार आयात से यह सिद्ध होता है कि शुल्क, दरअसल आयातों के विरूद्ध नहीं थे अपितु केवल पाटित स्रोतों के विरूद्ध सुनिश्चित थे, जिससे उपभोक्ताओं को अपाटित कीमतों पर अन्य स्रोतों अथवा आयातों से स्रोतों की उपलब्धता सिद्ध होती है। उनका कहना है कि पाटनरोधी शुल्क बाजार में विकृतिकारी व्यापार पवृत्तियों पर रोक लगाने तथा निष्पक्ष मूल्य तंत्र स्थापित करने के लिए लगाए गए थे।

- यह पूर्णत:असंगत है कि अनेक देशों में शुल्क लगाए गए हैं अथवा विश्व के किसी भी देश में शुल्क नहीं लगाया गया है।

- भारतीय उत्पादकों द्वारा वस्तुओं की खरीद की मात्रा एवं मूल्य के बारे में विरोधी पक्षों को पूरी जानकारी है। तथापि, इसे प्राधिकारी से छिपाया गया।

- कानून तथा पद्धति के अनुसरण में सूचना की गोपनीयता का दावा किया गय है ।

- ऐसी स्थिति में जब वैश्विक कीमतें कथित रूप से 200% बढ़ गईं, तब भी घरेलू उद्योग ने अपना विक्रय मूल्य 200% नहीं बढ़ाया। इस प्रकार भारतीय उत्पादकों ने जिम्मेदाराना व्यवहार किया और वैश्विक कीमत वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमतों में वृद्धि नहीं की।

- नालको का यह कहना गलत है कि शुल्क लगाने से नाल्को विश्व बाजार में अप्रतिस्पर्धी हो रहा है, क्योंकि निर्यात के प्रयोजनार्थ किए गए आयात पर कोई पाटनरोधी शुल्क अथवा अन्य सीमा शुल्क देय नहीं होता।

ड 2 निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार:

11. हितबद्ध पक्षों ने कहा है कि :

- निर्णायक समीक्षा जांच पर्याप्त साक्ष्य तथा औचित्य के बिना शुरू कर दी गई। घरेलू उद्योग ने एडीए, के अनुच्छेद 11.2 के तहत यथाधिरेशित आयात आंकडों, पाटन तथा क्षति के संबंध में अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। जिसके आधार पर निर्णायक समीक्षा शुरू की गई है। याचिकाकर्ता किसी तरह

अपना मामला बनाने के लिए बहुविध स्रोतों पर निर्भर रहे और उन्होंने सुसंगत साक्ष्य मुहैया नहीं कराया। बिना किसी स्थायी विधि के बहुविध स्त्रोतों/साक्ष्य का उपयोग किया गया है।

➢ अलग-अलग अनेक जांचों के माध्यम से अनेक देशों में पाटनरोधी शुल्क लागू कर देना यह दर्शाता है, मानों भारत अलग-थलग पड़ गया प्रत्येक देश का निर्यातक उत्पाद का पाटन कर रहा है।

➢ याचिकाकर्ता द्वारा आयातों से संबंधित समेकित सूचना विश्वनीय नहीं है और इसमें तारतम्य का अभाव है, अतः इस जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी द्वारा संयुक्त आंकडों के स्थान पर डीजीसीआई एंड एस अथवा आईबीआईएस के आंकडे लिए जाएं।

➢ घरेलू उद्योग डीजीसीआईएंडएस के आंकडों के अलावा विभिन्न द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकडों पर निर्भर रहा है, जो अविश्वसनीय हैं और इन पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। डीजीसीआई एंड एस के आंकडों पर निर्भरता यह दर्शाती है कि पीओआर के दौरान संबद्ध देशों द्वारा कास्टिक सोडा का कोई पाटन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता द्वितीयक स्रोतों की प्रविष्टियों पर जानबूझकर निर्भर रहा है जिसमें संबद्ध देशों से न्यूनतम कीमतों पर अधिकतम मात्रा में आयात दर्शाया गया है। डीजीसीआई एंड एस के आंकड़े सर्वाधिक विश्वसनीय आंकडे हैं और इनमें कोई त्रुटि नहीं है। याचिकाकर्ता ने स्वयं फ्रांस को छोड़कर चीन, कोरिया जनगण, ताईवान, इण्डोनेशिया तथा ईयू जैसे विभिन्न देशों के विरूद्ध पाटनरोधी याचिकाओं में आयातों की मात्रा व निर्यात कीमत की गणना हेतु डीजीसीआई एंड एस के आंकडों पर भरोसा किया है। याचिकाकर्ता ने वर्तमान जांच में वर्ष 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 के लिए डीजीसीआई एंड एस के आंकडों पर भरोसा किया है और पीओआर के लिए डीजीसीआई एंड एस के आंकडों का उपयोग न करने का उद्देश्य पाटन का झूठा मामला बनाना है।

➢ कास्टिक सोडा, जो एल्यूमिना के उत्पादन का प्रमुख कच्चा माल है के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से नाल्को विश्व बाजार में अप्रतिस्पर्धी हो रहा है और इससे नाल्को के लिए कास्टिक सोडे के सभी स्त्रोत बंद हो गए हैं। इसके परिणामस्वरूप पाटनरोधी शुल्क के कारण नाल्को न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है, अपितु पाटनरोधी शुल्क के कारण ही भारतीय बाजार में भी इसका वर्चस्व कम हो रहा है।

➢ विगत वर्षों में भारतीय उत्पादकों में से, जो वर्तमान जांच का समर्थन कर रहे हैं, केवल दो उत्पादकों ने नाल्को की मांग की पूर्ति की पेशकश की अथवा आपूर्ति की है। अतः गैर किफायती भौगोलिक असुविधाओं के कारण उत्पन्न सम्भार लागत के कारण अधिकांश घरेलू उद्योग ने नाल्को की निविदाओं में

सहभागिता नहीं की। घरेलू उद्योग के सदस्यों, जिन्होंने निविदा प्रक्रिया में सहभागिता की, के पास या तो निविदा मात्रा की तुलना में अपर्याप्त मात्रा है अथवा उन्होंने उक्त मात्रा के परिवहन पर असमर्थता व्यक्त की है।

➢ नाल्को ने कहा है कि कॉस्टिक सोडा व क्लोरीन की उत्पादन लागत के अभिनिश्चय हेतु अपनाई गई वास्तविक लागत, घरेलू उद्योग द्वारा समीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त लागत, नियोजित पूंजी, जिस पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विचार किया, पर वास्तविक आय, कास्टिक सोडा के उत्पादन में विद्युत की लागत तथा कुल लागत में उसका अनुपात उद्घाटित किया जाए। घरेलू उद्योग से कहा जाए कि वह निम्नलिखित के संबंध में समुचित गैर गोपनीय सारांश अथवा सूचीबद्ध पाठ प्रस्तुत करे, क्योंकि निम्नलिखित जानकारी को व्यावसायिक औचित्य नहीं कहा जा सकता :-

- प्रोसेस फ्लो चार्ट
- फार्मेट सी I तथा सी II
- आरओसीई के दावे की युक्तिता
- फार्मेट ई
- कच्चे माल की खरीद, विपणन एवं बिक्री भण्डार लेखांकन एवं भण्डारसूची मूल्यांकन तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं से संबंधित नीतियां।

➢ संस्तुत पाटनरोधी शुल्क, यदि कोई हो, सीआईएफ स्तर पर होना चाहिए, न कि पहुंच मूल्य के आधार पर।

➢ घरेलू उद्योग की समीक्षा अर्थव्यवस्थाओं के पैमाने के कारण है और इसी कारण से नाल्को जैसी कंपनियों द्वारा अपेक्षित भारी मात्रा की आपूर्ति नहीं की जा सकी। घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता समेकन किया जाना अपेक्षित है। घरेलू उद्योग को पेश आ रही संभार तंत्र समस्याओं के कारण यह स्थानीय मांग को पूरा करने में असमर्थ है।

➢ उद्घाटन विवरण की टिप्पणियों में हितबद्ध पक्षों ने सुसंगत जानकारी प्रकट न करने तथा ईसीयू मूल्य तंत्र पर आधारित क्लोरीन तथा कास्टिक सोडा के उपचार संबंधी मुद्दों को पुनः दोहराया है। इस संबंध में उन्होंने माननीय सीईएसटीएटी के कतिपय निर्णयों का हवाला दिया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी से सीईएसटीएटी की टिप्पणियों के मद्देनजर जांच करने की अपेक्षा की है।

12. प्राधिकारी ने विभिन्न इच्छुक पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनेक तर्कों पर यथोचित रूप से विचार किया है । यहां प्रतिपक्षीय इच्छुक पक्षकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न सामान्य मुद्दों की पुनरावृत्ति नहीं की जा रही है ।

ङ 3 **प्राधिकारी द्वारा जांच:**

13. इच्छुक पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया कि क्लोरीन को कास्टिक सोडा के उत्पादन में एक संयुक्त उत्पाद के रूप में मान लिया जाए क्योंकि विश्व भर में अधिकांश उत्पादक क्लोरीन को क्लोर उद्योग में एक संयुक्त उत्पाद मानते हैं । प्राधिकारी ने इच्छुक पक्षकार द्वारा उठाए गए तर्कों की जांच की और ऐसा सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी), लागात लेखा, रिकार्ड नियमावली (समय-समय पर यथासंशोधित और जांच अवधि के दौरान यथा लागू) तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I और जांच में शामिल कंपनी द्वारा रखे गए रिकार्डों के आधार पर लागत निर्धारण अपेक्षित पाटनरोधन संबंधी डब्ल्यू टी ओ करार को ध्यान में रखते हुए किया गया बशर्ते ऐसे रिकार्ड जीएएपी के अनुसार हों और इन रिकार्डों से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन तथा बिक्रियों से संबंधित लागत यथोचित रूप से पलिक्षित होती हो । प्रधिकारी ने लागतों के उचित आबंटन से संबंधित उपलब्ध साक्ष्य पर भी विचार किया जो कि सहभागी घरेलू तथा विदेशी उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराया गया । प्राधिकारी नोट करता है कि ऐसा निर्णय कि क्या क्लोरीन को एक सह-उत्पाद अथवा एक उप-उत्पाद मान लिया जाए, एक सार्वभौमिक निर्णय नहीं हो सकता है जो कि हर बार लागू तथा संगत हो । इसका निर्णय प्राधिकारी द्वारा किसी मामला विशेष के तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाना होता है । यह बात नोट की जाती है कि क्लोरीन को समूचे क्लोर अल्कली उद्योग के संबंध में एक संयुक्त उत्पाद अथवा एक उप-उत्पाद मान लेना उचित नहीं होगा, बल्कि संबंधित कंपनी तथा लागत लेखा परीक्षकों द्वारा लागत रिकार्ड सहित अपनी लेखा बहियों में स्वीकृत क्लोरीन को अपनाए जाने के बाद कॉस्टिक सोडा की उत्पादन लागत के निर्धारण के लिए यथोचित तथा उचित होगा । प्राधिकारी इसे उचित समझता है कि कंपनियों द्वारा अपने-अपने रिकार्डों में अपनाए गए आधार को मान ले और उसे अपना ले जो कि लागत लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत सत्यापित/प्रमाणित हो । प्राधिकारी ने अपनी अंतिम पुनरीक्षा जांच में घरेलू उद्योग के संबंध में क्लोरीन पर तद्नुसार विचार किया और उसे मान लिया है । यह भी नोट किया जाता है कि संबंधित कंपनियों द्वारा स्वीकृत मान्यता पर लागत लेखा परीक्षकों द्वारा इस संबंध में कोई प्रतिकूल आर्हता प्रदान नहीं की गई है ।

14. संबद्ध उत्पाद के वास्तविक उत्पादन लागत का निर्धारण निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए सतत दृष्टिकोण के अनुसार जीएएपी के आधार पर अनूकूल उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए किया गया है । घरेलू उद्योग के संबंध में अक्षतिकारी कीमत का निर्धारण संबद्ध माल के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल की लागत, उसकी खपत, जन-सुविधाओं अर्थात विद्युत, भाप, जल आदि की लागत, ब्याज लागत, श्रम लागत, ह्रास लागत तथा बिक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक (एसजीए) खर्चों सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है । लागत विश्लेषण में पूंजी निवेश तथा क्षमता उपयोग जैसे कारकों की भी जांच की गई है क। इन सभी कारकों पर सहभागिता करने वाली कंपनियों की आधारित लेखा बहियों तथा उत्पादन और वित्तीय विवरण पत्रों के संदर्भ में विचार किया गया है जिससे उत्पादन लागत् का निर्धारण किया जा सके । घरेलू उद्योग के संबंध में अक्षतिकारी कीमत का निर्धारण लगाई गई पूंजी पर 22% आय के यथोचित लाभ मार्जिन, उत्पादन लागत (लगाई गई पंजी का

निर्धारण निवल अचल परिसंपत्तियों और विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कार्यशील पूंजी के रूप में किया जाता है) को जोड़कर किया जाता है । आय को ब्याज जमा लाभ अर्थात उत्पादन लागत में ब्याज खर्च को घटाकर परिभाषित किया जाता है जिससे यथोचित लाभ का निर्धारण किया जा सके । यह भी नोट किया जाता है कि लगाई गई पूंजी पर 22% की आय लाभ नहीं होती है बल्कि इसका निर्धारण इस प्रकार निर्धारित आय से ब्याज को घटाकर किया जाता है और प्राधिकारी ने अपेक्षतया कम शुल्क वाले कानून को लागू किया है और इसीलिए किसी भी तरह से परिणामी शुल्क निर्धारित पाटन मार्जिन से अधिक नहीं है ।

15. इच्छुक पक्षकारों ने तर्क दिया है कि कॉस्टिक सोडा लाई तथा फ्लेक विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु नहीं है क्योंकि इन दोनों का प्रयोग प्रयोक्ता उद्योग द्वारा अलग-अलग अंतिम अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है । इच्छुक पक्षकार के तर्क की जांच की गई और ऐसा विचाराधीन उत्पाद के दायरे और समान वस्तु की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए किया गया । यह बात नोट की जाती है कि इसके ठोस रूप ढेलों, प्रिल्स, चिप्स, फ्लेक आदि के रूप में हो सकते हैं । आगे यह बात भी नोट की जाती है कि कॉस्टिक सोडा के दोनों रूप एक ही उत्पाद हैं और ये आवश्यक उत्पाद गुणों, कार्य तथा प्रयोगों, उत्पादन प्रौद्योगिकी और प्रसंस्करण, संयत्र तथा उपस्कर, कीमत निर्धारण की दृष्टि से एक समान हैं । इनके कीमत निर्धारण में अंतर, जैसा कि पहले कहा गया है, केवल वृद्धिकारी उत्पादन प्रक्रिया और परिवहन लागतों में अंतरों की वजह से ही है । प्रधिकारी इच्छुक पक्षकारों द्वारा किए गए इस तर्क से सहमत हैं कि कुछ उपभोक्ता कॉस्टिक सोडे का प्रयोग केवल लाई रूप में करते हों क्योंकि ऐसा वे अपनी सुविधा और अपनाई गई प्रौद्योगिकी की वजह से करते हों लेकिन प्राधिकारी का निर्णय है कि इसका यह अर्थ नहीं है कि विभिन्न रूप में यह उत्पाद अलग-अलग हो जाता है और उसकी आवश्यक विशेषताएं, कार्य तथा प्रयोग समाप्त हो जाते हों और इसका यह भी आशय नहीं है कि इसके दूसरे रूप इसी प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त नहीं हो सकते । इस बारे में विभिन्न उत्पादकों के सत्यापन दौरों के दौरान अच्छी तरह से बता दिया गया है । यह उत्पाद आवश्यक दृष्टि से समान है चाहे उसके अंतिम अनुप्रयोग कैसे भी हों । किन्तु, परिणामी कीमतों में अंतर होते हुए भी पाटन मार्जिन, कीमत कटौती, कम दाम पर बिक्री कीमत, कीमत दबाव, कीमत मंदी तथा क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ लाई तथा फ्लेकों से संबंधित कीमत कारकों पर अलग-अलग विचार किया गया है ।

16. इच्छुक पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि ईसीयू वसूली पर विचार आवंटन के प्रयोजनार्थ किया जाए । यह नोट किया जाता है कि मौजूदा अंतिम परिणाम घरेलू उद्योग की वास्तविक ईसीयू वसूली पर आधारित है और क्लोरीन से प्राप्त वसूली या तो उत्पादन लागत से घटा दी जाती है या क्लोरीन ट्रीटेड सह-उत्पाद से और उत्पादन लागत का निर्धारण तद्नुसार किया जाता है और इसीलिए इच्छुक पक्षकारों की चिंता का निवारण किया गया है । यह नोट किया जाता है कि यदि कोई कंपनी

क्लोरीन को एक उप-उत्पाद मानती है और यदि क्लोरीन की वसूली संगत अवधि के दौरान अपेक्षतया अधिक रही है, तो इस संबंध में अधिक कटौती कर दी गई है ।

17. नॉल्को ने बार-बार यह तर्क दिया है कि उपभोक्ता के रूप में उनके हितों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और उन्होंने इस संबंध में ईसी के भी कुछ निर्णयों का हवाला दिया है । यह नोट किया जाता है कि संबद्ध माल के एक बहुत बड़े उपभोक्ता के रूप में नॉल्को के अधिकार को मौजूदा कार्यवाही में अच्छी तरह से मान्यता दी गई है और इस कंपनी को संगत जानकारी देने तथा निवेदन करने का पूरा अवसर प्रदान किया गया है ।

18. इच्छुक पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि महत्वपूर्ण जानकारी को गोपनीय रखा गया है और जानकारी को चुनौती देने तथा प्राधिकारी को सार्थक निवेदन करने के अधिकार के प्रतिपक्षी इच्छुक पक्षकारों की उपेक्षा की गई है । प्राधिकारी नोट करता है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम-7 में गोपनीय आधार पर इच्छुक पक्षकारों द्वारा जानकारी प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है बशर्ते उसमें विहित शर्तों को पूरा कर दिया जाए । इस नियमावली में यह भी उपबंध है कि कतिपय जानकारी जो या तो व्यापार मालिकाना जानकारी हो अथवा ऐसी अन्य जानकारी जो गोपनीय किस्म की हो (उदाहरणार्थ क्योंकि इसका खुलासा होने से ऐसे प्रतिस्पर्धी को महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी लाभ हो जाएगा अथवा क्योंकि इसका खुलासा होने से ऐसे व्यक्ति पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो जनकारी प्रदान कर रहा हो अथवा ऐसे व्यक्ति पर जिससे उस व्यक्ति ने ऐसी जानकारी प्राप्त की हो), अथवा ऐसी जानकारी जो पक्षकारों द्वारा किसी जांच के लिए गोपनीय आधार पर प्रदान की गई हो और जो बताए गए अच्छे उद्देश्य पर आधारित हो उसे प्राधिकारियों द्वारा इसी तरह समझ लिया जाना चाहिए । इस नियमावली में आगे यह भी प्रावधान है कि इस प्रकार की जानकारी का खुलासा उसे प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशेष अनुमति के बिना किसी दूसरे इच्छुक पक्षकार को नहीं किया जाएगा । इस पुनरीक्षा जांच में कतिपय व्यापार संवेदी जानकारी को गोपनीय रखा गया है जिसमें संबद्ध माल की लागतों तथा कीमतों से संबंधित जानकारी और अन्य संवेदनशील जानकारी शामिल है जिसके खुलासे के परिणामस्वरूप किसी प्रतिस्पर्धी को महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी लाभ मिलेगा और जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के व्यापार हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । इच्छुक पक्षकारों द्वारा गोपनीय मानी गई जानकारी की जांच पाटनरोधी नियमावली के तहत गोपनीयता प्रावधान के अनुसार की गई और इस प्रकार की जानकारी को प्राधिकारी द्वारा इस बात से संतुष्ट होने के बाद गोपनीय समझा गया कि गोनीयता के दावे वाली जानकारी वास्तव में गोपनीय है । गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी का अगोपनीय सारांश सरकारी फाइल में रखा गया जिसे पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार सभी इच्छुक पक्षकारों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया गया ।

च. पाटन तथा पाटन मार्जिन

च.1 घरेलू उद्योग के विचार

19. घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि:-

i. एसएबीआईसी को छोड़कर किसी भी निर्यातक ने इस अंतिम समीक्षा जांच में सहयोग नहीं किया है ।

ii. कुछ देशों अर्थात सं.रा.अमरीका, सऊदी अरब तथा ईरान से कॉस्टिक सोडा का भारत को पाटन कीमतों पर निर्यात किया जाता रहा । कुछ संबद्ध देशों अर्थात फ्रांस तथा जापान से पाटन की पुनरावृत्ति होने की प्रबल संभावना है ।

iii. क्लोर अल्कली द्वारा दी गई प्रकाशित जानकारी और उस कीमत को ध्यान में रखते हुए जिस पर माल का भारत को निर्यात किया गया है, यह बात स्पष्ट है कि मौजूदा निर्यात पाटन कीमतों पर किए गए । संबद्ध देशों के उत्पादकों और निर्यातकों के सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमतों की उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए परिवहन, बीमा, सुपुर्दगी, लोडिंग तथा सहायक लागतों, ऋण लागतों, बैंक प्रभारों तथा व्यापार स्तरों में अंतर के लिए जहां कहीं उचित हो, समायोजन किए गए ।

iv. निर्यातकों से अपेक्षा है कि वे अपने-अपने आंकड़ों के आधार पर यह स्थापित करें कि उनके निर्यात पाटन कीमतों पर नहीं होते हैं (चाहे ऐसे निर्यात भारत को अथवा तीसरे देशों को किए गए हों) और पाटनरोधी शुल्कों को रद्द होने की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है ।

v. संबद्ध देशों से भारत को होने वाले कोई निर्यात नहीं होने का आवश्यक रूप से यह आशय नहीं है कि घरेलू उद्योग को पाटन तथा क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है ।

vi. सऊदी अरब से हुए निर्यातों के संबंध में भारतीय उत्पादकों ने तर्क दिया है कि सऊदी अरब के निर्यातकों द्वारा दावा की गई निर्यात कीमत को अविश्वसनीय समझा जाए क्योंकि उत्पादक, निर्यातक तथा व्यापारियों के बीच एक मुआवजा समझौता होता है । एसएडीएएफ ने माना है कि वे अपनी सहायक कंपनियों-सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कंपनी (एसएबीआईसी) और शेल ट्रेडिंग (एम.ई.) प्रा. लि. (एसटीएमई) की मार्फत भारत को संबद्ध माल का निर्यात करते हैं । ऐसा मान लिया जाता है कि एसएडीएएफ, एसएबीआईसी और एसटीएमई सब संबद्ध कंपनियां हैं और उनके बीच भारत को संबद्ध माल के निर्यात के लिए एक प्रबंध किया हुआ है । निर्यात कीमत की परिभाषा में विहित है कि ऐसे मामले में जहां निर्यातकों तथा आयातकों के बीच कोई मुआवजा प्रबंध होने की संभावना हो वहां निर्यात कीमत

अविश्वसनीय जानी जाती है । ऐसे मामलों में संबंधित कंपनियों से ऐसी संविदा हुई हो कि व्यापार कार्यकलाप उनकी संबंधित कंपनियां होने की वजह से बहुत ही कम मार्जिन पर किए जाएं लेकिन ऐसा करना उचित कारखानागत निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए पर्याप्त तथा काफी नहीं है ।

vii. एसएडीएएफ एक विनिर्माता है वह ग्राहकों को संबद्ध माल की प्रत्यक्ष बिक्री नहीं करता है । एसएबीआईसी और एसटीएमई दोनों ही एसएडीएएफ की व्यापार शाखाएं हैं । ये दोनों ही संबद्ध कंपनियां एसएडीएएफ द्वारा विनिर्मित संबद्ध माल का विश्व भर में दूसरे देशों को आगे निर्यात नहीं करती हैं । इन तीनों कंपनियों के बीच हुए सौदों को नजदीकी सौदे नहीं माना जा सकता है । एसएबीआईसी और एसटीएमई माल की खरीद कर रही है और उसे अपनी-अपनी बहियों में खरीदारियों के रूप में शामिल कर रही हैं । एजेन्ट की मार्फत हुई बिक्रियों के मामले में उत्पादक तथा खरीदार के बीच माल तथा दस्तावेजों का संचालन होता है और एजेन्ट को कमीशन मिलता है । मौजूदा मामले में हालांकि एसएडीएएफ द्वारा एसएबीआईसी/एसटीएमई के पक्ष में बीजक दिए जाते हैं लेकिन एसएडीएएफ ने कमीशन को कीमत समयोजन के रूप में हिसाब में लिया है जो हो भी नहीं सकता है । निर्दिष्ट प्राधिकारी यह अवश्य करें कि वह इन व्यापार कंपनियों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष एसजीए और लाभ को घटा दें । किसी व्यापारी द्वारा अर्जित मार्जिन अथवा मार्क-अप जो कमीशन से भिन्न हो उसे समायोजित किए जाने की आवश्यकता है ताकि उचित कारखानागत निर्यात कीमत का निर्णय हो सके । सऊदी अरब के उत्पादकों तथा निर्यातकों अर्थात एसएडीएएफ ने भारत को संबद्ध माल का निर्यात अपने उन संबंधित व्यापारियों-एसएबीआईसी तथा एसटीएमई की मार्फत किया जिन्हें मार्जिन अथवा मार्क-अप दिया जाता है जो कि कमीशन से भिन्न होता है । एसएडीएएफ केवल एक उत्पादक का का करता है जिसे बिक्री की थोड़ी अथवा कोई चिन्ता नहीं है बल्कि यह काम एसएबीआईसी तथा एसटीएमई का है जो विपणन प्रयास करते हैं । इस बात का निर्धारण करना महत्वपूर्ण है कि क्या अथवा नहीं, एसएबीआईसी अथवा एसटीएमई द्वारा जोड़े गए मार्जिन उनकी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक लागतों और लाभ को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ।

viii. यदि यह मान लिया जाता है, हालांकि स्वीकार्य नहीं है कि समीक्षा जांच अवधि के दौरान संबद्ध माल का कोई पाटन नहीं हुआ, लेकिन उससे यह साबित होता है कि मौजूदा उपायों से पाटन को रोका जा सकता है और इसीलिए इससे यह सर्वोत्तम साबित होता है कि इन मौजूदा उपायों को जारी रखे जाने की आवश्यकता है । कोई पाटन नहीं हुआ, की शर्त केवल शुल्क लगाए जाने का परिणाम है और आगे यह भी साबित होता है कि यह शुल्क आगे जारी रखा जाए जिससे घरेलू उद्योग को हो रही क्षति और क्षति की पुनरावृत्ति को रोका जा सके । निर्यातकों के पाटन जारी रखे जाने की संभावना है और यदि मौजूदा शुल्क समाप्त हो भी जाए तो भी पाटन तथा क्षति की पुनरावृत्ति होती रहेगी ।

ix. घरेलू उद्योग ने अपने प्रकटन विवरण पत्र की टिप्पणियों में निम्नलिखित निवेदन किया है :-

(क) उन्होंने निवेदन किया है और बाजार आसूचना से संकलित आयात जानकारी को दर्ज कराया है जिससे मालूम होता है कि ईरान से हुए आयात की वास्तविक मात्रा (5303 रूपए/एमटी. की दर से 13766 मी.टन) डीजीसीआईएस द्वारा बताई गई मात्रा (10560 की दर से 303 मी.टन) की तुलना में काफी अधिक है ।

(ख) लाई के मामले में सामान्य संबंधित आयात मूल्य-वाणिज्यिक व्यापार सौदे के रूप में आम तौर पर 5000 मी.टन से कम है । बाजार आसूचना से उपलब्ध जानकारी के मद्देनजर डीजीसीआईएंड एस द्वारा बताए गए आयात आंकड़ों के अनुसार मूल्य तथा कीमत महत्वपूर्ण पाई गई है । अत: घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई कीमत पर निर्यात कीमत के निर्धारणार्थ विचार किया जाए ।

(ग) कॉस्टिक सोडा की ईरान तथा अन्य देशों से प्राप्त आयात कीमतों में अधिक अंतर से यह स्पष्ट है कि डीजीसीआईएंडएस द्वारा बताए गए अनुसार ईरान से लाई के आयात असामान्य हैं जिन्हें अस्वीकार किए जाने की आवश्यकता है । इसके समर्थन में घरेलू उद्योग ने ईरान से हुए आयातों के संबंध में एक साक्ष्य दर्ज कराया है ।

(घ) घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि यदि सामान्य मूल्य के बराबर कीमतों अथवा उससे अधिक मूल्य पर निर्यात किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आयातों की लैण्डेड कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक रहेगी । विदेशी उत्पादक पाटन का सहारा लेंगे यदि वे बिक्री घरेलू उद्योग की समान कीमतों अथवा निवल बिक्री वसूली कीमत पर करते हैं ।

(ङ) विदेशी उत्पादकों के पास मुक्त रूप से निपटान योग्य काफी क्षमताएं मौजूद हैं ।

(च) चूंकि किसी भी प्रत्युत्तरदाता पक्षकार ने यह दावा नहीं किया है कि उनकी सप्लाई कुछ दीर्घकालीन संविदाओं के तहत होती है अत: वे अपने-अपने लाभों के संबंध में बाजार तथा कीमतों का निर्णय करने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

(छ) विश्वव्यापी बेशी क्षमता देश की समूची मांग की तुलना में काफी अधिक है ।

x. जापान तथा अमरीका के संबंध में विश्व के देशों को हुए उनके निर्यातों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई और यह दर्शाया गया कि (1) ये देश विश्व को काफी मात्रा में निर्यात करते हैं, (2) संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा विभिन्न देशों को भारत को निर्यात की कीमत से कम कीमत पर निर्यात किया जा रहा है, (3) जापान से

विश्व के देशों को ऐसी कीमत पर काफी मात्रा निर्यात की गई जो भारत में मौजूदा कीमतों से कम है ।

xi. प्रकटन विवरण पत्र के संदर्भ में दी गई टिप्पणियों में इच्छुक पक्षकारों ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए:-

क) अमरीका, फ्रांस तथा ईरान के संबंध में निर्धारण से संबंधित सामान्य मूल्य की गणना क्लोर अल्कली के आधार पर की गई है जिसके ब्यौरे घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए हैं । ऐसा सुझाव दिया गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को सामान्य मूल्य की गणना क्लोर अल्कली के आधार पर यथोचित समायोजन करने के बाद करनी चाहिए थी न कि मूल जांच में अपनाए गए पाटन मार्जिन के आधार पर ।

ख) उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया है कि जापान से कोई निर्यात नहीं होने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकारी को यह करना चाहिए था वह जापान से हुए आयातों से संबंधित शुल्क वापस लेने की सिफारिश करते और उन्होंने यह भी कहा है कि निर्यात कीमत के निर्धारण संबंधी ब्यौरे संयुक्त राज्य अमरकी, ईरान तथा फ्रांस के संबंध में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं ।

ग) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मौजूदा मामले के तथ्यों से संबंधित संभावित परीक्षण की गलत ढंग से व्याख्या की और उसे लागू किया है क्योंकि जांच अवधि के दौरान जापान से कोई आयात नहीं हुए हैं और इसके परिणामस्वरूप इस समय कोई पाटन नहीं हुआ है । अत: सतत पाटन की संभावना के निर्णय लेने का कोई पर्याप्त आधार नहीं बनता है ।

च.2 <u>निर्यातकों के विचार</u> :

20. इच्छुक पक्षकारों ने निवेदन किया है कि :-

(i) सऊदी अरब से कोई पाटन नहीं हुआ है क्योंकि उनके द्वारा दायर किए गए आंकड़ों से साबित होता है कि कोई भी पाटन नहीं हुआ है ।

(ii) आवेदक द्वारा दर्ज कराए गए समेकित आयात आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं, वे गलत हैं और उनमें अनेक त्रुटियां हैं । प्राधिकारी इस जांच के प्रयोजनार्थ आधार के रूप में या तो डीजीसीआईएस या आईबीआईएस के आंकड़ों पर विचार करे न कि निर्धारण के प्रयोजनार्थ संयुक्त आंकड़ों पर ।

(iii) प्राधिकारी द्वारा जांच प्रारंभ अधिसूचना में पाटन मार्जिन के निर्धारण के आधार का उल्लेख नहीं किया गया है । याचिकाकर्ताओं ने व्यापार आंकड़ों को समेकित किया है क्योंकि वे विभिन्न स्रोतों से उन्हें अनुकूल बैठते हैं, इस प्रकार समीक्षा अमान्य कर दी गई है । समीक्षा अवधि में ऊर्जा तथा पोतवहन लागतों

में तत्पश्चाती वृद्धि को आगे लाया गया है जिस पर क्षतिकारी पाटन के पुनरावृत्ति की संभावना का मूल्यांकन करते समय विचार किए जाने की आवश्यकता है । प्राधिकारी को चाहिए कि वह सबसे पहले इस बात का निर्णय करे कि क्या वह ऐसे उत्पादकों को शामिल करे अथवा शामिल नहीं करे जो घरेलू उद्योग के दायरे से आयातक भी हो सकते हैं । पाटन मार्जिन का निर्धारण भारत में बाजार खंड को की गई बिक्रियों के संबंध में ही निर्धारण किया जाए बशर्ते पाटनरोधी शुल्क लगे हों । आवेदकों के समर्थन में समग्र घरेलू उद्योग में उत्पादन के 45% की अधिकता प्रतीत नहीं होती है और इस प्रकार वह अर्हता मानदंडों के 50% भाग को भी पूरा नहीं करते, जैसा कि सीमाशुल्क टैरिफ नियमावली, 1995 के नियम 5(3)(क) के साथ पठित नियम 2(ख) में यथानिहित है ।

(iv) एसटीएमई का एसजीए पहले से ही कम है । भारत को ऐसे व्यापारियों के निर्यात लाभप्रद रहे और उसकी कम मात्रा को ध्यान में रखते हुए संगत लाभ यथोचित रहे हैं । एसटीएमई का तथाकथित पाटन मार्जिन पुनरीक्षा जांच अवधि के दौरान अधिक भारतीय टैरिफ दरों और अधिकांश अन्य देशों तथा अग्रणी बाजारों में मौजूद अपेक्षतया कम टैरिफ दरों के बीच के अंतर के भीतर रहा है । सीआईएफ कीमत की बजाय लेंडेड मूल्य के आधार पर लगाया गया कोई भी पाटनरोधी शुल्क कानून संगत होगा क्योंकि इन शुल्कों से पाटन मार्जिन आवश्यक रूप से अधिक होगा । निर्यातक-पुनर्विक्रेता या तो कमीशन या मार्क-अप के आधार पर काम कर सकेगा ।

(v) इस समय संबद्ध देशों सहित विश्व भर में कॉस्टिक सोडा की अधिक मांग तथा कम सप्लाई स्थिति बनी हुई है । इसके परिणामस्वरूप, कॉस्टिक सोडा की कीमत बढ़ रहीं है और साथ ही गल्फ देशों तथा अमरीका में प्राकृतिक गैस की कीमत बढ़ रही है । याचिकाकर्ता ने झूठे तौर पर स्वीकार किया कि कॉस्टिक सोडा के क्षेत्र में प्रतिस्थापित विश्व क्षमता विश्व में इस उत्पाद की मांग की तुलना में अधिक है ।

(vi) एसटीएमई ने निवेदन किया है कि एसजीए पहले से ही कम है और भारत को होने वाले निर्यात लाभप्रद रहे हैं । कंपनी ने आगे यह भी दावा किया है कि एसटीएमई का तथाकथित पाटन मार्जिन पुनरीक्षा जांच अवधि के दौरान अधिक भारतीय टैरिफ दरों और अधिकांश अन्य देशों तथा अग्रणी बाजारों में मौजूद अपेक्षतया कम टैरिफ दरों के बीच के अंतर के भीतर रहा है ।

(vii) पेपर एसोसिएशन ने तर्क दिया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण संबद्ध देशों में कॉस्टिक सोडा की मौजूदा कीमतों के कम दायरे के औसत के अनुसार किया जाए न कि कम तथा अधिक दायरे वाली कीमतों के बीच की कॉस्टिक सोडा की औसत कीमत के अनुसार, जैसा कि क्लोर अल्कली पत्रिका में प्रकाशित हुआ है । याचिकाकर्ता ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को जानबूझकर गलत ढंग से अवगत कराया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस पत्रिका में उल्लिखित कीमतें "सुपुर्दगी आधार" पर आधारित हैं । अतः इस संबंध में पर्याप्त समायोजन करना यथोचित है । उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि निर्यात कीमत आंकड़ों के

अविश्वसनीय गौण स्रोत पर आधारित है । इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने एक अम.डा. = 46.06 रूपए की विनिमय दर गलत ढंग से अपनाई जबकि यह समीक्षा जांच अवधि के दौरान एक अम. डा. = 45.79 रूपए रही थी ताकि इससे यह दर्शाया जा सके कि निवल निर्यात कीमत में गिरावट आई है । यह भी तर्क दिया गया है कि फ्रांस तथा जापान के संबंध में निर्यात कीमत का निर्धारण इन देशों से विश्व के अन्य देशों को भारित औसत निर्यात कीमत के आधार पर नहीं किया जा सकता । फ्रांस के संबंध में निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंड एस के आंकड़ों के आधार पर किया जाए और जापान के संबंध में उस दर पर किया जाए जिस पर जापान ने भारत को कॉस्टिक सोडे का निर्यात वर्ष 2003-2004 के दौरान किया था ।

च. 3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच:</u>

21. प्राधिकारी ने विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा अपनी-अपनी अंतिम समीक्षाओं और इस विषय पर संगत डब्ल्यूटीओ क्षेत्राधिकार द्वारा अपनाई गई पद्धति तथा प्रक्रियाओं के संबंध में आवेदकों द्वारा किए गए तर्कों को नोट कर लिया है । प्राधिकारी नोट करता है कि चूंकि यह एक अंतिम समीक्षा जांच है अत: इसमें शुल्क वापसी की स्थिति में पाटन के जारी रहने और उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना पर विचार करना अपेक्षित है ।

च.4 <u>पाटन का जारी रहना:</u>

22. प्राधिकारी ने धारा 9 क (1)(ग) के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली की प्रतियां भेजी । सऊदी अरब के उत्पादक/निर्यातकों और यूएई तथा संयुक्त राज्य अमरीका के निर्यातकों से प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं । संबद्ध देशों के किसी अन्य निर्यातक/उत्पादक ने कोई भी प्रश्नावली प्रत्युत्तर दर्ज नहीं कराया । अत: निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है कि वह असहयोगकारी निर्यातक के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के तहत अपने पास रिकार्ड में उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाए जिसमें यह प्रावधान है कि

"किसी ऐसे मामले में जहां कोई इच्छुक पक्षकार किसी यथोचित समयावधि के भीतर आवश्यक जानकारी की पहुंच की मनाही करता हो अथवा अन्यथा उसे प्रदान नहीं करता हो अथवा जांच में बाधा पहुंचाता हो तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकेगा और वह केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें करेगा, जैसा कि ऐसी परिस्थितियों में वह ठीक समझता हो ।"

पाटनरोधी जांचों में सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुसार किया जाएगा जिसमें यह प्रावधान है कि :-

(ग) किसी वस्तु के संबंध में "सामान्य मूल्य" का आशय है-

(i) समान वस्तु के संबंध में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में तुलनीय कीमत जब उसका आशय निर्यातक देश अथवा क्षेत्र में खपत के लिए हो जैसा कि उपधारा (6) के तहत बनाई गई नियमावली के अनुसार निर्धारित हो; अथवा

(ii) जब निर्यातक देश अथवा क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं हो अथवा निर्यातक देश अथवा क्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्रियों की कम मात्रा हो अथव बाजार की स्थिति विशेष की वजह से, ऐसी बिक्रियों के कारण उचित तुलना की अनुमति नहीं होने पर सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से एक होगा :-

(क) ऐसे समान उत्पाद की तुलनीय प्रतिनिधि कीमत जब उसका निर्यातक देश अथवा क्षेत्र अथवा यथोचित तीसरे देश से निर्यात किया गया हो जैसा कि उपधारा (6) के तहत बनाई गई नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित हो ; अथवा

(ख) उद्भव के देश में उपरोक्त वस्तु की उत्पादन लागत जिसमें प्रशासनिक, बिक्री तथा सामान्य लागतों और लाभों को यथोचित रूप में शामिल किया गया हो जैसा कि उपधारा (6) के तहत बनाई गई नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित हो ;

बशर्ते उद्भव के देश से इतर किसी अन्य देश से उस वस्तु के आयात के मामले में, और जहां निर्यातक देश की मार्फत उसका केवल पोत वहन किया गया हो अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक देश में नहीं हुआ हो अथवा उत्पादक देश में उसकी कोई तुलनीय कीमत नहीं हो तो सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्भव के देश में चालू उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा ।

सऊदी अरब

मै. एसएडीएएफ, मै. एसएबीआईसी, मै.एसटीएमई

सामान्य मूल्य

23. मै. एसएडीएफ जो संबद्ध माल का उत्पादक है, ने निर्यातक प्रश्नावली में निर्धारित तरीके से जानकारी दर्ज कराई है वे न तो घरेलू बिक्रियों में शामिल रहें और न ही संबद्ध माल की निर्यात बिक्रियों में । मै. एसएडीएफ के पास 8,40,000 मी. टन ईडीसी और 6,10,000 मी.टन कॉस्टिक सोडा तथा क्लोरीन की उत्पादन क्षमता मौजूद है । ऍसएडीएफ, एसएबीआईसी तथा एसटीएमई के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसमें इनका 50:50 हिस्सा है । चूंकि संबद्ध माल की उत्पादन लागत तथा घरेलू बिक्री कीमत के बीच काफी अधिक अंतर रहा है, अत: कंपनी से इस अंतर

के बारे में पूछा गया और यह बताया गया कि कंपनी ने कॉस्टिक सोडा की बिक्री पर हानि उठाई है । यह भी नोट किया गया कि कंपनी ने घरेलू बिक्रियों, भारत को निर्यात तथा अन्य देशों को किए गए निर्यातों में हानि उठाई है । एसएबीआईसी घरेलू बिक्रियों तथा निर्यात बिक्रियों के उत्तरदाई है जबकि एसटीएमई केवल निर्यात बिक्रियों में कार्यरत है । मै. एसएबीआईसी जो संबद्ध माल का निर्यातक है, ने घरेलू बिक्रियों, भारत को निर्यात बिक्रियों तथा अन्य देशों को बिक्रियों के संबंध में जानकारी अलग से दर्ज कराई । उन्होंने भारत को किए गए निर्यातों पर किए गए व्यय के संबंध में भी जानकारी दर्ज कराई जिससे कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण किया जा सके । इस निर्यातक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/जानकारी का सत्यापन किया गया और सत्यापन रिपोर्ट इस निर्यातक को उसकी टिप्पणी यदि कोई हो, के लिए भेजी गई और सत्यापन रिपोर्ट के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई । यह पाया गया कि संबद्ध माल के संबंध में घरेलू बिक्री कीमत की वजह से भारत के अलावा अन्य देशों को बिक्री तथा निर्यात में हानि हो रही थी और भारत को छोड़कर अन्य देशों को होने वाले निर्यात व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के भीतर नहीं हो रहे थे । इस कंपनी की हानि उठाने वाली बिक्रियों को ध्यान में रखते हुए यह पाया गया कि यथोचित लाभ के साथ एसएडीएएफ के उत्पादन लागत पर आधारित सामान्य मूल्य का निर्धारण करना उपयुक्त रहेगा । सामान्य मूल्य का निर्धारण **** अम.डा./मी.टन की दर पर किया गया ।

24. मै. एसटीएमई, यूएई (निर्यातक) ने भी भारत को किए गए अपने निर्यातों के संबंध में निर्यातक प्रत्युत्तर दर्ज कराया है । मै. एसटीएमई का मै. एसएडीएफ (उत्पादक) के उत्पाद के संबंध में विभिन्न कंपनियों के साथ व्यापार प्रबंध किया हुआ है । मै. एसटीएमई ने मै. अमगल्फ, यूएई, मै. ट्राइकोन, यूएसए और मै. मित्सुई, जापान के मार्फत निर्यात किया है । मै. अमगल्फ, यूएई और मै.ट्राइकोन, यूएसए ने निर्यातक प्रत्युत्तर अलग-अलग दर्ज कराए हैं और उनके आंकड़ों/जानकारी का सत्यापन उनके परिसरों पर मौके पर किया गया । चूंकि इन निर्यातकों ने मै. एसएडीएफ, यूएई द्वारा उत्पादित संबद्ध माल का निर्यात, मै. एसटीएमई, यूएई के मार्फत किया है । अत: इन निर्यातकों के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण **** अम.डा./मी.टन की दर पर किया गया है ।

निर्यात कीमत

25. मै.एसएबीआईसी ने जांच अवधि के दौरान भारत को 1747.872 मी. टन कॉस्टिक सोडा का निर्यात किया है । मै. एसटीएमई ने जांच अवधि के दौरान मै. अमगल्फ, यूएई के मार्फत 19943 मी.टन निर्यात किया है जो 9225.745 मी. टन पर रहा, मै. ट्राइकॉन, यूएसए के मार्फत 9412.864 मी.टन और मै. मित्सुई, जापान के मार्फत 1304.48 मी.टन निर्यात किया गया । एसटीएमई द्वारा भारत को किए गए निर्यात के संबंध में निर्यातकों को दिए गए निर्यात बीजकों का सत्यापन किया गया और एसएडीएफ द्वारा एसटीएमई को दिए गए संबंधित बीजकों की भी पड़ताल की गई ।

4% कमीशन काटने के बाद एसएडीएएफ को भुगतान बावुचरों का भी सत्यापन किया गया । जांच अवधि के दौरान इस उत्पाद के संबंध में लाभ तथा हानि लेखा का उनके रिकार्ड से मिलान किया गया । एसटीएमई द्वारा ट्राइकन इंटरनेशनल लि., मित्सुई एंड कंपनी लि. और अमगल्फ पालीमर्ज एंड कैमिकल्स लि. के संबंध में बताए गए बीजकों और एसएडीएएफ द्वारा एसटीएमई को इन व्यापारियों के संबंध में बताए गए बीजकों का सत्यापन किया गया । भारतीय ग्राहकों को निर्यात खेपों के संबंध में एसटीएमई की ओर से अमगल्फ पॉलीमर्स द्वारा किए गए भुगतान के ब्यौरों की भी उनके रिकार्ड से पड़ताल की गई । इसी प्रकार, भारतीय ग्राहकों को किए गए निर्यात के संबंध में एसटीएमई को ट्राइकॉन द्वारा किए गए भुगतान का भी उनके रिकार्ड से सत्यापन किया गया । मै. एसएबीआईसी, मै. एसटीएमई, मै. अमगल्फ और मै. ट्राइकॉन ने अपने-अपने दावे के संबंध में अपने-अपने दावे के लिए खर्चों के संबंध में जानकारी दर्ज कराई जिससे कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण किया जा सके । इन सहयोगकारी निर्यातकों द्वारा दावा किए गए समायोजनों का मौके पर सत्यापन किया गया और इस प्रकार सत्यापित जानकारी को कारखानागत निर्यात कीमत के निर्धारण के प्रयोजनार्थ हिसाब में लिया गया । निर्यातक द्वारा व्यापारी से उत्पादक के लिए किए गए खर्चों को भी कारखानागत निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए मद्देनजर रखा गया । उपरोक्त को देखते हुए कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण मै. एसएडीएएफ के लिए **** अम.डॉ./मी. टन पर किया गया जिन्होंने मै. एसएबीआईसी की मार्फत निर्यात किया, मै. एसएडीएएफ के लिए**** अम.डॉ./मी. टन पर किया गया जिन्होंने मैसर्स शेल-मैसर्स एमगल्फ की मार्फत निर्यात किया और मै. एसएडीएए फ के लिए **** अम.डॉ./मी. टन पर किया गया जिन्होंने मै. शेल-मै. ट्राइकोन की मार्फत निर्यात किया ।

<u>सऊदी अरब के अन्य उत्पादक तथा निर्यातक:</u>

26. यह नोट किया जाता है कि सऊदी अरब के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रत्युत्तर नहीं भेजा । प्राधिकारी ने सऊदी अरब के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में एक ही सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है क्योंकि मै. एसएडीएएफ का सऊदी अरब में संबद्ध माल के उत्पादन का 90% से भी अधिक हिस्सा होता है । अत: सामान्य मूल्य का निर्धारण सऊदी अरब के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए **** अम.डा./मी.टन पर किया गया है ।

27. जहां तक निर्यात कीमत का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि सऊदी अरब का अन्य सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्रत्युत्तरदाता निर्यातक की न्यूनतम निर्यात कीमत पर विचार किया गया है । अत: सऊदी अरब के अन्य सभी निर्यातकों /उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण **** अम.डा./मी.टन पर किया गया है ।

सं.रा.अमरीका, फ्रांस, ईरान

सामान्य मूल्य

28. प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावलियां भेजी । सं.रा.अम., फ्रांस, जापान तथा ईरान के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने निर्धारित रूप तथा तरीके में निवेदन एवं प्रश्नावली का उत्तर दर्ज नहीं कराया । करार के अनुच्छेद 6.8 में यह प्रावधान है कि यदि कोई इच्छुक पक्षकार आवश्यक जानकारी की पहुंच की मनाही करता है अथवा अन्यथा उसे प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में ज्यादा बाधा पहुंचाता है तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक अथवा अंतिम निर्धारण, सकारात्मक अथवा नकारात्मक, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किए जा सकेंगे सं.रा.अम., फ्रांस, जापान तथा ईरान के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए कोई भी निवेदन दर्ज नहीं कराया है, अत: सभी निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है । घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि वे सं.रा.अम.,जापान, फ्रांस तथा ईरान में प्रारंभिक जांव अवधि के दौरान संबद्ध माल की कीमतें प्राप्त नहीं कर सके । चूंकि वास्तविक कीमतें उपलब्ध नहीं हुई अत: घरेलू उद्योग ने क्लोर अल्कली द्वारा प्रकाशित सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए गौण स्रोत से प्राप्त जानकारी दर्ज कराई जिसे समुचित समायोजनों से सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए यथोचित एवं पर्याप्त आधार समझा गया है । अत: सामान्य मूल्य का निर्धारण जांच अवधि के लिए क्लोर अल्कली में बताई गई कीमतों के अधार पर किया गया है । इन कीमतों को सुपुर्द कीमतें माना गया और संभावित अंतर्देशीय भाड़े के लिए समायोजन किया गया जिससे सामान्य मूल्य का निर्धारण कारखानागत स्तर पर किया जा सके । तद्नुसार, सं.रा.अम., फ्रांस तथा ईरान के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण क्रमश: **** अम.डा./मी.ट., **** अम.डा./मी.ट. और **** अम.डा./मी.ट. पर किया गया है ।

निर्यात कीमत

29. निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंड एस द्वारा उपलब्ध कराए गए सौदेवार आयात आंकड़ों के आधार पर किया जाता है । आयात आंकड़ों की जांच करने पर यह पाया गया कि डीजीसीआईएंडएस द्वारा उपलब्ध कराए गए सौदे-वार आंकड़ों में अन्य उत्पादों से संबंधित आंकड़े भी शामिल रहे । अत: विचाराधीन उत्पाद के संबंध में आयात आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और उन्हें अलग किया गया जिन्हें कॉस्टिक सोडा लाई तथा फ्लेक/ठोस रूपों के लिए पुन: अलग-अलग किया गया । डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों के अनुसार जांच अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका ने 1292 मी.टन, ईरान ने 303 मी.टन, जापान ने 40 मी.टन कॉस्टिक सोडा निर्यात किया । कारखानागत निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस तथा ईरान के निर्यातकों/उत्पादकों से किसी प्रत्युत्तर के अभाव में और अन्य इच्छुक पक्षकारों

से जानकारी के अभाव में उपलब्ध तथ्यों के रूप में समायोजनों पर विचार किया गया । संयुक्त राज्य अमरीका, जापान तथा ईरान के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण क्रमश: **** अम.डॉ./मी. टन, **** अम.डॉ./मी. टन और **** अम.डॉ./मी. टन पर किया गया ।

जापान:

30. प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावलियां भेजी । जापान के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने निर्धारित रूप तथा तरीके में निवेदन तथा प्रश्नावली का प्रत्युत्तर दर्ज नहीं कराया । करार के अनुच्छेद 6.8 में यह प्रावधान है कि यदि कोई इच्छुक पक्षकार आवश्यक जानकारी की पहुंच की मनाही करता है अथवा अन्यथा उसे प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में ज्यादा बाधा पहुंचाता है तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक अथवा अंतिम निर्धारण, सकारात्मक अथवा नकारात्मक, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किए जा सकेंगे । चूंकि जांच अवधि के दौरान जापान से संबद्ध माल का कोई निर्यात नहीं हुआ है अत: मौजूदा पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं किया जा सकता ।

च. 4 पाटन मार्जिन

31. ऊपर यथा निर्धारित सामान्यू मूल्य तथा निर्यात कीमत के आधार पर प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन का आंकलन निम्नानुसार किया है :-

निर्यातक/उत्पादक	सामान्य मूल्य (अम.डा./मी.टन)	निर्यात कीमत (अम.डा./मी.टन)	निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में पाटन मार्जिन
सऊदी अरब			
एसएडीएफ (उत्पादक) और एसएबीआईसी (निर्यातक)	****	****	149.81
एसएडीएफ (उत्पादक) और एमगल्फ (निर्यातक) एसटीएमई की मार्फत	****	****	92.61
एसएडीएफ (उत्पादक) और ट्राइकोन (निर्यातक) एसटीएमई की मार्फत	****	****	85.23
सऊदी अरब के सभी अन्य निर्यातक/उत्पादक	****	****	149.81
फ्रांस-सभी निर्यातक/उत्पादक	****	****	56.13
ईरान-सभी निर्यातक/उत्पादक	****	****	34
जापान-सभी निर्यातक/उत्पादक (मूल जांच में यथापुष्ट पाटन)	****	****	190.7
सं.रा.अम.-सभी निर्यातक/उत्पादक			139.36

च. 5 पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

32. इस बात के निर्धारण के उद्देश्य से कि क्या लगाया गया शुल्क पाटन को समाप्त करने के लिए आवश्यक है, प्राधिकारी ने निम्नलिखित कारकों पर विचार किया :-

- मूल जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन ।
- मौजूदा जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन - जहां कहीं जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यात हुए उस पर विचार किया गया और पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया ।
- जहां कहीं जांच अवधि के दौरान भारत को कोई निर्यात नहीं हुआ वहां मूल जांच में आंकलित पाटन मार्जिन पर विचार किया गया ।
- मुक्त रूप से निपटान योग्य मौजूदा एवं संभाव्य क्षमताएं, विदेशी उत्पादकों द्वारा किए गए ज्ञात क्षमता विस्तार के मद्देनजर, भारत में मौजूदा कीमतों, निर्यातों की वास्तविक एवं संभाव्य मात्रा, इन देशों से अन्य देशों के लिए निर्यात कीमत ।

33. इन कारकों की जांच करने पर यह नोट किया जाता है कि :-

(क) सऊदी अरब, ईरान, सं.रा.अम. और फ्रांस के मामले में पाटन मार्जिन काफी है ।

(ख) सिफारिश के लिए प्रस्तावित बैंच मार्क को देखते हुए यदि निर्यात इस बैंच मार्क से कम कीमत पर होता है तो वह पाटित कीमतों पर होगा । अतः निर्यातों के पाटित कीमतों पर होने की संभावना है, यदि आयात सिफारिश के लिए प्रस्तावित बैंच मार्क से कम कीमत पर होते हैं ।

(ग) संबद्ध देशों से निर्यात कीमत न केवल सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर हुए हैं बल्कि भारत में मौजूदा बिक्री कीमतों और घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित अक्षतिकारी कीमत से कम कीमत पर हुए हैं ।

(घ) निर्यातकों द्वारा यह नहीं दर्शाया गया है कि पाटनरोधी शुल्क को वापिस लिए जाने के परिणामस्वरूप पाटन तथा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की संभावना नहीं होगी और लगाए गए शुल्क को जारी रखना पाटन को समाप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है ।

(ङ) जांच अवधि से पहले विगत में निर्यातक देशों के उत्पादकों द्वारा प्राप्त क्षमता उपयोग के स्तर को देखते हुए और जांच अवधि के दौरान प्राप्त क्षमता उपयोग के मद्देनजर प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में मौजूद अप्रयुक्त क्षमताओं का निर्धारण किया । घरेलू उद्योग द्वारा सीएमएआई से उपलब्ध कराई गई जानकारी के

आधार पर यह नोट किया जाता है कि संयुक्त राज्य अमरीका के उत्पादकों के पास मौजूद अप्रयुक्त क्षमता 1028000 मी.टन की सीमा तक रही, जापानी उत्पादकों के पास यह 707000 हजार मी.टन, ईरानी उत्पादकों के पास 120000 हजार मी.टन, सऊदी अरब के उत्पादकों के पास 9000 मी.टन रही जबकि पश्चिमी यूरोप के उत्पादकों के मामले में यह 1886000 मी.टन रही । दूसरे शब्दों में, इन देशों के उत्पादक इन सीमाओं तक माल के ऑफर कर सकते हैं ।

(च) सीएमएआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार

सं.रा.अम. अप्रयुक्त क्षमता	1028000 मी.टन
सऊदी अरब अप्रयुक्त क्षमता	9000 मी.टन
जापान अप्रयुक्त क्षमंता	707000 मी.टन
ईरान अप्रयुक्त क्षमता	120000 मी.टन
फ्रांस अप्रयुक्त क्षमता	1886000 मी.टन
संबद्ध देशों में कुल अप्रयुक्त क्षमता	3750000 मी.टन
भारतीय मांग	
➢ कैप्टिव खपत को छोड़कर	1851505 मी.टन
➢ कैप्टिव खपत सहित	2108996 मी.टन

(छ) सीएमएआई की रिपोर्टों के अनुसार विश्व में मौजूदा मांग-सप्लाई स्थिति निम्नानुसार है :-

मांग	50031000 मी.टन
क्षमता	57574000 मी.टन
बेसी	7543000 मी.टन

चूंकि विश्व भर में बेशी क्षमता मौजूद है अत: यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से भारतीय बाजार को निर्यात होने की संभावना है । क्षमता, उत्पादन, बिक्रियों तथा मांग के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क को वापस लिए जाने के परिणामस्वरूप पाटन होगा और इस संबंध में पाटन को समाप्त करने के लिए लगाए गए शुल्क को जारी रखना आवश्यक है । यह नोट किया जाता है कि जापान से संबद्ध माल के निर्यात आंकड़ों के अभाव में मौजूदा पाटन का निर्धारण नहीं किया जा सका, तथापि पाटन की संभावित जांच के आधार पर यह यथोचित पाया गया कि मूल जांच में 190.7% पर निर्धारित पाटन मार्जिन को अपना लिया जाए ।

(ज) जांच अवधि के लिए पाटन की जांच और पाटन की संभावना से यह इंगित होता है कि संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध माल के संबंध में पाटन मार्जिन बहुत है । इच्छुक पक्षकारों ने तर्क दिया है कि पिछले 4 वर्षों के दौरान

आर्थिक परिदृश्य में काफी बदलाव आया है और इस दौरान घरेलू उद्योग में सुधार हुआ है जो कि उनकी वार्षिक रिपोर्टों से स्पष्ट है । इच्छुक पक्षकारों ने यह भी दावा किया है कि कीमत ढांचे और सप्लाई-मांग परिदृश्य के बदले वे बाजार गति विज्ञान में किसी भी उत्पादक के लिए भारत में माल का पाटन करना कोई जरूरी नहीं होगा । यह नोट किया जाता है, हालांकि संभावना परीक्षण इस बात की जांच करने के लिए बदले हुए बाजार गति विज्ञान के मद्देनजर जरूरी है कि क्या शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन के जारी रहने की कोई संभावना है, लेकिन इस बारे में इच्छुक पक्षकार द्वारा कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया । विश्वव्यापार आंकड़ों से इंगित होता है कि संबद्ध देशों से विश्व बाजार के लिए संबद्ध माल की निर्यात कीमत तुलनीय अवधियों के लिए भारत के लिए निर्यात कीमत की तुलना में कम रही है । उपरोक्त को देखते हुए यह नोट किया जाता है कि बदले हुए बाजार गति विज्ञान के बावजूद यह निष्कर्ष देना कठिन होगा कि शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध देश से पाटित कीमत पर भारतीय बाजार ने निर्यातों के प्रवेश होते रहने की संभावना है ।

छ. क्षति निर्धारण की पद्धति और क्षति एवं कारणात्मक संबंध की जांच

34. प्राधिकारी नोट करता है कि चूंकि यह पहले से ही लागू पाटनरोधी शुल्क की अंतिम समीक्षा है, अत: घरेलू उद्योग को हो रही वास्तविक क्षति के जारी रहने और वास्तविक क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संबद्ध देशों से संबद्ध माल के वास्तविक अथवा संभावित आयातों के संदर्भ में जांच किए जाने की आवश्यकता है ।

छ.1 क्षति का जारी रहना

35. प्राधिकारी घरेलू उद्योग के उन तर्कों को नोट करता है कि किसी अंतिम समीक्षा जांच में क्षति एवं कारणात्मक संबंध का निर्धारण आवश्यक नहीं होता है जैसा कि अपीलीय निकाय ने अमरीका-अर्जेन्टीना से ऑयल कन्ट्री टुबूलर गुड्स पर पाटनरोधी शुल्कों की अंतिम समीक्षा के मामले में अपनी अंतिम रिपोर्ट में निर्णय दिया था । किन्तु, जांच अवधि के दौरान सं.रा.अमरीका, ईरान, सऊदी अरब तथा फ्रांस से निर्यातित संबद्ध माल के संबंध में सकारात्मक पाटन मार्जिन को साबित करते हुए और जापान से पाटन की संभावना को देखते हुए प्राधिकारी ने लागू पाटनरोधी शुल्कों की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि कोई हो, की भी जांच की है ।

36. यह नोट किया जाता है कि कॉस्टिक सोडा का आयात समानांतर जांच के तहत शामिल देशों/क्षेत्रों सहित अनेक देशों से हो रहा है । प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि संबद्ध देशों के अलावा कतर, कोरिया तथा चीन के विरूद्ध पाटनरोधी शुल्क लागू है । चीनी ताईपेई, इंडोनेशिया तथा यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर) के विरूद्ध की

गई मध्यावधि समीक्षा से इन देशों से निरंतर तथा/अथवा संभावित पाटन एवं क्षति होने की पुष्टि हुई है ।

छ.2 घरेलू उद्योग के विचार

37. घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि :-

(i) प्राधिकारी के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह किसी अंतिम समीक्षा मामले में पाटनरोधी करार के अनुच्छेद-3 अथवा उक्त नियमावली के अनुबंध-II की अपेक्षाओं को सीमित रखे और पुनरीक्षा जांचों में कारणात्मक संबंध की जांच जरूरी नहीं है । इस संबंध में ओटीसीजी के मामले में डब्ल्यूटीओ के निर्णय का हवाला दिया गया है और उसी पर विश्वास किया गया है ।

(ii) हालांकि घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में अनेक कारकों (आवश्यक रूप से मात्रा संबंधी कारकों) के संबंध में सुधार हुआ है लेकिन अनेक कीमत कारकों के संबंध में कार्य-निष्पादन प्रतिकूल रहा है और घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हुई है । किन्तु, घरेलू उद्योग को कॉस्टिक सोडा उद्योग में लगाए गए भारी पूंजी निवेश को देखते हुए वित्तीय स्थायित्व और यथोचित आय का लक्ष्य प्राप्त करना अभी बाकी है । अंतिम समीक्षा जांच में ऐसी स्थिति में जहां घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में सुधार दर्शाया जाता है, प्राधिकारी से उसके बाद यह अपेक्षा है कि वे यदि शुल्क वापिस लिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्षति की संभावित पुनरावृत्ति की जांच करें । यदि यह निर्णय दिया जाता है कि घरेलू उद्योग को समीक्षा अवधि के दौरान निरंतर रूप से वास्तविक क्षति हुई है तो ऐसी स्थिति में पाटनरोधी शुल्क वापस लिए जाने पर घरेलू उद्योग की सकारात्मक स्थिति में व्यवधान आएगा । इसके अलावा, क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना की जांच किए बिना लागू शुल्क को समाप्त किए जाने की अनुमति देने के लिए घरेलू उद्योग की मात्र सकारात्मक स्थिति एक पर्याप्त आधार नहीं होता है । इसे अमरीका-अर्जेन्टीना से ऑयल कन्ट्री टुबूलर गुड्स पर पाटनरोधी शुल्कों की अंतिम समीक्षा के मामले में डब्ल्युटीओ अपीलीय निकाय द्वारा कायम रखा गया है ।

(iii) घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है जिसे काफी सकारात्मक कीमत कटौती, संबद्ध देशों (और अन्य देशों) के विदेशी उत्पादकों के पास महत्वपूर्ण मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमताओं, भारतीय बाजार के कीमत आकर्षण (अन्य तीसरे देशों के बाजार की तुलना में भारतीय बाजार अपेक्षतया अधिक कीमतें), संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा तीसरे देश के बाजारों में पाटन द्वारा साबित किया जाता है ।

(iv) वर्ष 2004 में कॉस्टिक सोडा की विश्वव्यापी उत्पादक क्षमता 65.41 मिलियन मी.टन आंकी गई जबकि कॉस्टिक सोडा की विश्वव्यापी मांग 52.8 मिलियन मी. टन रही थी । इस प्रकार 12.52 मिलियन मी.टन का बेशी माल मौजूद रहा जो क्षमता के लगभग 20% हिस्सा है ।

(v) विभिन्न कारकों पर विचार करते हुए प्राधिकारी को उचित ढंग से क्लोरीन को वही व्यवहार देना चाहिए जो लागत लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत ढंग से प्रमाणित उसकी लेखा पुस्तकों में कंपनी द्वारा प्रदान किया गया है ।

(vi) डीजीसीआईएंडएस द्वारा बताए गए सौदों की संख्या और घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए वास्तविक साक्ष्य इस बात को स्पष्ट करते हैं कि लाई रूप में वस्तुओं का आयात असामान्य उच्च कीमत पर नहीं किया जा सकता है । असामान्य अवास्तविक निर्यात कीमत के मद्देनजर ऋणात्मक रूप में आकलित कटौती निर्धारण ईरान से पाटित आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का कारण नहीं हो सकता है ।

(vii) घरेलू उद्योग ने आगे तर्क दिया है कि निर्णायक समीक्षा में केवल ऋणात्मक कीमत कटौती का अर्थ क्षति की कोई संभावना या उसकी पुनरावृत्ति न होना नहीं होता है । पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता यह स्पष्ट करती है कि यदि पाटनरोधी शुल्क वापस लिया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति होने की आशंका है ।

छ. 3 <u>निर्यातक/आयातक/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार:</u>

38 हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि :-

(i) घरेलू उद्योग के इस दावे के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं है कि यदि शुल्क हटाया जाता है तो क्षति की पुनरावृत्ति होगी ।

(ii) समीक्षा अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है । प्राधिकारी को क्षति का निर्धारण करते समय एडीए के अनुच्छेद 3.1, नियम-II में यथा अधिदर्शित अनेक कारकों पर विचार करना चाहिए ।

(iii) घरेलू उद्योग क्षति की पुनरावृत्ति के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला बनाने में विफल रही है । पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी संबद्ध वस्तुओं के आयातों में भारी गिरावट नहीं आई और आयात मात्राएं अप्रभावित रहीं इसलिए यदि शुल्क हटाया जाता है तो आयात नहीं बढ़ेंगे ।

(iv) निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी करार के अनुच्छकद 3.4 में यथा अधिदर्शित क्षति के सभी सूचीबद्ध कारकों की जांच करने में विफल रहे हैं । डब्ल्यू टी ओ द्वारा अपीलीय निकाय के विभिन्न निर्णयों जिनमें मुख्यत: पैनल रिपोर्ट के पैरा 6.154 में भारत से कॉटन टाइप बेड लिनेन के आयात संबंधी पाटनरोधी शुल्क, ब्राजील से कुक्कुर उत्पादों पर निश्यात्मक पाटनरोधी शुल्क और पोलेझउ से लोहे के एंगल्स शेप्स और सेक्शस तथा नॉन-एलॉय इस्पात तथा एय-बीम्स पर पाटनरोधी शुल्क शाकिल किया है, में क्षति निर्धारण की व्याख्या एवं उस पर विचार किया है । उन्होंने अनुरोध किया है कि किसी भी क्षति संबंधी कारक से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है ।

(v) घरेलू उद्योग पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध सिद्ध करने में विफल रहा है । अन्य कारक जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रासंगिम हैं, अन्य स्रोतों से आयात, भारतीय उतपादकों की सीमित क्षमता, अन्य उतपादों के उतपादन में मौजूदा क्षमता एवं योजनागत क्षमता का उपयोग इस संबंध में संगत कारक है । संबद्ध देशों से आयात की मात्रा सबसे कम और नगण्य थी ।

(vi) अगले कुछ वर्षों में पाटन या उससे होने वाली क्षति का कोई कारणात्मक संबंध नहीं है । प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा की संबंधित स्थितियां भी इस तथ्य से प्रभावित होती हैं कि भारत की विश्व में सर्वाधिक टैरिफ दरें हैं और घरेलू उद्योग पाटित आयातों के परीक्षण में भी किसी पाटन या किसी क्षति के बीच कारणात्मक संबंध दर्शाने में अक्षम रहा है ।

(vii) घरेलू उद्योग को पाटन शुल्क को लागू रखने को युक्तिसंगत ठहराने के लिए वास्तविक क्षति का खतरा या क्षति की आशंका दर्शानी चाहिए ।

(viii) क्षति संबंधी निर्धारण 50% से कम भारतीय उत्पादन के आधार पर नहीं किया जा सकता है ।

(ix) क्षति क्रम बिक्री प्राप्तियों के साथ बढ़ते हुए निर्यातों और घरेलू मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए क्षमता में वृद्धि में विफलता के कारण हुई है ।

(x) क्षति विश्लेषण में कैप्टिव खपत की उपेक्षा नहीं की जा सकती है ।

(xi) घरेलू उद्योग को ऐतिहासिक लाभ हो रहे हैं और यह कि भारतीय बाजार में आयातों से कोई खतरा नहीं है । कुछेक घरेलू विनिर्माताओं अर्थात बिहार कॉस्टिक एवं कैमिकल्स लि., डीसीएम श्रीराम कन्सोलीडेटेड लि., कनोरिया कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लि., आंध्रा शुगर्स लि. और ट्रावनकोर कोचीन कैमिकल्स लि. आदि ने अपने विस्तार की योजना बनाई है जिससे कॉस्टिक सोडा की कुल स्थापित क्षमता 1,35,852 मी.टन हो जाएगी, जिससे यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति की स्थिति में है ।

(xii) बाजार में ईसीयू प्राप्तियों में प्रत्येक अलग घटक की प्राप्तियों में 100%-200% की वृद्धि के साथ जबरदस्त वृद्धि हुई है । अमरीका और पश्चिमी यूरोप की तुलना में भारत में ईसीयू प्राप्तियां अधिक रही हैं ।

(xiii) सेस्टेट के हाल के निर्णय के आलोक में क्षति रहित कीमत और क्षति मार्जिन की गणना के प्रयोजनार्थ कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन को समान आर्थिक मूल्य का सह-उत्पादों के रूप में माना जाना चाहिए । कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन में बाजार से पर्याप्त और लगभग समान प्राप्तियां करने में सक्षमता है । अत: कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन को संयुक्त उत्पादों का दर्जा दिया जाना चाहिए और न कि उप-उत्पाद का । संयुक्त उत्पादों और उप-उत्पादों के लिए लागत लेखांकन संबंधी लागत लेखांकन संस्थान के विनिबंध में यह माना जाता है कि कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन सह-उतपाद हैं या समान महत्व के उत्पाद हैं । यदि कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन से भारतीय विनिर्माताओं को होने वाली कुल प्राप्तियों का मूल्यांकन एक साथ किया जाए तो यह कॉस्टिक सोडा की उत्पादन लागत से काफी अधिक होगी ।

(xiv) लगाई गई पूंजी पर 12% के अधिक आय की मांग स्थापित कानून और भारतीय स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में सेस्टेट द्वारा यथा स्वीकृत भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति जिसमें आरओसीई के मुद्दे पर दिशा निर्देश दिए गए थे के विपरीत है और इसका पालन करने की आवश्यकता है । सेस्टेट ने यह भी माना था कि यह दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए कि आरओसीई की गणना के लिए लाभ का मार्जिन तर्कसंगत है । क्लोर अल्कली की लगाई गई पूंजी पर 22% की आय को न्यायसंगत नहीं ठहराता है । निर्दिष्ट प्राधिकारी यह बताने में विफल रहे हैं कि सभी उद्योगों के लिए ब्याज समेत 22% आय की एक समान दर पर क्यों विचार किया जाना चाहिए ।

(xv) घरेलू उद्योग को भारत में विद्युत की उच्च लागत के कारण घरेलू बाजार में अप्रतिस्पर्धी होने की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है । घरेलू उद्योग को हुए घाटों के लिए पूंजी संरचना की विकृत प्रकृति उत्तरदायी है । घरेलू उद्योग के पास असामान्य स्तर की उधारियां हैं जिनके परिणामस्वरूप प्रचालनों से होने वाली आय उधारी में चली जाती है और शेयर धारकों के लिए अत्यधिक कम या शून्य अधिशेष बचता है ।

(xvi) कर पश्चात लाभ और मूल्य ह्रास की प्रवृत्ति से यह प्रदर्शित होता है कि घरेलू उद्योग को ब्याज के अत्यधिक बोझ के कारण न कि पाटन के कारण घाटे उठाने पड़ रहे हैं ।

(xvii) कॉस्टिक सोडा की कीमतों में पुन: सामान्य होने की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है जो कुछ वर्षों तक जारी रहेगी ।

(xviii) घरेलू उद्योग ने प्रयोक्ता उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव डालते हुए अनावश्यक लाभ मार्जिन अर्जित करने के लिए कॉस्टिक सोडा की कीमतों में इरादतन और अतर्कसंगत वृद्धि की थी । घरेलू उद्योग ने जानबूझकर एक व्यापार समूह बनाकर कॉस्टिक सोडा की कृत्रिम कमी उत्पन्न की जिसके कारण उत्पादन में कटौती, कॉस्टिक सोडा की कीमतों में आवधिक वृद्धि, सुविचारित अनियमित आपूर्ति हुई ।

(xix) वर्तमान मामले में क्षति का संचयी मूल्यांकन अनुमत्य नहीं था क्योंकि समीक्षा अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा कॉस्टिक सोडा के कुल आयातों का 3% से कम है और समग्र रूप से भारत में आयातों की कुल मात्रा का 7% से कम है ।

(xx) इस समय संबद्ध देशों समेत विश्व बाजार में कॉस्टिक सोडा की उच्च मांग एवं कम आपूर्ति है । इसके परिणामस्वरूप कॉस्टिक सोडा की कीमतों में खाड़ी देशों और अमरीका में प्राकृतिक गैस की कीमतों में वृद्धि के साथ वृद्धि हुई है । याचिकाकर्ता ने गलत ढंग से यह प्रमाणित किया था कि कॉस्टिक सोडा की स्थापित वैश्विक क्षमता विश्व में इस उत्पाद की मांग से अधिक है ।

(xxi) घरेलू उद्योग को समीक्षा अवधि के दौरान कोई मात्रात्मक क्षति या कीमत संबंधी क्षति नहीं हुई है । भारत में कॉस्टिक सोडा की कीमतें अन्य कारकों के कारण जैसे उच्च विद्युत लागत, खराब माल वहन एवं

अवसंरचना, कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता आदि के कारण विश्व के अन्य भागों में कॉस्टिक सोडा की कीमत से अधिक है ।

(xxii) वर्ष 2003-04 के दौरान घरेलू उद्योग के निर्यात में 25% की कमी आई और ये उच्च घरेलू कीमतों और घरेलू खपत के कारण 2003-04 के दौरान 31.20 टन के रहे । घरेलू उद्योग संबद्ध देशों के विरूद्ध पाटन का निराधार मामला बनाकर अनुचित व्यापार प्रक्रिया को अपना रहा है । इस प्रकार सार्वजनिक हित में शुल्क को हटाने का अनुरोध किया गया है ।

(xxiii) प्रकटन विवरण के उत्तर में अपनी टिप्पणियों में हितबद्ध पक्षों ने अनुरोध किया है कि लगाई गई पूंजी पर 2% की आय वास्तविक नहीं है और इस प्रकार निर्दिष्ट प्राधिकारी ने बिना किसी वास्तविक आधार के आरओसीई निर्धारित किया है । आरओसीई के निर्धारण से घरेलू उद्योग को हुई क्षति संबंधी निष्कर्षों पर वास्तविक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उन्होंने सभी मापदंडों संबंधी इस बैंचमार्क के आधार पर क्षति का दावा किया है ।

(xxiv) जांच अवधि के दौरान अधिकांश मापदंड सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाते हैं, इसलिए घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है और यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई आधार उपलब्ध नहीं कराया गया है कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की आशंका है । चूंकि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है, इसलिए कथित पाटन के आधार पर कारणात्मक संबंध का दावा नहीं किया जा सकता है ।

(xxv) मै. नॉल्को का यह अनुरोध कि आयातों के कुल घरेलू उत्पादन के 4% से थोड़े अधिक हिस्से से घरेलू उद्योग को या तो क्षति नहीं हुई या ऐसे आयातों से क्षति की पुनरावृत्ति होने की कोई आशंका नहीं है । उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि कॉस्टिक लाई के अधिकांश आयात हो रहे हैं, इसलिए प्राधिकारी की जांच में लाई पर अलग से विचार किया जाना चाहिए ।

छ. 4 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

39. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के संबंध में विभिन्न पक्षों द्वारा दिए गए विभिन्न तर्कों को नोट किया है । यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क संबद्ध देशों के अलावा कतर, कोरिया और चीन के विरूद्ध लागू है और चीनी ताईपेई, इंडोनेशिया और ईयू (फ्रांस को छोड़कर) के विरूद्ध मध्यावधि समीक्षा से

पाटन के जारी रहने के और/या उसकी संभावना तथा/अथवा इन देशों से क्षति होने की पुष्टि हुई है ।

40. प्राधिकारी ने शुल्क को हटाये जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षों के विभिन्न अनुरोधों की जांच की है । यह नोट-किया जाता है कि शुल्क मूल रूप से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर संदर्भ कीमत आधार पर लगाया गया था । यह भी नोट किया जाता है कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9(क) के अनुसार एक समीक्षा की शुरूआत की गई है जिसमें प्राधिकारी द्वारा यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क को अगली पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखना आवश्यक है और क्या जांच की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रदत्त सूचनां और उठाए गए मुद्दों के आधार पर संभावित पाटन एवं क्षति की मात्रा एवं परिमाण तथा शुल्क को हटाए जाने की आवश्यकता की जांच करना अपेक्षित है ।

41. जांच अवधि में वर्तमान क्षति के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के मात्रात्मक एवं कीमत संबंधी प्रभावों की जांच की है । प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है और सबद्ध देशों में से प्रत्येक पाटन की संभावना भी निर्धारित की गई है । संबद्ध देशों से सभी निर्यातों को क्षति एवं कारणात्मक विश्लेषण के प्रयोजनार्थ पाटित आयात माना गया है ।

42. घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगने के कारण संबद्ध देशों में से कुछेक से कोई आयात या नहीं हो रहे हैं या नगण्य आयात हो रहे हैं और ऐसे मामलों में संचयन नहीं किया जा सकता और यदि क्षति की पृथक जांच भी की जाए तब भी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों में से प्रत्येक से पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति होने की आशंका है । संबद्ध वस्तुओं का आयात समान टैरिफ वर्गीकरण के तहत हुआ है और आयातित उत्पाद के लिए समान प्रयोक्ता उद्योग के लिए हुआ है तथा घरेलू उत्पाद समान है तथा वे एक समान बाजार में प्रतिस्पर्धा करते हैं । तद्नुसार प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति और क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का आकलन किया है ।

<u>मात्रात्मक प्रभाव</u>

43. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है । पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (ii) में निम्नानुसार व्यवस्था है :-

"पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी यह विचार करेंगे कि क्या समग्र रूप से या भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से पाटित आयातों में भारी वृद्धि हुई है ।"

मांग और बाजार हिस्से का मूल्यांकन

44. भारत में उत्पाद की मात्रा का परिकलन घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों, अन्य भारतीय उत्पादकों के उत्पादन और विभिन्न देशों से संबद्ध वस्तु के कुल आयातों को जोड़कर किया गया है । इस प्रकार आकलित मांग निम्नांकित तालिका में दर्शाई गयी है :-

मी टन	2000-01	2001-02	2002-03	जांच अवधि-वार्षिकीकृत
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	730,129	756,220	784,438	842,930
सूचीबद्ध	100.00	103.57	107.44	115.45
घरेलू उद्योग का उत्पादन	789,600	819,011	846,998	892,492
आयात				
संबद्ध देश	23,012	5,438	7,159	15,552
सूचीबद्ध	100.00	23.63	31.11	67.58
अन्य देश	50,609	33,533	107,526	71,042
- जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	39,046	29,689	95,928	36,681
- जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है	11,563	3,844	11,598	34,361
कुल आयात	73621	38971	114685	86594
सूचीबद्ध	100.00	52.93	155.78	117.62
मांग	1,635,448	1,623,806	1,792,411	1,851,494
सूचीबद्ध	100.00	99.29	109.60	113.21

45. यह देखा जाता है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में क्षति अवधि के दौरान सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है । क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री में सुधार हुआ है, जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग पूर्ववर्ती पाटन के प्रभावों की क्षतिपूर्ति कर रहा है । यह भी नोट किया जाता है कि अमरीका, फ्रांस, सऊदी अरब और ईरान से जांच अवधि के दौरान पाटित कीमतों पर कॉस्टिक सोडा का आयात जारी है । जांच से यह भी पता चला है कि यदि इस स्तर पर वर्तमान पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो संबद्ध देशों के निर्यातक/उत्पादक पाटित कीमतों पर निर्यात जारी रखेंगे या उसे पुन: शुरू कर देंगे । यह नोट किया जाता है कि अमरीका, फ्रांस, सऊदी अरब और ईरान से संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा कम थी और जांच अवधि के दौरान जापान से कोई आयात नहीं हुए थे । तथापि, इससे पाटन

अवधि शुल्क हटाये जाने पर क्षति की पुनरावृत्ति की असंभाव्यता सिद्ध नहीं होती है ।

	2000-01	2001-02	2002-03	जांच अवधि-वार्षिकीकृत
आयात मात्रा				
फ्रांस	0	9	80	27
जापान	17,260	2,476	-	-
सऊदी अरब	612	-	6,046	14,460
अमरीका	5,140	2	866	863
ईरान	-	2,951	167	202
संबद्ध देशों का योग	23,012	5,438	7,159	15,552
सूचीबद्ध	100	23.63	31.11	67.58
अन्य देश	50,609	33,533	107,526	71,042
कुल आयात	73,622	38,971	114,685	86,594
सूचीबद्ध	100	52.93	155.78	117.62
आयातों का बाजार				
फ्रांस	0.00	0.02	0.07	0.03
जापान	23.44	6.35	-	-
सऊदी अरब	0.83	-	5.27	16.70
अमरीका	6.98	0.01	0.76	1.00
ईरान	-	7.57	0.15	0.23
संबद्ध देशों का योग	31.26	13.95	6.24	17.96
अन्य संबद्ध देश	68.74	86.05	93.76	82.04

कुल आयातों में संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में आधार वर्ष में 31.26% से जांच अवधि के दौरान 17.96% तक की गिरावट आयी है जबकि इसी अवधि में अन्य देशों से आयातों में 68.74% से 82.04% तक की वृद्धि हुई है । यह नोट किया जाता है कि पाटित आयातों का हिस्सा इस निर्णायक समीक्षा जांच में शामिल देशों समेत विभिन्न स्रोतों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण घटा है ।

कीमत प्रभाव

46. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में नियमावली के अनुबंध-II (ii) में निम्नानुसार उल्लेख है

"नियम 18 के उपनियम (2) में यथा उल्लिखित कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी यह विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की जा रही है या क्या

ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में अत्यधिक मात्रा में कमी करना है या ऐसी कीमत को रोकना है जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती ।"

47. निर्यायक समीक्षा जांच में यह जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत प्रभाव पड़ा है, या क्या पाटन अवधि शुल्क को हटाये जाने की स्थिति में प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ने की आशंका है । यह देखा जाता है कि पाटनरोधीं शुल्क लगाए जाने के बावजूद संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित बिक्री कीमत, उत्पादन लागत और क्षति रहित कीमत से काफी कम रही है । यदि पाटन रोधी शुल्क हटाया जाता है तो आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में भारी कटौती होगी । अत: यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क को हटाए जाने की स्थिति में प्रतिकूल कीमत प्रभाव की आशंका है ।

रूपए प्रति मी. टन	अमरीका	ईरान	सऊदी अरब	जापान	फ्रांस
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्तियां	****	****	****	****	****
पहुंच मूल्य	9,910	13,009	7,554	7,264	13,230
कीमत कटौती	****	****	****	****	****
कीमत कटौती (%)	****	****	****	****	****

48. घरेलू बाजार पर आयातों के प्रभाव का आकलन करने के लिए प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान आयात कीमतों का विश्लेषण किया है और यह पाया है कि अमरीका, ईरान, सऊदी अरब और फ्रांस ने भारत को अपने निर्यातों के संबंध में अपनी कीमतों को लगातार निम्न स्तर पर रखा है । सीमाशुल्क में कमी और आयातों की कीमत में गिरावट से आयातों की पहुंच कीमत में और कमी आई है । घरेलू उद्योग में प्रतिस्पर्धा के कारण लागत संरचना में परिवर्तन यदि कोई हो और प्रतिस्पर्धी स्थानापन्नों की कीमतों की जांच पाटित आयात से इतर कारकों के विश्लेषण हेतु की गई है जिनके घरेलू बाजार में कीमतों पर प्रभाव डालने की संभावना है और यह नोट किया जाता है कि इस उत्पाद का कोई व्यवहार्य स्थानापन्न नहीं है और पाटित कीमतों के कारण कीमतों पर प्रभाव पड़ सकता है ।

49. घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली का निर्धारण करों और शुल्कों, छूटों, अन्य छूटों तथा मालभाड़े एवं परिवहन को छोड़कर बिक्री कीमत पर विचार करते हुए किया गया है । इस प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की संपूर्ण बिक्री मात्राओं पर विचार किया गया है । आयातों की पहुंच कीमत का निर्धारण 1% पहुंच प्रभारों तथा लागू मूल सीमाशुल्क के साथ भारित औसत सीआईएफ आयात कीमत के आधार पर किया गया है । यह तुलना

कॉस्टिक सोडा लाई और ठोस रूप के लिए अलग-अलग निवल बिक्री प्राप्तियों और आयातों की पहुंच कीमत के बीच की गई है । जांचाधीन अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के लिए तुलना पाटित आयातों के भारित औसत पहुंच मूल्य और घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री कीमत के बीच की गई थी । जापान के संबंध में, वह कीमत जिस पर विश्व के अन्य देशों को वस्तुओं का निर्यात किया गया था, का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया गया था कि क्या निर्यातों द्वारा घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती के आसार थे यदि ये भारत को उसी कीमत पर किए जाते हैं जिस पर ये तीसरे देशों को किए गए थे । जापान के मामले में कीमत कटौती का निर्धारण मूल जांच की अवधि में निर्धारित निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, कीमत कटौती के निर्धारणार्थ पहुंच कीमत के निर्धारण के लिए इनका बाह्यगणन करके किया गया है । यह पाया गया है कि अमरीका, सऊदी अरब, जापान और फ्रांस से आयातों का पहुंच मूल्य जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्तियों से कम थे । इस प्रकार इनसे यह निर्धारित होता है कि आयातों से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में कटौती हो रही है और पाटनरोधी शुल्क हटाये जाने की स्थिति में इनके और कटौती करने की संभावना है । आयातों का भारित औसत पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्तियों से काफी कम है और इस प्रकार इनसे कीमत कटौती हो रही है । जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से कटौती मार्जिन-17% से 35% के बीच थे ।

रूपए प्रति मी. टन	अमरीका	ईरान	सऊदी अरब	जापान	फ्रांस
घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत	****	****	****	****	****
पहुंच मूल्य	9,910	13,009	7,554	7,264	13,230
कम कीमत पर बिक्री	****	****	****	****	****
कम कीमत पर बिक्री (%)	****	****	****	****	****

50. कम कीमत पर बिक्री की मात्रा की गणना हेतु घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना पहुंच मूल्य के साथ की गई है । घरेलू उत्पादकों के लिए क्षति रहित कीमत का मूल्यांकन क्षमता उपयोग को मानकीकृत करते हुए तथा लगाई गई पूंजी पर तर्कसंगत लाभ प्रदान करते हुए जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन लागत पर उचित ढंग से विचार करके किया गया है । यह विश्लेषण दर्शाता है कि संबद्ध देशों में से प्रत्येक से संबद्ध वस्तु का भारित औसत पहुंच मूल्य जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षतिरहित कीमत से कम है । जांच अवधि के दौरान कम कीमत पर बिक्री के मार्जिन 5% से 47% के बीच रहे हैं ।

<u>घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड</u>

51. नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति निर्धारण में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी । इसके अलावा नियमावली के अनुबंध-II (iv) में उन विभिन्न कारकों और संकेतकों का उल्लेख है जो बिक्रियों, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से उत्पादकता,

निवेशों पर आय या क्षमता उपयोग में सामान्य एवं संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन, नकदी प्रवाह, वस्तु सूची पर वास्तविक एवं संभावित ऋणात्मक प्रभाव, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता समेत उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले हैं ।

उत्पादन एवं बिक्रियां

52. क्षति अवधि के दौरान वास्तविक क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्राओं के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति निम्नानुसार है :-

	2000-01	2001-02	2002-03	जांच अवधि-वार्षिकीकृत
घरेलू उद्योग की क्षमता	897,598	910,098	910,098	910,098
सूचीबद्ध	100.00	101.39	101.39	101.39
घरेलू उद्योग का उत्पादन	789,600	819,011	846,998	892,492
सूचीबद्ध	100.00	103.72	107.27	113.03
घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग	87.97	89.99	93.07	98.07
सूचीबद्ध	100.00	102.30	105.80	111.48
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	730,129	756,220	784,438	842,930
सूचीबद्ध	100.00	103.57	107.44	115.45

यह नोट किया जाता है कि उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू उद्योग की बिक्रियों में क्षति अवधि के दौरान सकारात्मक प्रवृति प्रदर्शित हुई है । संबद्ध देशों समेत विभिन्न स्रोतों से कॉस्टिक सोडा के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद बिक्रियों में हुई वृद्धि के प्रतिक्रियास्वरूप घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई है । तथापि, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों के निर्यातक उन कीमतों पर कॉस्टिक सोडा का निर्यात कर रहे हैं जो पूर्ववर्ती और वर्तमान जांच में निर्धारित संदर्भ कीमत से काफी कम है । इसके अलावा, संबद्ध देशों के निर्यातक नियमित रूप से अन्य देशों को अत्यधिक मात्रा में निर्यात कर रहे हैं और जांच से यह प्रदर्शित होता है कि संबद्ध देशों के उत्पादकों के पास मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता उपलब्ध है । यह भी नोट किया जाता है कि पाटित आयातों से भारी कीमत कटौती होने की संभावना है और संबद्ध विदेशी उत्पादकों के पास अत्यधिक मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमताओं को देखते हुए यह आशंका है कि घरेलू उद्योग को या तो उसकी बिक्री मात्राएं गंवाने या फिर कीमतों में कमी करने की आशंका है । यदि घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री मात्राएं गंवाने को बाध्य होना पड़ा तो यह स्पष्ट है कि पाटनरोधी शुल्क हटाने से बिक्री मात्राओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और परिणामस्वरूप यही प्रभाव उत्पादन और क्षमता उपयोग पर भी पड़ेगा ।

उत्पादकता

53. घरेलू उद्योग की उत्पादकता निम्नांकित तालिका में दी गई है :-

	2000-01	2001-02	2002-03	जांच अवधि-वार्षिकीकृत
प्रति कर्मचारी उत्पादकता (मी.टन)	****	****	****	****
उत्पादकता प्रवृत्ति सूचीबद्ध	100.00	107.46	115.68	129.35

घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है । यह भी नोट किया गया है कि इस जांच सहित पिछली चार जांचों में अनेक-स्रोतों से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के कारण जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने अपने कार्य निष्पादन तथा उत्पादकता में सुधार किया है ।

क्षमता उपयोग में वास्तविक तथा संभावित गिरावट

54. घरेलू उद्योग का वर्तमान क्षमता उपयोग निम्नलिखित है :-

	2000-01	2001-02	2002-03	जांच अवधि-वार्षिकीकृत
घरेलू उद्योग की क्षमता	897,598	910,098	910,098	910,098
सूचीबद्ध	100.00	101.39	101.39	101.39
घरेलू उद्योग का उत्पादन	789,600	819,011	846,998	892,492
सूचीबद्ध	100.00	103.72	107.27	113.03
घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग	87.97	89.99	93.07	98.07
सूचीबद्ध	100.00	102.30	105.80	111.48
मांग	1,635,448	1,623,806	1,792,411	1,851,494
सूचीबद्ध	100.00	99.29	109.60	113.21

उपर्युक्त के आधार पर यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है । पिछली जांचों मे विभिन्न स्रोतों से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के कारण उत्पादन तथा बिक्री में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई हैं । यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता में मामूली वृद्धि हुई है, तथापि संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने से क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है ।

बिक्री में वास्तविक तथा संभावित गिरावट:

55. घरेलू उद्योग की बिक्री की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है :-

मी.टन	2000-01	2001-02	2002-03	जांच अवधि-वार्षिकीकृत
घरेलू उद्योग की बिक्री	730,129	756,220	784,438	842,930
सूचीबद्ध	100.00	103.57	107.44	115.45
आयात				
- फ्रांस	0	9	80	27
- जापान	17,260	2,476	-	-
- सऊदी अरब	612	-	6,046	14,460
- यूएसए	5,140	2	866	863
- ईरान	-	2,951	167	202
- संबद्ध देश	23,012	5,438	7,159	15,552
सूचीबद्ध	100.00	23.63	31.11	67.58
अन्य स्रोत				
पाटनरोधी शुल्क लागू	39,046	29,689	95,928	36,681
सूचीबद्ध	100.00	76.03	245.68	93.94
पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं	11,563	3,844	11,598	34,361

सूचीबद्ध	100.00	33.25	100.30	297.16
कुल अन्य	50,609	33,533	107,526	71,042
सूचीबद्ध	100.00	66.26	212.46	140.37
कुल आयात	73,622	38,971	114,685	86,594
सूचीबद्ध	100.00	52.93	155.78	117.62
घरेलू उद्योग की बिक्री के संबंध में संबद्ध देशों से आयात	3.15	0.72	0.91	1.84
आयातों में बाजार हिस्सा- संबद्ध देश	31.26	13.95	6.24	17.96
आयातों में बाजार हिस्सा- अन्य देश	68.74	86.05	93.76	82.04

क्षति की संपूर्ण अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि हुई है । यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री के संबंध में संबद्ध देशों से पाटित आयातों का हिस्सा आधार वर्ष में 3.15% से घटकर जांच अवधि में 1.01% रह गया है । कुल आयातों में संबद्ध देशों से आयातों का बाजार हिस्सा भी आधार वर्ष में 31.26% से घटकर जांच अवधि के दौरान 17.96% रह गया है, जबकि उपर्युक्त अवधियों में अन्य देशों से आयात 68.74% से बढ़कर 89.27% हो गया है । यह नोट किया गया है कि इस निर्णायक जांच समीक्षा में शामिल देशों सहित विभिन्न स्रोतों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के कारण पाटित आयातों के हिस्से में गिरावट आई है ।

लाभ, निवेश पर आय तथा नकद प्रवाह

56. घरेलू उद्योग के लाभ, निवेश पर आय तथा नकद प्रवाह की वर्तमान तथा संभावित स्थिति की जांच की गई है । घरेलू उद्योग के इन मानदंडों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

लाख में	2000-01	2001-02	2002-03	जांच अवधि-वार्षिकीकृत
करपूर्व लाभ	****	****	****	****
सूचीबद्ध	(100.00)	(45.83)	(155.66)	(21.58)
ब्याज तथा करपूर्व लाभ	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100.00	90.68	(2.93)	128.22
नियोजित पूंजी पर आय- एनएफए आधार पर	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100.00	152.16	(13.60)	37.61
नकद लाभ	****	****	****	****
सूचीबद्ध	(100.00)	52.44	(272.02)	86.96

यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग को हुए घाटे (पी.बी.टी.) में वर्ष 2002-03 के दौरान वृद्धि हुई और तत्पश्चात जांच अवधि में घरेलू उद्योग के घाटे में कमी आई । वर्तमान निर्णायक जांच समीक्षा की मूल जांच संबद्ध वस्तुओं की पहली जांच थी और इस जांच की महत्वपूर्ण तारीखों और घटनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है ।

क्र. सं.	घटना	तारीख
1	यूएसए, जापान, सऊदी अरब, ईरान तथा फ्रांस के विरूद्ध पहली जांच (जांच अवधि अप्रैल, 1998 से सितंबर, 1999 रही)	
	➢ जांच की शुरूआत	26.05.2000
	➢ प्रारंभिक जांच परिणाम	16.11.2000
	➢ प्रारंभिक जांच परिणाम वित्त मंत्रालय	26.12.2000
	➢ अंतिम जांच परिणाम	14.05.2001
	➢ अंतिम जांच परिणाम वित्त मंत्रालय	26.05.2001
2	कतर के विरूद्ध दूसरी जांच (जांच अवधि जनवरी, 2001 से सितंबर, 2001)	
	➢ जांच की शुरूआत	08.10.2001
	➢ प्रारंभिक जांच परिणाम	18.01.2002
	➢ प्रारंभिक जांच परिणाम वित्त मंत्रालय	27.03.2002
	➢ अंतिम जांच परिणाम	7.10.2002
	➢ अंतिम जांच परिणाम वित्त मंत्रालय	31.10.2002
3	चीन तथा कोरिया के विरूद्ध तीसरी जांच (जांच अवधि 2001-02)	
	➢ जांच की शुरूआत	14.05.2002
	➢ प्रारंभिक जांच परिणाम	21.09.2002
	➢ प्रारंभिक जांच परिणाम वित्त मंत्रालय	26.12.2002
	➢ अंतिम जांच परिणाम	04.08.2003
	➢ अंतिम जांच परिणाम वित्त मंत्रालय	26.12.2003
4	चीनी ताइपेई, इंडोनेशिया तथा फ्रांस को छोड़कर ई यू के विरूद्ध चौथी जांच (जांच अवधि जनवरी, 2002-सितंबर, 2002)	
	➢ जांच की शुरूआत	08.10.2002
	➢ प्रारंभिक जांच परिणाम	08.01.2003
	➢ प्रारंभिक जांच परिणाम वित्त मंत्रालय	27.03.2003
	➢ अंतिम जांच परिणाम	01.10.2003
	➢ अंतिम जांच परिणाम वित्त मंत्रालय	14.11.2003

57. यह नोट किया गया है कि आधार वर्ष के दौरान कतर से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग कठिनाई का सामना कर रहा था; तत्पश्चात कोरिया तथा चीन एवं इसके साथ-साथ इंडोनेशिया चीनी ताइपेई एवं यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर) से पाटित आयातों के कारण इसे क्षति हुई । इन स्रोतों के विरूद्ध शुल्क लगाने के बाद वर्तमान जांच अवधि में लाभ, निवेश पर आय तथा नकद प्रवाह के रूप में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ । तथापि वर्तमान जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग वित्तीय घाटे (पीबीटी) में था । नियोजित पूंजी से आय वर्ष 2001-2002 तक सकारात्मक थी, जो वर्ष 2002-2003 में नकारात्मक हो गई तथा जांच अवधि के दौरान इसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ । घरेलू उद्योग अधिकांश संघटक बहु-उत्पाद कंपनिया हैं, जो विचारधीन उतपाद के नकद प्रवाह की जानकारी नही रखती; अत:

घरेलू उद्योग की नकद प्रवाह की स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सका । तथापि, विचाराधीन उत्पाद के संबंध में नकद लाभ जो 2001-02 तक सकारात्मक था, 2002-03 में नकारात्मक हो गया । यह नोट किया गया है कि एक या दूसरे स्रोत से पाटन के कारण लाभ नकद प्रवाह तथा नियोजित पूंजी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । विभिन्न स्रोतों से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद घरेलू उद्योग के वित्तीय स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ, तथापि इन मानदंडों में से कोई भी संतोषजनक स्थिति तक नहीं पहुंच पाया । क्षति अवधि के दौरान भी घरेलू उद्योग लगातार वित्तीय हानि होती रही ।

मांग में बाजार हिस्सा

58. पाटित आयातों में वास्तविक तथा संभावित वृद्धि और मांग में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से की जांच की गई । संबद्ध देशों से आयातों और भारत में उत्पादन/खपत के संबंध में आयातों के हिस्से का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है :-

	2000-01	2001-02	2002-03	जांच अवधि-वार्षिकीकृत
मांग में बाजार हिस्सा-आबद्ध छोड़कर				
घरेलू उद्योग	44.64	46.57	43.76	45.52
अन्य उत्पादक	50.86	51.03	49.84	49.80
संबद्ध देश	1.41	0.33	0.40	0.84
अन्य देश	3.09	2.06	6.00	3.84
मांग में बाजार हिस्सा-आबद्ध सहित				
घरेलू उद्योग	51.51	53.49	51.01	52.17
अन्य उत्पादक	44.54	44.42	43.41	43.72
संबद्ध देश	1.23	0.29	0.35	0.74
अन्य देश	2.71	1.80	5.23	3.37
घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में आयात (संबद्ध देश)	2.91	0.66	0.85	1.74
घरेलू उद्योग की बिक्री के संबंध में आयात (संबद्ध देश)	3.15	0.72	0.91	1.84

यह नोट किया जाता है कि कुल आयात में संबद्ध देशों से पाटित आयात का हिस्सा वर्ष 2000-01 में 31.26% से घटकर जांच अवधि के दौरान 17.96% रह गया और कुल मांग में संबद्ध देशों से पाटित आयातों का हिस्सा 1.41% से घटकर 0.84% (आबद्ध छोड़कर मांग में) जांच अवधि के दौरान 1.23 % से घटकर 0.74 % (आबद्ध सहित मांग में) रह गया है । इस प्रकार वर्तमान शुल्क अस्तित्व में रहने से मांग में आयातों का बाजार हिस्सा घट गया है जबकि कुल मांग में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पहले तो गिरावट आई, परंतु जांच अवधि के दौरान इसमें सुधार हुआ । प्राधिकारी ने, वर्तमान शुल्क हटा लिए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों के बाजार हिस्से की संभावित स्थिति की भी जांच की । यह नोट किया गया कि इस जांच के स्रोतों सहित विभिन्न स्रोतों से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के कारण पाटित आयातों में गिरावट और बाजार हिस्से में सुधार हुआ है । संबद्ध देशों से भारत तथा अन्य देशों को उत्पादकों तथा निर्यातकों की कीमत स्तरों पर विचार करने पर

रिकार्ड में उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि उत्पादक और निर्यातक भारतीय बाजार में प्रचलित कीमतों से कम कीमत पर उल्लेखनीय मात्रा में निर्यात कर रहे हैं । यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों के निर्यातक कम कीमतों पर अन्य देशों को निर्यात कर रहे हैं और उनके पास अतिशेष क्षमता उपलब्ध है । इसके मद्देनजर यह मानने का कोई कारण नहीं है कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटा लिया जाए तो ये उत्पादक व निर्यातक पाटित कीमतों पर भारत को उल्लेखनीय मात्रा में सामग्री का निर्यात नहीं करेंगे । आयात की संभावित मात्रा को देखते हुए यह नोट किया जाता है कि मांग में संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा, पाटनरोधी शुल्क हटा लिए जाने पर एक बार पुन: उलेखनीय स्तरों पर पहुंच जाएगा ।

रोजगार तथा मजदूरी

59. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के अधिकांश संघटक बहु उत्पादक कंपनियां हैं, अत: पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के रोजगार स्तरों पर प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है । इसके बावजूद इस मानदंड की जांच की गई तथा रोजगार स्तर व मजदूरी की स्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार रहा है :-

	2000-01	2001-02	2002-03	जांच अवधि-वार्षिकीकृत
रोजगार	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100.00	96.52	92.73	87.39
मजदूरी	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100.00	106.14	105.74	113.77

जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का रोजगार स्तर गिरावट दर्शाता है, तथापि इस मुद्दे पर कोई उल्लेखनीय तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया । मजदूरी में गिरावट नहीं देखी गई, बल्कि समय के साथ इसमें बढ़ोत्तरी देखी गई, जो मजदूरी में वृद्धि का सूचक है ।

कीमत कम रखना तथा कम कीमत पर बिक्री

60. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यह विचार किया जाना अपेक्षित है कि भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत उल्लेखनीय रूप से कम रखी जा रही है, अथवा ऐसे आयातों से कीमतों में उल्लेखनीय स्तर तक अन्यथा मंदी लाना है अथवा कीमत में वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक बढ़ती । घरेलू बाजार पर आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा क्षति की अवधि में आयात कीमतों का विश्लेषण किया गया और यह पाया गया कि संबद्ध देशों के निर्यातक भारत में निर्यात के समय अपनी कीमतें लगातार कम बनाए रखते हैं । सीमाशुल्क में कमी तथा आयातों की कीमतों में कमी से आयातों के पहुंच मूल्य में भी कमी हुई है ।

61. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कर एवं शुल्क, रिबेट, छूट तथा मालभाड़े व परिवहन को छोड़कर बिक्री कीमत पर विचार करके घरेलू उद्योग की निवल बिक्री आय का निर्धारण किया । इस प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की बिक्री की समस्त मात्रा पर विचार

किया गया । आयातों के पहुंच मूल्य का निर्धारण 1% पहुंच प्रभार तथा लागू आधार भूत सीमाशुल्क सहित भारित औसत सीआईएफ आयात कीमत पर विचार करके किया गया है । कॉस्टिक सोडा लाई तथा ठोस कॉस्टिक सोडा की निवल बिक्री, आय तथा इनके आयात की पहुंच कीमत की तुलना की गई । जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयात के भारित औसत पहुंच मूल्य और घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री कीमत की तुलना की गई । जापान के संबंध में अन्य देशों को निर्यात की जा रही वस्तुओं के मूल्य का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया गया कि क्या निर्यात से घरेलू उद्योग की कीमतों की अंडर कटिंग की संभावना होती, यदि ये भारत को उसी कीमत पर किए जाते जिन पर तीसरे देशों को किए गए । जांच अवधि के दौरान स्थापित सामान्य मूल्य पर विचार करके जापान के मामले में कीमत अंडर कटिंग का भी निर्धारण किया गया और यह निर्धारित करने के लिए कि यदि निर्यात सामान्य मूल्य के बराबर अथवा उससे कम कीमत पर किया जाए तो क्या जापान से निर्यात पाटित कीमतों पर होने की संभावना है । इन्हें पहुंच कीमत के निर्धारण हेतु एक्स्ट्रापोलेट किया गया । यह पाया गया कि प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं हेतु घरेलू उद्योग को निवल बिक्री से हुई आय से कम है, जिससे यह स्थापित होता है कि पाटन शुल्क हटा लेने से आयातों के घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत को अंडर कट करने की संभावना है । आयातों का भारित औसत पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग को निवल बिक्री से हुई आय से बहुत कम थे । जांच अवधि के दौरान अंडर कटिंग मार्जिन-17% से 35% तक थी ।

रूपए प्रति मी. टन	यू एस ए	ईरान	सऊदी अरब	जापान	फ्रांस
घरेलू उद्योग को निवल बिक्री से हुई आय	****	****	****	****	****
पहुंच कीमत	9,910	13,009	7,554	7,264	13,230
कीमत अंडर कटिंग	****	****	****	****	****
कीमत अंडर कटिंग (%)	****	****	****	****	****

62. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या निर्यातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में उल्लेखनीय स्तर तक मंदी आने की संभावना है, क्षति के मूल्यांकन की दृष्टि से कीमत अंडरसेलिंग एक महत्वपूर्ण सूचक है । इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग हेतु निर्धारित गैर-क्षतिकारी मूल्य पर विचार किया और इसकी तुलना आयातों के पहुंच मूल्य से की ताकि यह जाना जा सके कि यदि घरेलू उद्योग अपनी कीमतें इनके अनुरूप रखता है तो उसे किस सीमा तक कीमत अंडरसेलिंग का सहारा लेना होगा । घरेलू उत्पादकों के लिए गैर क्षतिकारी कीमत का मूल्यांकन जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत, क्षमता उपयोग की नॉरमेटिंग तथा नियोजित पूंजी पर समुचित मुनाफा लगाकर किया गया है । इसका विश्लेषण यह दर्शाता है कि प्रत्येक संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का भारित औसत

पहुंच मूल्य जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग हेतु निर्धारित गैर क्षतिकारी कीमत से कम है । जांच अवधि के दौरान अंडरसेलिंग मार्जिन 5% से 47% थी ।

रूपए प्रति मी. टन	यू एस ए	ईरान	सऊदी अरब	जापान	फ्रांस
घरेलू उद्योग हेतु गैर-क्षतिकारी कीमत	****	****	****	****	****
पहुंच कीमत	9,910	13,009	7,554	7,264	13,230
कीमत अंडर कटिंग	****	****	****	****	****
कीमत अंडर कटिंग (%)	****	****	****	****	****

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि लागू पाटनरोधी शुल्क हटा लेने से उत्पादों को अपनी सामग्री उन कीमत पर बेचने का अवसर मिलेगा, जिससे घरेलू उद्योग की कीमतों में उल्लेखनीय मंदी आ जाए अथवा कीमत में वृद्धि पर रोक लग जाए, जो अन्यथा हो जाती

सामान सूची

64. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के सामान सूची स्तर की भी जांच की गई जिसका ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :-

मी.टन	2000-01	2001-02	2002-03	जांच अवधि-वार्षिकीकृत
सामान सूची	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100.00	152.63	202.25	161.39
बिक्री के % के रूप में समान सूची	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100.00	147.06	193.60	137.77

उपर्युक्त के आधार पर यह नोट किया गया है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के सामान सूची स्तर में वृद्धि हुई है । तथापि वर्तमान सामान सूची स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि प्रतीत नहीं होती ।

वृद्धि

65. घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मानदंडों की जांच करने पर यह नोट किया गया कि घरेलू उद्योग के विभिन्न मात्रात्मक मानदंड सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाते हैं, जो इस जांच में संबद्ध देशों सहित अनेक स्रोतों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण हैं । यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने लाभ, नकद प्रवाह के रूप में अपने कार्य निष्पादन में सुधार किया है । तथापि, घरेलू उद्योग लाभ अर्जित नहीं कर सका है (उद्योग को लगातार घाटे का सामना करना पड़ा है), नियोजित पूंजी से इसे हुई आय बहुत कम है और घरेलू उद्योग का नकद लाभ भी बहुत कम है । इस प्रकार यह नोट किया गया कि पाटनरोधी शुल्क लागू करने से घरेलू उद्योग की वृद्धि सकारात्मक रही

हैं; और पाटनराधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति मे आयातों से मात्रा तथा कीमत पर दुष्प्रभाव होने की संभावना है, यह स्पष्ट है कि संबद्ध देशों से पाटनरोधी शुल्क हटा लेने पर घरेलू उद्योग की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

पाटन का परिमाण

66. यह नोट किया गया है कि यूएसए, ईरान, फ्रांस तथा सऊदी अरब से आयात के मामले में पाटन मार्जिन निर्धारित सीमा से अधिक है और उल्लेखनीय स्तर पर है तथा उपलब्ध सूचना से पाटनरोधी शुल्क हटा लेने की स्थिति में जापान से उल्लेखनीय पाटन होने की संभावना दिखाई देती है । पहले की गई जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन भी उल्लेखनीय स्तर पर थी । यह नोट किया जाता है कि रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य से पाटनरोधी शुल्क हटा लिए जाने की स्थिति में उल्लेखनीय पाटन की संभावना प्रदर्शित होती है ।

पूंजी जुटाने तथा निवेश की योग्यता

67. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की संबद्ध वस्तुओं की क्षमता क्षति अवधि के दौरान बढ़ी है और जांच अवधि के दौरान कुछ निवेश किया गया था परंतु इसने संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत को प्रभावित नहीं किया, क्योंकि गैर-क्षतिकारी कीमतों के निर्धारण हेतु घरेलू उद्योग की क्षमता नारमेट की गई थी ।

घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

68. पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों, जो घरेलू बाजार में कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं के विश्लेषण हेतु लागत संरचना में परिवर्तन यदि कोई हो, घरेलू उद्योग में प्रतिस्पर्धा की जांच की गई । यह नोट किया गया कि संबद्ध देशों से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से काफी कम है जिससे भारतीय बाजार में कीमत अंडरकटिंग तेजी से हो रही है । यह भी नोट किया गया है कि इस उत्पाद का कोई व्यवहार्य विकल्प नहीं है और आयातित वस्तुओं के पहुंच मूल्य के साथ घरेलू कीमतों में भी परस्पर प्रतिस्पर्धा होती रहती है और पाटित कीमतों के कारण कीमतों पर प्रभाव पड़ सकता है । यह नोट किया गया है कि अनेक स्रोतों से पाटित आयातों में परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है, जिसके परिणामस्वरूप पहुंच मूल्य, घरेलू कीमतों की घट-बढ़ को निर्धारित करते हैं । यह भी पाया गया है कि घरेलू बाजार में इस उत्पाद की मांग काफी अधिक है ।

क्षति तथा क्षति-मार्जिन का परिमाण

69. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित गैर क्षतिकारी कीमत की तुलना क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ निर्यातों के पहुंच मूल्य से की गई । भारित औसत क्षति मार्जिन उल्लेखनीय पाई गई ।

अन्य ज्ञात कारक तथा कारणात्मक संबंध

70. प्राधिकारी का ध्यान निर्णायक समीक्षा जांच में, समीक्षा के मानकों एवं अनुच्छेद 3 (अनुच्छेद 3.5 सहित) लागू करने के बारे में पैनल तथा अपीलीय निकाय के निर्णयों की ओर आकृष्ट किया गया है । यह तर्क दिया गया है कि अमरीका में अर्जेन्टीना से आयल कंट्री ट्यूब्यूलर गुड्स पर पाटनरोधी उपायों की निर्णायक समीक्षा मे अपीलीय निकाय ने पैनल जांच रिपोर्ट के इस निर्णय को बरकरार रखा कि निर्णायक समीक्षा में क्षति की संभावना के निर्धारण पर एडीए के अनुच्छेद 3 मे उल्लिखित दायित्व लागू नहीं होते । अपीलीय निकाय का यह भी अभिमत था कि पाटनरोधी करार जांच प्राधिकारियों को क्षति की संभावना की जांच के दौरान संभावित पाटित आयातों के प्रभाव को संचित करने से नहीं रोकता और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.3 की शर्तें निर्णायक समीक्षा के संदर्भ में लागू नहीं होतीं ।

71. उपर्युक्त तर्कों के होते हुए भी, तथा अपीलीय निकाय के स्वीकृत विचार कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्षति एवं कारणात्मक संबंध की जांच निर्णायक समीक्षा में अधिदेशित अपेक्षा नहीं है; प्राधिकारी द्वारा वर्तमान क्षति तथा वर्तमान क्षति एवं संबद्ध देशों से पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के साथ-साथ क्षति की संभावना की जांच एक साथ की गई है । प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या अन्य सूचीबद्ध ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है अथवा होने की संभावना है ।

अन्य स्त्रोतों से आयातों की मात्रा तथा कीमत

72. विभिन्न देशों से किया गया आयात निम्नानुसार है :-

मी टन	2000-2001	2001-2002	2002-2003	जांच अवधि
संबद्ध देश	23012	5438	7159	15552
पाटनरोधी शुल्क वाले देश	39046	29689	95928	36681
पाटनरोधी शुल्क न लगाने वाले देश	11563	3844	11598	34361
कुल आयात	73621	38971	114685	86594
आयातों में हिस्सा				
संबद्ध देश (%)	31.26	13.95	6.24	17.96
पाटनरोधी शुल्क वाले देश	53.04	76.18	83.64	42.36
पाटनरोधी शुल्क न लगाने वाले देश	15.71	9.87	10.11	39.68

मी.टन	2000-01	2001-02	2002-03	जांच अवधि-वार्षिकीकृत
संबद्ध देश	23,012	5,438	7,159	15,552
फ्रांस	0	9	80	27
जापान	17,260	2,476	-	-
सऊदी अरब	612	-	6,046	14,460

अमरीका	5,140	2	866	863
ईरान	-	2,951	167	202
अन्य देश-पाटनरोधी शुल्क वाले				
कतर	0	17062	2713	2025
चीन	17	7305	202	300
कोरिया जन.गण.	33	0	6230	21519
ताइवान	19032	327	13248	0
इंडोनेशिया	0	4972	42372	12769
फ्रांस को छोड़कर-यूरोपीय संघ	19964	22	30982	67193
अन्य प्रमुख देश-पाटनरोधी शुल्क न लगाने वाले				
रोमानिया	0	0	0	6650
यू ए ई	5132	0	0	1530
अविनिर्दिष्ट	5217	0	135	6173

जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात के अतिरिक्त अन्य अनेक देशों से भी आयात हुए हैं । अन्य स्रोतों से आयात 2000-20001 में 50609 मी.टन से बढ़कर जांच अवधि में 71042 मी.टन हो गया । जांच अवधि के दौरान रोमानिया तथा कोरिया लोक.गण. से आयात न्यूनतम सीमा से अधिक था और भारतीय उत्पादकों में रोमानिया, कोरिया लोक.गण. तथा ब्राजील के उत्पादकों पर पाटन का आरोप लगाते हुए याचिका प्रस्तुत की थी । जांच के उपरांत प्राधिकारी ने इस बात का पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाया कि रोमानिया, कोरिया-लोक.गण. तथा ब्राजील के आयातों से घरेलू उद्योग को उल्लेखनीय क्षति होती है । यह भी नोट किया गया कि पाटनरोधी शुल्क न लगाने वाले स्रोतों से भारित औसत आयात कीमत-संबद्ध देशों की पाटित कीमत अथवा संभावित कीमतों से अधिक है । अत: यह अभिमत व्यक्त किया जाता है कि अन्य स्रोतों से हुए आयातों से घरेलू उद्योग पर मात्रा तथा मूल्य दोनों रूपों में कोई उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव प्रतीत नहीं होता ।

	2000-01	2001-02	2002-03	जांच अवधि
मांग	1,635,448	1,623,806	1,792,411	1,851,494
सूचीबद्ध	100.00	99.29	109.60	113.21

73. विचाराधीन उत्पाद की कुल घरेलू मांग वर्ष 2001-2002 में 1635448 मी.टन से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 1851494 मी.टन हो गई । यह नोट किया गया है कि क्षति की समस्त अवधि में मांग लगातार बढ़ती रही । अत: मांग में संभावित संकुचन वह कारक नहीं है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो ।

व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियां एवं विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

74. संबद्ध वस्तुएं मुक्त रूप से आयात योग्य हैं और घरेलू बाजार में कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियां नहीं हैं । देश में कॉस्टिक सोडा के 37 उत्पादकों में से घरेलू उद्योग में संबद्ध वस्तु के 10 उत्पादक शामिल हैं । भारतीय उत्पादक एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं और साथ ही संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं । घरेलू उद्योग की कीमतें संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य से प्रभावित होती हैं । घरेलू उद्योग को संभावित क्षति की वर्तमान स्थिति का कारण व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियों अथवा विदेशी व घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता ।

प्रौद्योगिक विकास तथा निर्यात कार्य निष्पादन

75. सहयोगी विदेशी उत्पादक तथा घरेलू उद्योग की उत्पादन सुविधाएं एक ही प्रौद्योगिकी पर आधारित पाई गईं । संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की तीन प्रौद्योगिकियां हैं और तीनों रूपों का प्रयोग जारी है । यद्यपि अनेक कंपनियां अपनी प्रौद्योगिकी को मरकरी से मेम्ब्रेन में उन्नयित कर रही हैं, तथापि यह पाया गया कि परिवर्तन की यह प्रक्रिया कोई नई बात नहीं है; न ही जांच से यह पाया गया कि नवीनतम प्रौद्योगिकी वाले उत्पादक की पूर्ण उत्पादन लागत कम है अथवा गैर क्षति कीमत वाली है । प्रौद्योगिकी अथवा प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दों को किसी भी हितबद्ध पक्ष ने घरेलू उद्योग को क्षति के संभावित कारण के रूप में नहीं उठाया है । यह नोट किया गया कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का अल्प मात्रा में निर्यात किया है और इससे कंपनी के प्रचालन पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है । इस प्रकार यदि घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन की तुलना घरेलू उद्योग की समस्त बिक्रियों के साथ की जाए तो महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए निर्यात कारोबार से घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इससे उसे क्षति नहीं हो सकती है।

घरेलू उद्योग की उत्पादकता

76. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान श्रम उत्पादन तथा दैनिक उत्पादन के रूप में घरेलू उद्योग की उत्पादकता वृद्धि प्रदर्शित करती है । यह भी नोट किया गया है कि क्षति की समस्त अवधि में उत्पादन तथा बिक्री में वृद्धि के साथ-साथ उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है ।

77. यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2002-03 में पहले गिरावट आई और जांच अवधि के दौरान सुधार हुआ है । जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग हेतु निर्धारित निवल बिक्री, आय तथा निर्धारित गैर क्षति मूल्य से बहुत कम है और इस प्रकार घरेलू बिक्री कीमतों भारी कटौती हुई है । यदि निर्यात घरेलू उद्योग की कीमतों से कम होता है, तो मात्रा एवं/अथवा मूल्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यह पाटित कीमतों पर भी पड़ेगा । यह भी नोट किया गया कि यदि निर्यात सामान्य मूल्य या इससे अधिक मूल्य पर किया जाए, तो आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के वर्तमान बिक्री मूल्य से काफी अधिक होगा । भारत को घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के लगभग समान या उससे कम कीमत पर होने वाले कोई भी निर्यात पाटित कीमतों पर ही होंगे । अत: यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पाटनरोधी शुल्क वापस ले लेने की स्थिति में घरेलू उद्योग को संभवित क्षति पाटित आयातों के कारण होगी ।

वर्तमान क्षति संबंधी निष्कर्ष:

78. रिकार्ड में दिए गए साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, यह नोट किया जाता है कि :

(क) घरेलू उद्योग के निष्पादन में क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों और उत्पादकता की दृष्टि से सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है ।

(ख) यद्यपि लाभों, नकद लाभों, निवेशों पर आय में सुधार हुआ है तथापि, इन मदों का निष्पादन संतोषजनक नहीं था और घरेलू उद्योग को लगातार वित्तीय घाटे उठाने पड़े थे ।

(ग) घरेलू उद्योग की वस्तु सूची में वृद्धि हुई है ।

(घ) यदि लागू पाटनरोधी शुल्क पर विचार न किया जाए तो आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में भारी कटौती कर रहे थे । इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क के बिना आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षति रहित कीमत से काफी कम है ।

79. पूर्वोक्त पर विचार करने के बाद और रिकार्ड में रखे साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि यद्यपि घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ था और घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई तथापि, घरेलू उद्योग की स्थिति दुर्बल रही है ।

क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना

80. घरेलू उद्योग का यह तर्क है कि निर्णायक समीक्षा के अंतर्गत अपेक्षा यह जांच करने की है कि क्या पाटनरोधी शुल्क हटाने से घरेलू उद्योगे को क्षति जारी रहेगी या इसकी पुनरावृत्ति होगी और इसलिए क्षति के खतरे संबंधी विश्लेषण के लिए सूचीबद्ध कारकों के आधार पर कोई जांच गलत होगी । अत: प्राधिकारी की जानकारी में लाए गए सभी कारकों की जांच यह पता लगाने के लिए की गई है कि क्या शुल्क हटाए जाने की स्थिति में क्षति के जारी रहने की आशंका है । प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं का पाटित कीमतों पर आना जारी है या यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर इनके निर्यात होने की संभावना है । यह जांच करना संगत होगा कि क्या इन पाटित आयातों से यदि शुल्क हटाया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति होना जारी रहेगा । यह पहले ही सिद्ध हो चुका है कि पाटनरोधी शुल्क के बिना संबद्ध देशों से आयातों का वास्तविक पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षति रहित कीमत से कम रहा था ।

81. क्षति के जारी रहने की जांच के अलावा, जांच की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं साक्ष्यों के आधार पर प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना की भी जांच की गई है । प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-II (vii) के अनुसार वास्तविक क्षति की आशंका से संबंधित मापदंडों पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की जांच की है; जिसमें निम्नानुसार उल्लेख है :-

"वास्तविक क्षति की आशंका का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा और न कि आरोप, निराधार कल्पना या सुदूर संभावना पर । परिस्थितियों में परिवर्तन जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिनमें पाटन से क्षति होगी, स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए और आसन्नवर्ती होने चाहिए । वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी के संबंध में निर्धारण करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कारकों पर विचार करेंगे और;

(क) भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की अधिक दर जिससे आयातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो ।

(ख) निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य, या आसन्नवर्ती, पर्याप्त वृद्धि जिनसे किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में पाटित निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो ।

(ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं, जिनसे घरेलू कीमतों पर काफी ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और इनसे अधिक उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है तथा

(घ) उस वस्तु की वस्तु सूची की जांच की जा रही हो"

82. सऊदी अरब को छोड़कर संबद्ध देश के किसी निर्यातक/उत्पादक ने इस समीक्षा जांच का उत्तर नहीं दिया है । घरेलू उद्योग ने सीएमएआई से प्रकाशित सूचना के आधार पर निर्यात देशों की संबद्ध वस्तुओं की क्षमता, उत्पादन और मांग के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है । यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान आयातों की मात्रा, संबद्ध एवं असंबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमतों का स्तर, निर्यातक देशों के पास उपलब्ध अधिशेष/मुक्त रूप से निपटान योग्यता क्षमताओं जैसे कारकों से यह संकेत मिलता है कि पाटनरोधी शुल्क को हटाए जाने से संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि की संभावना है । ऐसी स्थिति में जबकि लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद भारत को वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, तो वर्तमान पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने पर पाटित आयातों की मात्रा में और वृद्धि होने की संभावना है ।

83. संबद्ध देशों तथा चल रही समानांतर जांचों में शामिल देशों में से कुछेक के उत्पादक/निर्यातक भारत में नालको जैसे औद्योगिक उपभोक्ताओं को भारी मात्रा में संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे हैं । यह नोट किया जाता है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान घरेलू उद्योग, नालको, जो पहले संबद्ध वस्तुओं का एक प्रमुख आयातक रहा है, से आपूर्ति के लिए पर्याप्त आर्डर लेने में सक्षम रहा है, जो निम्नांकित से स्पष्ट है :-

नालको की निविदाओं की स्थिति मात्रा (मी.टन में)	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
निविदा के अनुसार मात्रा	100000	115000	120000	120000	120000
प्राप्त विदेशी प्रस्ताव	352000	262000	86000	38000	118000
प्राप्त भारतीय प्रस्ताव	83000	122000	134000	127400	147000
विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए आर्डर	100000	86000	32000	18000	0
भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए आर्डर	0	29000	88000	102000	120000

84. यह नोट किया जाता है कि भारतीय उत्पादकों ने पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद क्षति अवधि के दौरान नालको को संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति में अपने हिस्से में सुधार किया है और वर्ष 2005-06 में उन्होंने आपूर्ति की समस्त मात्रा हासिल कर ली है ।

तथापि नालको के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना जारी रखे हुए हैं और जारी रखने की संभावना है । वर्तमान स्थिति में वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को हटाने से अत्यधिक प्रतिस्पर्धा होगी और विदेशी उत्पादकों द्वारा पाटित कीमतों का प्रस्ताव करने की संभावना है । वर्तमान स्थिति में वर्तमान पादनरोधी शुल्क को हटाने से अत्यधिक प्रतिस्पर्धा होगी और विदेशी उत्पादकों द्वारा पाटित कीमतों का प्रस्ताव करने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होगी । संबद्ध देशों में निर्यातकों के पास उपलब्ध समग्र अधिशेष क्षमता भारत में संपूर्ण खपत और पूर्ववर्ती जांच से पता चलता है कि कॉस्टिक सोडा का बाजार अत्यधिक परिवर्तनशील है और संभावित पाटित कीमतों पर भारत को किए गए किसी निर्यात की भारी मात्रा से कीमत कटौती होने की संभावना है और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होगी । हितबद्ध पक्षों द्वारा इस संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण नहीं उपलब्ध कराया गया है कि संबद्ध देशों में अधिशेष क्षमता का उपयोग पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में सामग्री की आपूर्ति करने में क्यों नहीं किया जाएगा । इस संबंध में भी कोई युक्तियुक्त कारण दिया गया है कि क्यों भारत को या तीसरे देशों को वर्तमान निर्यात कीमतें संभावित कीमतों और निर्यादक देशों में सामान्य मूल्य से अधिक होगी ।

85. लागू उपायों के समाप्त होने के संभावित प्रभाव का आकलन करने की दृष्टि से यह नोट किया जाता है कि इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि संबद्ध देशों के पास उनके उत्पादन और निर्यात मात्राओं को बढ़ाने की पर्याप्त संभावना है । पाटन जांच के आधार पर, यह संभावना है कि उपायों की अनुपस्थिति में संबद्ध देशों के उत्पादक पाटित कीमतों पर वस्तुओं की आपूर्ति करने की नीति अपनाएंगे, जिससे घरेलू उद्योग को आगे और क्षति होगी, जिसने अभी क्षति की भरपाई की है और जिसमें संबद्ध देशों से पाटित आयातों के विरूद्ध लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण सुधार प्रदर्शित हुआ है । इन देशों से निर्यातक उत्पादकों द्वारा कीमतों में कमी करने की संभावना को पाटन और संभावित पाटन के मद्देनजर नजरअंदाज और उससे इन्कार किया जा सकता है । संबद्ध देशों से निर्यातकों का ऐसा कीमत संबंधी व्यवहार और इसी के साथ संबद्ध वस्तुओं की भारी मात्रा की आपूर्ति करने की उनकी क्षमता से समग्र रूप से कीमत संवेदनशील बाजार पर सामान्य कीमत ह्रासकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है । इस प्रकार साक्ष्यों से यह प्रदर्शित होता है कि यदि उपायों को हटाया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

86. हितबद्ध पक्षों का यह तर्क है कि घरेलू उद्योग ने शुल्क हटाए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से आयातों की संभावित मात्रा और किए जाने वाले ऐसे आयातों की संभावित कीमतों तथा ऐसे आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । उन्होंने आगे अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग ने विदेशी उत्पादकों के पास उपलब्ध पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता और भविष्य में संभावित पाटन के बारे में बिना किसी तथ्य को प्रस्तुत किए अपना दावा किया है । एकमात्र प्रतिवादी निर्यातक ने यह तर्क दिया है कि उनके उत्पादन का

पूर्णतः उपयोग किया जाता है और न तो उनके पास निर्यातक के लिए पर्याप्त निपटान योग्य क्षमता है न ही संबद्ध वस्तुओं की असामान्य वस्तु सूची है, तथापि यह नोट किया जाता है कि कंपनी ने पूरे देश के लिए उत्पादन, बिक्री, क्षमता और मांग के संबंध में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की थी । इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया है कि निराधार आरोपों से क्षतिकारी पाटन की भावी संभावना की किसी आशंका का आधार नहीं बन सकता है ।

87. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि संबद्ध देशों के निर्यातक भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करना जारी रखे हुए हैं और संबद्ध देशों के उत्पादकों द्वारा संबद्ध देशों में अतिरेक क्षमता और उनके पास उपलब्ध अधिशेष के कारण भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किए जाने की संभावना है । हितबद्ध पक्षों ने अपने इस दावे के समर्थन में कोई संगत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि अधिशेष तीसरे देशों के लिए था और भारत को निर्यातों के लिए कोई अधिशेष उपलब्ध नहीं होगा । घरेलू उद्योग ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि घरेलू उद्योग और आयातित सामग्री के बीच कीमतों में अंतर इतना अधिक है कि यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो ये संबद्ध देश भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं की भारी मात्रा की आपूर्ति नहीं करेंगे और इसके अलावा जबकि विदेशी उत्पादकों के पास मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमताएं उपलब्ध हैं ।

88. हितबद्ध पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों और अनुरोधों की जांच इन हितबद्ध पक्षों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना/साक्ष्यों तथा प्राधिकारी के रिकार्ड में वर्तमान और संभावित क्षमता, उत्पादन, बिक्रियों, आयातों, निर्यातों, घरेलू मांग और बिक्रियों के संबंध में कीमत स्तरों, भारत और तीसरे देशों को निर्यातों, संबद्ध देशों से आयातों की संभावित कीमतों के बारे में उपलब्ध सूचनाओं/साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए की गई है । यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटन की क्षतिपूर्ति हेतु शुल्क को लागू रखना आवश्यक है, प्राधिकारी ने निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया है :-

(i) मूल जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन ।

(ii) इस प्रयोजनार्थ-वर्तमान जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन जहां भी जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यात मौजूद थे, इन पर विचार किया गया है और पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है । जहां भी जांच अवधि के दौरान भारत को कोई निर्यात नहीं किए गए हैं, प्राधिकारी ने तीसरे देशों को निर्यातों और निर्धारित सामान्य मूल्य पर विचार करते हुए पाटन की संभावना और सिफारिश किए जाने वाले बेंचमार्क के संबंध में पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है ।

(iii) विदेशी उत्पादकों द्वारा किए गए ज्ञात विस्तारों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान और संभावित अधिशेष अप्रयुक्त क्षमताओं, भारत में प्रचलित कीमतों, निर्यातों की पूर्ववर्ती वास्तविक और संभावित मात्रा ।

89. इन कारकों की जांच करने पर यह नोट किया जाता है कि :

(क) संबद्ध देशों के मामले में पाटन मार्जिन काफी अधिक है;

(ख) सिफारिश किए जाने के लिए प्रस्तावित बेंचमार्क पर विचार करते हुए, यदि इस बेंचमार्क से कम पर निर्यात किए जाते हैं तो ये पाटित कीमतों पर होंगे । यदि निर्यात सामान्य मूल्य से अधिक कीमतों पर किए जाते हैं तो पाटनरोधी शुल्क देय नहीं होगा । यदि आयात सिफारिश किए जाने के लिए प्रस्तावित बेंचमार्क से कम पर किए जाते हैं तो निर्यातों के पाटित कीमतों पर होने की आशंका है ।

(ग) संबद्ध देशों की निर्यात कीमत भारत में प्रचलित बिक्री कीमतों और घरेलू उद्योग हेतु निर्धारित गैर क्षतिकारी कीमत से काफी कम है ।

(घ) निर्यातकों द्वारा यह प्रदर्शित नहीं किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क वापस ले लिए जाने से पाटन अथवा घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना नहीं रहेगी और शुल्क को जारी रखना पाटन के प्रभाव को दूर करने के लिए अनावश्यक था ।

(ङ) क्षति की अवधि के दौरान निर्यातक देशों के उत्पादकों द्वारा हासिल क्षमता उपयोग और जांच अवधि के दौरान हासिल क्षमता उपयोग पर विचार करके प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देशों की अप्रयुक्त क्षमताओं का निर्धारण किया गया । यह नोट किया गया कि यूएसए के उत्पादकों की अप्रयुक्त क्षमता 1028000 मी.टन, जापान के उत्पादकों की 707000 मी.टन, ईरान के उत्पादकों की 120000 मी.टन है, जबकि पश्चिमी यूरोप के उत्पादकों के मामले में यह 1886000 मी.टन तक है । अन्य शब्दों में सीएमएआई द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार इन देशों के उत्पादक उक्त सीमाओं तक अपनी सामग्री की पेशकश तुरंत कर सकते हैं ।

यूएसए की अप्रयुक्त क्षमता	1028000 मी.टन
सऊदी अरब की अप्रयुक्त क्षमता	9000 मी.टन
जापान की अप्रयुक्त क्षमता	707000 मी.टन
ईरान की अप्रयुक्त क्षमता	120000 मी.टन
पश्चिमी यूरोप की अप्रयुक्त क्षमता	1886000 मी.टन
संबद्ध देशों की कुल अप्रयुक्त क्षमता	3750000 मी.टन
भारतीय मांग	
➢ आबद्ध खपत को छोड़कर	1851505 मी.टन
➢ आबद्ध खपत सहित	2108996 मी.टन

90. सीएमएआई के अनुसार इस समय विश्व में मांग-आपूर्ति की स्थिति निम्नवत है :-

निपटान क्षमता एवं भारत को संभावित निर्यात

	यू एस ए	जापान	पश्चिमी यूरोप	ईरान	सऊदी अरब
क्षमता	13,147,000	4,941,000	11,605,000	332,000	803,000
उत्पादन	12,109,000	4,234,000	9,719,000	212,000	794,000
क्षमता उपयोग	92.10	85.69	83.75	63.86	98.88
अप्रयुक्त क्षमता	1,038,000	707,000	1,886,000	120,000	9,000
आयात	600,000	5,000	340,000	15,000	-
कुल उपलब्धता	12,709,000	4,239,000	10,059,000	227,000	794,000
मांग	11,010,000	3,626,000	9,616,000	125,000	142,000
अतिरिक्त उपलब्धता	1,699,000	613,000	443,000	102,000	652,000
निर्यात	1,709,000	613,000	443,000	102,000	652,000
निवल अतिरिक्त उपलब्धता	(10,000)	-	-	-	-
निवल आंतरिक क्षमता	1,028,000	707,000	1,886,000	120,000	9,000

मांग	50031000 मी.टन
क्षमता	57574000 मी.टन
अतिशेष	7543000 मी.टन

चूंकि विश्वव्यापी स्तर पर तथा संबद्ध देशों में भी अतिशेष क्षमता मौजूद है, यह नोट किया गया है कि संबद्ध देशों से भारतीय बाजार में निर्यात की संभावना है । क्षमता, उत्पादन, बिक्री तथा मांग के बारे में रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करके यह नोट किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क वापस ले लेने से पाटन तेज हो जाएगा और इसके परिणामतः क्षति होगी; इस कारणवश शुल्क को जारी रखना पाटन के प्रभाव को दूर करने के लिए आवश्यक है ।

91. यह नोट किया गया है कि निर्यातकों ने इस संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि इन उपायों को वापस ले लेने की स्थिति में क्षति फिर नहीं होगी । क्षमता, उतपादन, बिक्री तथा मांग के बारे में रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए यह नोट किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क हटा लेने से घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा पुनः होने की संभावना है । अतः इस जांच परिणाम के मद्देनजर प्राधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष प्रस्तावित है कि रिकार्ड पर प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उपाय वापस ले लेने की स्थिति में क्षति पुनः होगी ।

निष्कर्ष

92. पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंधों का पाटन एवं क्षति जारी रहने की संभावना की उपर्युक्त जांच के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि :-

(क) संबद्ध वस्तुएं भारतीय बाजार में संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रही हैं;

(ख) घरेलू उद्योग को उल्लेखनीय क्षति हुई है और पाटित आयातों के कारण क्षति पुन: होने की संभावना है;

(ग) यदि शुल्क वापस ले लिए जाते हैं, तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना जारी रहेगी ।

ज. अंतिम जांच रिपोर्ट

93. हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों, प्रदत्त जानकारी तथा दी गई प्रस्तुतियों के मद्देनजर और हितबद्ध पक्षों की प्रस्तुतियों द्वारा अथवा अन्यथा उपलब्ध तथ्यों एवं उपर्युक्त जांच निष्कर्षों में अभिलेखबद्ध तथ्यों और वर्तमान व संभावित पाटन की स्थिति तथा क्षति एवं पाटन व क्षति के जारी रहने तथा निरंतरता की संभावना के आधार पर प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि:

(i) संबद्ध वस्तुएं भारतीय बाजार में संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रही हैं और पाटन मार्जिन बहुत अधिक है और डी-मिनिमस से अधिक है । यदि वर्तमान उपाय वापस ले लिए जाएं तो संबद्ध वस्तुओं का भारतीय बाजार में प्रवेश पाटित कीमतों पर संभावित है । अत: यह स्थापित नहीं होता कि शुल्क को लगातार लगाए रखना पाटन के प्रभाव को दूर करने के लिए अनावश्यक है ।

(ii) यद्यपि क्षति अवधि की तुलना में घरेलू उद्योग ने कार्य निष्पादन में सुधार किया है, तथापि घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक बनी हुई है । इसके अलावा यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क वापस ले लिया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी अथवा निरंतर होगी ।

94. यह निष्कर्ष निकालकर कि घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक बनी हुई है और संबद्ध देशों से आयातों के कारण पाटन व क्षति जारी रहने अथवा पुन: होने की संभावना है, यदि शुल्क वापस ले लिया जाए; प्राधिकारी का यह अभिमत है कि इन देशों से आयातों के विरूद्ध उपाय जारी रखना आवश्यक है । तथापि संबद्ध देशों से पाटन के वर्तमान स्तर तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को देखते हुए लागू पाटनरोधी शुल्क में संशोधन की

आवश्यकता है । अत: प्राधिकारी इसे जरूरी मानते हैं और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करते हैं ।

95. प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए संबद्ध देशों से कॉस्टिक सोडा के सभी आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक समझते हैं । प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क की वह राशि संस्तुत करते हैं जो पाटन मार्जिन के बराबर अथवा कम हो, जिसके लगाए जाने पर घरेलू उद्योग की क्षति दूर हो । क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना जांच अवधि के दौरान निर्धारित घरेलू उद्योग के भारित औसत गैर क्षति मूल्य से की गई है ।

96. तद्नुसार प्राधिकारी यह सिफारिश करते हैं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सीमाशुल्क शीर्ष 2815.11 तथा 2815.12 के तहत संबद्ध देशों के उद्गम के अथवा वहां से निर्यातित कॉस्टिक सोडा के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क निम्नानुसार लगाया जाए । पाटनरोधी शुल्क नीचे दी गई सारणी के कालम 9 तथा सीमाशुल्क टैरिफ के अध्याय 28 के तहत आने वाले नीचे उल्लिखित संबद्ध क्षेत्रों/देशों के उद्गम की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर प्रति मीट्रिक टन आयात के पहुंच मूल्य के अंतर के बराबर होगा :-

क्र. सं.	उप-शीर्ष	माल का वर्णन	विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि (अम. डालर)	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	2815.11 तथा 2815.12	कॉस्टिक सोडा	कोई भी ग्रेड	सऊदी अरब	सऊदी अरब	एसएडीएएफ	एसएबीआईसी	258.97	डीएमटी	अम.डॉलर
	2815.11 तथा 2815.12	कॉस्टिक सोडा	कोई भी ग्रेड	सऊदी अरब	सऊदी अरब	एसएडीएएफ	एसटीएमई/एमगल्फ	243.90	डीएमटी	अम.डॉलर
	2815.11 तथा 2815.12	कॉस्टिक सोडा	कोई भी ग्रेड	सऊदी अरब	सऊदी अरब	एसएडीएएफ	एसटीएमई व ट्रीकॉन	250.41	डीएमटी	अम.डॉलर
	2815.11 तथा 2815.12	कॉस्टिक सोडा	कोई भी ग्रेड	सऊदी अरब	सऊदी अरब	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	258.97	डीएमटी	अम.डॉलर
	2815.11 तथा 2815.12	कॉस्टिक सोडा	कोई भी ग्रेड	ईरान, यूएसए, जापान तथा फ्रांस को छोड़कर कोई भी देश	सऊदी अरब	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	258.97	डीएमटी	अम.डॉलर
	2815.11 तथा 2815.12	कॉस्टिक सोडा	कोई भी ग्रेड	सऊदी अरब	ईरान, यूएसए, जापान तथा फ्रांस को छोड़कर कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	258.97	डीएमटी	अम.डॉलर
2	2815.11 तथा 2815.12	कॉस्टिक सोडा	कोई भी ग्रेड	ईरान	ईरान	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	274.48	डीएमटी	अम.डॉलर

	2815.11 तथा 2815.12	कॉस्टिक सोडा	कोई भी ग्रेड	सऊदी अरब, यूएसए, जापान तथा फ्रांस को छोड़कर कोई भी देश	ईरान	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	274.48	डीएमटी	अम.डॉलर
	2815.11 तथा 2815.12	कॉस्टिक सोडा	कोई भी ग्रेड	ईरान	सऊदी अरब, यूएसए, जापान तथा फ्रांस को छोड़कर कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	274.48	डीएमटी	अम.डॉलर
	2815.11 तथा 2815.12	कॉस्टिक सोडा	कोई भी ग्रेड	जापान	जापान	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	282.64	डीएमटी	अम.डॉलर
3	2815.11 तथा 2815.12	कॉस्टिक सोडा	कोई भी ग्रेड	सऊदी अरब, यूएसए, ईरान तथा फ्रांस को छोड़कर कोई भी देश	जापान	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	282.64	डीएमटी	अम.डॉलर
	2815.11 तथा 2815.12	कॉस्टिक सोडा	कोई भी ग्रेड	जापान	सऊदी अरब, यूएसए, ईरान तथा फ्रांस को छोड़कर कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	282.64	डीएमटी	अम.डॉलर
4	2815.11 तथा 2815.12	कॉस्टिक सोडा	कोई ग्रेड	फ्रांस	फ्रांस	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	296.94	डीएमटी	अम.डॉलर
5	2815.11 तथा 2815.12	कॉस्टिक सोडा	कोई ग्रेड	सऊदी अरब, यूएसए, ईरान तथा जापान को छोड़कर कोई भी देश	फ्रांस	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	296.94	डीएमटी	अम.डॉलर
6	2815.11 तथा 2815.12	कॉस्टिक सोडा	कोई ग्रेड	फ्रांस	सऊदी अरब, यूएसए, ईरान तथा जापान को छोड़कर कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	296.94	डीएमटी	अम.डॉलर
7	2815.11 तथा 2815.12	कॉस्टिक सोडा	कोई ग्रेड	यूएसए	यूएसए	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	296.94	डीएमटी	अम.डॉलर
8	2815.11 तथा 2815.12	कॉस्टिक सोडा	कोई ग्रेड	सऊदी अरब, फ्रांस, ईरान तथा जापान को छोड़कर कोई भी देश	यूएसए	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	296.94	डीएमटी	अम.डॉलर
9	2815.11 तथा 2815.12	कॉस्टिक सोडा	कोई ग्रेड	यूएसए	सऊदी अरब, फ्रांस, ईरान तथा जापान को छोड़कर कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	296.94	डीएमटी	अम.डॉलर

97. इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3(क), 8(ख), 9 तथा 9(क) के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी प्रकार के सीमाशुल्कों सहित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 सीमाशुल्क विभाग द्वारा आकलित निर्धारणीय मूल्य होगा ।

98. प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों एवं समय-समय पर इस संबंध में जारी सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार यहां यथा संस्तुत निश्चयात्मक उपायों को जारी रखने, संशोधित करने अथवा समाप्त करने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा करेंगे । प्राधिकारी द्वारा ऐसी समीक्षा हेतु कोई अनुरोध सामान्यत: स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक इसे हितबद्ध पक्ष द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्धारित अवधि में प्रस्तुत न किया जाए ।

99. इस आदेश के विरूद्ध कोई अपील सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 (यथा संशोधित) के अनुसार सीमाशुल्क, उतपाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जा सकेगी ।

क्रिस्टी फेर्नान्डेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2006

Final Findings

Subject: Anti-dumping (Sunset Review) investigation concerning import of Caustic Soda originating in or exported from Saudi Arabia, Iran, Japan, USA and France - Final Findings.

****

No.15/29/2004-DGAD : Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as Rules);

A. BACKGROUND OF THE CASE

i). WHEREAS, having regard to above Rules the Designated Authority (hereinafter referred to as Authority) initiated an antidumping investigation on 26.05.2000 into alleged dumping of Caustic Soda originating in or exported from USA, Japan, Iran, Saudi Arabia and France and provisional antidumping duty was imposed on imports of Caustic Soda from USA, Japan, Iran, Saudi Arabia and France, vide customs notification dated 26.12.2000 on the basis of the preliminary findings of the Authority dated 16.11.2000. The final findings of the Authority were notified, vide notification dated 14.05.2001 and the Department of Revenue imposed definitive anti dumping duties on the subject goods, imported from subject countries, vide notification dated 26.06.2001.

ii). On the basis of a duly substantiated application filed by the Domestic Industry in 2005 in terms of Section 9A(5) of the said Act, requesting for continuation of the duty for a period of another five years, the Designated Authority initiated a sunset review proceedings against the said measure vide notification dated 2nd May 2005, to examine whether the expiry of the duty would lead to continuation or recurrence of dumping and/or injury. Investigation was carried out for the period starting from 1st April 2003 to 30th September 2004 (POI). However, injury examination was conducted for a period from 2000-01 to 2003- September 04.

B. PROCEDURE

1. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

i) The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the above Rules, received an application filed by Alkali Manufacturers Association of India, requesting initiation of sunset review investigation for review, continuation and enhancement of anti dumping duties concerning imports of Caustic Soda (hereinafter referred as subject goods) originating in or exported from USA, Japan, Iran, France and Saudi Arabia. (hereinafter referred to as subject countries).

ii) The information provided by the applicant showed sufficient prima facie justification that there was a need for sunset review of anti dumping duties earlier imposed. On being satisfied, the Authority issued a public notice dated 02.05.2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping sunset review investigation concerning imports of the subject goods classified under Chapter 28 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975 originating in or exported from USA, Japan, Iran, Saudi Arabia and France.

iii) The Authority forwarded a copy of the public notice to the known producers and/or exporters in the subject countries and gave them opportunity to provide relevant information and make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rule 6(2):

iv) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers and/or consumers of subject goods in India and advised them to provide relevant information and make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6(2).

v) Requests were made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) and Director General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), Kolkata to arrange details of imports of subject goods made in India for the period of investigation and preceding three years.

vi) The Authority provided copies of the non-confidential version of the application to the known producers and/or exporters and the Embassies/territories of the subject countries in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the non-confidential application was also provided to other interested parties, wherever requested.

vii) The Authority sent a questionnaire to elicit relevant information to the government of subject countries including known exporters/producers, in accordance with the Rule 6(4): Following parties filed response to the questionnaire:-

(a) M/s. Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Saudi Arabia
(b) M/s. Saudi Petrochemical Company (SADAF), Saudi Arabia
(c) M/s. Shell Trading (M.E.) Pvt. Ltd., (STME), Dubai, UAE
(d) M/s. TRICON International Ltd., (Tricon), Houston, USA
(e) M/s. Amgulf Polymers and Chemicals Ltd.,(AMGULF) Dubai, UAE

viii) Questionnaire was sent to the known importers/user and associations of the subject goods for necessary information in accordance with Rule 6(4). Following parties filed response to the questionnaire:-

(a) M/s. National Aluminum Company Ltd., (NALCO)
(b) M/s. Hindustan Lever Ltd., (HLL)
(c) Indian Agro & Recycled Paper Mills Association

The Authority provided opportunity to the industrial users of the product under consideration, and to the known representative consumer organizations, to furnish information considered relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality.

ix) The Authority held a public hearing on 21st December 2005 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally, which was attended by petitioner and other interested parties. The parties attending the public hearing were advised to file written submissions of the information presented orally. The interested parties were allowed to present rebuttal arguments on the views/information presented orally by other interested parties. Designated Authority has considered these written submissions received from various interested parties.

x) Arguments raised and information/evidence provided by various interested parties during the course of the investigation, to that extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in the present findings.

xi) The Authority during the course of investigation satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by various interested parties upon which these findings are based. For that purpose, the Authority conducted on-the-spot verification of the foreign producer, the domestic industry and consumers to the extent considered relevant and necessary. Additional/supplementary details regarding injury were sought from the domestic industry, which were also received.

xii) Designated Authority requested certification of costing information from all the constituents of the domestic industry including the companies which were not verified, which was also received.

xiii) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings are being disclosed to known interested parties and comments received on the same would also be considered in Final Findings. In accordance with Rule 16

supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed on 12/07/2006 to known interested parties and comments received have been duly considered in these findings

xiv) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties through a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).

xv) Cost investigations were conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the applicant so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

xvi) ****In this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules on merits.

xvii) Investigation was carried out for the period starting from 1st April 2003 to 30th September 2004 (18 months) and has been referred to as the period of investigation (POI). The examination of trends in the context of injury analysis covered the period from April 2000 - March 2001, April 2001 – March 2002 and April 2002 – March 2003 and the POI.

xviii) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided, necessary information during the course of the present investigations, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded these findings on the basis of the facts available.

xix) Information provided by various interested parties on confidential basis were examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has granted confidentiality, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE:

C.1 VIEWS OF THE INTERESTED PARTIES

2. Domestic industry has submitted that the present review investigation is a sunset review investigation. The product involved in the original investigation and in the present sunset review investigation is Sodium Hydroxide generally known as Caustic Soda. Issues related with product under consideration and like article were examined in detail by the Designated Authority in the original investigations and are required to be

confirmed. The product under consideration in the present sunset review should remain the same as the original investigations, as the present investigations are only review investigations. It is further argued that caustic soda lye and solid form are one like product only, with the only difference in the physical form and concentration. Authority has recently held that there is no necessity of reviewing the scope of product under consideration and like article in a review case. Such being the case, Indian Producers have submitted that the scope of the product under consideration and like article is not required to examined at this stage. Imports of subject goods are made both in lye and solid form but the lye caustic soda imports would normally be in shipment size of minimum 500 MT or multiple thereof. Indian Producers have submitted that lye and solid caustic soda differ in associated costs and prices. Since there have been imports of both forms of caustic soda during the investigation period, the Designated Authority may determine normal value, export price and dumping margin accordingly.

C.2 VIEWS OF THE IMPORTERS, CONSUMERS, EXPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES

3. The importers, Exporter, Consumers other interested parties have submitted as under:-

(a) M/s. NALCO has submitted that the Caustic Soda lye and solids/flakes are different products and cannot be treated as like product for the present investigation. They have submitted that Caustic Soda lye form is used world over in the production of alumina in aluminium industry, and solids/flakes cannot be commercially substitutable for lye Caustic Soda in such industry. The difference between lye and solids arises on account of the former having a lower concentration of Caustic Soda than the later. It is submitted that solids/flakes and lye Caustic Soda cannot be treated as like product, therefore, lye form of Caustic Soda should be considered as product under consideration since their end use is different along with the market value, handling, storage and transportation etc.

(b) NALCO has further argued that they procured only Lye Caustic Soda under the tender. All types of caustic soda does not constitute 'like article' under this review investigation. The consideration of the solid forms of caustic soda has distorting effect in determination for the issue of like product and also the injury analysis for the following reasons:

- Liquid form of caustic soda has lesser concentration than the solid form, which results in different end uses.
- The market perception and the marketing patterns of both products differ as can be seen from the Chlor Alkali Report.
- The procurement of the solid form of caustic soda would lead to greater imposition of cost.
- The act of including the solid form of the caustic soda is solely motivated by the desire of the petitioner to exaggerate the alleged dumping margin and injury as the cost of production of solid caustic soda is higher than that of liquid caustic soda.

➢ The imports of caustic soda into India comprise of over 85% of liquid caustic including the caustic soda imported by NALCO.

(c) The Agro & Recycled Paper Mills Association also argued that Caustic soda solids/flakes and caustic soda lye cannot be 'like products' under the Rules.

C.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY

4. The product under consideration in the present investigation is Sodium Hydroxide (chemical nomenclature NaOH), commonly known as Caustic Soda (referred to as caustic soda in the present investigation) originating in or exported from subject countries. The product under consideration is the same as considered in the original investigation. Caustic soda is an inorganic, soapy, strongly alkaline and odorless chemical and finds application in various fields like manufacture of pulp and paper, newsprint, viscose yarn, staple fibre, aluminum, cotton, textiles, toilet and laundry soaps, detergent, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals, petroleum refining etc. Caustic soda is produced in two forms, i.e. lye and solids by three technological processes, i.e., mercury cell process, diaphragm process and membrane process. The difference in these processes does not lead to a difference in product in terms of various characteristics. It is the convenience of the producer to adopt specific technology. Caustic soda is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 under Customs Head 2815.11 and 2815.12. As per ITC eight digit classifications, the product is classified under the Customs Heading 2815.1110, 2815.1120 and 2815.1200. The classification is however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

5. It is noted that Caustic Soda is produced and sold primarily in lye form. Since it is used in huge quantities, transportation in lye form even after paying higher transportation cost due to low concentration results in lower effective cost to the consumer, whereas conversion of flake leads to additional cost to the user. Caustic Soda solid form can be used for similar functions & uses wherever lye form is required. It is noted that the difference in prices is due to the differences in concentration, cost of transportation, and incremental conversion cost required for solid form. The differences in caustic soda in two different forms do not render these a different product, the product continues to be essentially caustic soda, with the same product characteristics. However, in view of differences in prices, for the purpose of comparison of normal value with export price and landed price of imports with non injurious price, the Authority has considered the difference in physical forms and compared the two forms separately. Separate normal values and non-injurious prices have been determined for determining dumping margin and injury margin for lye and solid form. However, keeping in view the Rules, the Designated Authority has relied upon weighted averages of dumping margin and injury margin, after ensuring fair comparison.

6. In order to determine whether goods produced by the domestic industry can be considered like article to the goods produced and/or exported from the subject countries, the Authority considered various relevant parameters such as physical & technical characteristics, production technology, manufacturing process, functions & uses, pricing, customer perception, etc. The goods manufactured by domestic industry are like article to

the goods produced and/or exported from the subject countries. Both are technically and commercially substitutable and the consumers are using and can use the domestically produced and imported goods interchangeably. Considering the submissions made by various interested parties and keeping in view the essential product characteristics, substitutability and interchangeability of the goods exported from subject countries by goods produced by the domestic industry, the Authority holds that subject goods produced by the domestic industry are like articles, as per Rule 2(d) of rules Supra, to the product under consideration. It is further noted that the Hon'ble CESTAT has upheld the determination of the Authority with regard to like article and the interested parties in the present investigations have brought no new facts/evidence in this regard.

D. DOMESTIC INDUSTRY

D.1 VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

7. The domestic industry has submitted that all the submissions have been filed by Alkali Manufacturers' Association of India (AMAI) on behalf of the domestic industry. All Indian Producers of Caustic Soda in India are members of the Association and a number of manufacturers of subject goods in India have provided information relevant to injury, including costing information. There is no legal and factual basis for the argument that the composition of domestic industry should remain the same in the original investigations and all subsequent investigations. The Designated Authority is required to determine domestic industry in each investigation, and such scope of domestic industry always keeps changing.

D.2 VIEWS OF THE EXPORTER, IMPORTERS, CONSUMERS AND OTHER INTERESTED PARTIES

a. M/s. Hindustan Lever Limited has argued that the composition of the Domestic Industry has changed drastically in the sunset investigation as compared to the original investigation. They further argued that participating companies are posing as domestic industry when majority of them is incapable of filing injury information.

b. M/s Shell Trading (M.E.) Pvt. Ltd. (STME) argued that total domestic industry supporting the applicants does not appear to exceed 45% of the output and thus not fulfill the 50% eligibility criteria as laid down in Rule 2(b) read with Rule 5(3)(a) of the Customs Tariff Rules, 1995.

D.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY

8. As per Rule 2(b) of the AD Rules, "domestic industry means the domestic producers as a whole engaged in manufacture of like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are

related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers may be deemed not to form part of domestic industry." The Authority notes that the following domestic producers have provided sufficient information with regard to determination of injury and extent thereof

a. M/s. Bihar Caustics & Chemicals Ltd.,
b. M/s. DCW Ltd.,
c. M/s. Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd., (Baroda and Dahej)
d. M/s. Indian Petrochemical Corporation Ltd.,
e. M/s. Jayshree Chemicals Ltd.,
f. M/s. Punjab Alkalies & Chemicals Ltd.,
g. M/s. Shriram Alkalies & Chemicals,
h. M/s. Standard Alkalies,
i. M/s. SIEL Chemical Complex,
j. M/s. Solaris Chemtech Ltd.,

9. The Authority has determined the production of the participating producers as 1338738 MT during the period of investigation in this sunset review investigation. The production of the participating companies thus constitutes more than 50% of the production by the Indian industries, which is 2647350 MT. The Authority, therefore, holds that these companies constitute domestic industry within the meaning of the Rules.

E. OTHER ISSUES

E.1 VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

10. The Domestic industry has submitted that;

- The petition was complete in all respect and adequate and accurate evidence was provided to the Authority prior to initiation, which formed the basis for initiation of sunset review investigation. They also argued that continued imports from various sources after imposition of anti dumping duties establish that the duties were not against imports per se rather targeted only against dumped sources which established availability of sources to the consumers from other sources or imports at undumped prices. They have submitted that anti dumping duties were levied only to prevent distortive trade practices and to establish a fair pricing system in the market.

- Duties have been imposed on a large number of countries or no other country in the world has imposed duties is entirely irrelevant.

- Opposing parties have full information with regard to the volume and price at which goods were purchased from the Indian Producers. However, this was suppressed from the Authority.

- Confidentiality of information has been claimed in accordance with the law and practice.

- The domestic industry did not increase its selling prices by 200% even in a situation where the global prices have admittedly increased by 200%. Thus, Indian Producers have acted more responsibly and have not increased the prices commensurate with the global price increases.

- Submissions of NALCO is incorrect that imposition of duty is making NALCO uncompetitive in global market as there is no anti dumping duty and other duties of customs payable on imports made for exports purpose.

E.2 **VIEWS OF THE EXPORTER, IMPORTERS, CONSUMERS AND OTHER INTERESTED PARTIES**

11. The interested parties have submitted that

- Initiation of the sunset review investigation was without adequate evidence and justification. The Domestic industry has not filed requisite information on import data, dumping and injury as mandated under Article 11.2 of the ADA based on which the sunset review had been initiated. The petitioners relied upon data from multiple sources, as suited them, in order to somehow establish their case, without providing relevant evidence. Multiple sources/evidence have been used with no consistent methodology.

- Imposition of anti dumping duties on a large number of countries through number of separate investigations show as if India is being singled out and exporter in every country is dumping the product.

- The consolidated picture of imports given by the applicant is not reliable and suffers from number of inconsistencies, therefore, the Authority may take either DGCI&S or IBIS statistics as the basis for the purposes of this investigation and not the combined data.

- The Domestic Industry has relied upon various secondary sources data besides DGCI&S which are unreliable and cannot be relied on. Reliance on the DGCI&S data only shows that there is no dumping of caustic soda by the subject countries during the POR. Petitioner has deliberately relied on entries from secondary sources, which shows maximum quantity of import from the subject countries at minimum prices. The data of the DGCI&S is the most reliable data and there is no error in the data. The Petitioner himself had relied on the DGCI&S data for volume of imports & calculation of Export price in various petitions of anti dumping against various countries such as China, Korea RP, Taiwan, Indonesia & E.U. excluding France. Applicant has relied upon the DGCI&S data for years 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 in the present investigation and the only reason for not using DGCI&S data for the POR is to make a false case of dumping.

- The imposition of the anti dumping duty on the import of caustic soda, which is the main raw material in the production of alumina, is making NALCO in-competitive in the global market and it has effectively blocked all sources of caustic soda for NALCO. As a result, NALCO is not only unable to compete efficiently internationally on account of anti dumping duty but also loosing its hold in the Indian market on account of anti dumping duty.

- In past, only two producers have offered or supplied NALCO's demand among the Indian Producers who are supporting the present petition. Hence, a majority of the domestic industry has not participated in tenders of NALCO due to cost logistics arising from their uneconomical geographical disadvantages. The members of the Domestic Industry who have participated in the tender process have either insufficient quantity to satisfy the tender quantity or have expressed their inability to transport the quantity.

- NALCO has submitted that the actual costing followed for the purpose of ascertaining the cost of production of caustic soda and chlorine , cost realized by the Domestic Industry from Chlorine during the POR, actual return on capital employed considered by Designated Authority, cost of power in the production of caustic soda and the apportion of the same to the total cost of production be disclosure . The domestic industry may be asked to file an appropriate non-confidential summary or indexed version of the following as the following information cannot be claimed as business proprietary:

  - Process Flow Chart
  - Format CI and CII
  - Rationale for claiming ROCE
  - Format E
  - Policies relating to purchase of raw material, marketing and sales, stores accounting and inventory evaluation and quality control procedures

- Anti dumping duties recommended, if any, must be at CIF level and not on landed price basis.

- The problem of the domestic industry is due to scale of economies and because of this reason large quantities required by companies like NALCO could not be delivered. The domestic industry is required to do capacity consolidation. Logistic difficulties faced by the domestic industry render it unable to fulfill local demand.

- In the comments to the disclosure statement the interested parties have once again reiterated the same issues regarding non disclosure of relevant information and treatment of Chlorine and caustic soda based on ECU pricing. In this regard they have cited some of the decisions of Hon'ble CESTAT and expected the DA to examine in view of the CESTAT observation.

12. The Authority has appropriately considered the various arguments advanced by various interested parties. Various common issues raised by opposing interested parties are not repeated herein.

E.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY:

13. It was argued by the interested party that Chlorine should be treated as joint product in the production of Caustic Soda since the majority of the producers worldwide treats Chlorine as a joint product in Chlor industry. The Authority examined the arguments raised by the interested party keeping in view the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), Cost Accounting Record Rules (as amended from time to time and as applicable during the investigation period) and Annexure I to AD Rules and WTO Agreement on Anti Dumping requiring determination of costs on the basis of records kept by the company under investigation provided such records are in accordance with the GAAP and such records reasonably reflect the cost associated with the production and sales of the product under consideration. The Authority also considered the available evidence on proper allocation of costs, which was made available by participating domestic and foreign producers. The Authority notes that the decision whether to treat chlorine as a co-product or a by-product can not be universal decision, applicable and relevant for all times. It is a determination to be made by the Authority, keeping in mind facts and circumstances of that particular case. It is noted that it would not be appropriate to consider Chlorine either as a joint product or a by-product in respect of the entire Chlor Alkali industry, it would be rather reasonable and appropriate to determine the cost of production of caustic soda after adopting the treatment of Chlorine as adopted by the company and cost auditors concerned in its accounting books, including cost records. The Authority considers it appropriate to accept and adopt the basis adopted by the companies in their records, duly verified/certified by the cost auditors. In this sunset review investigation the Authority has considered and treated Chlorine in respect of domestic industry accordingly. It is also noted that there is no adverse qualification by the cost auditors against the treatment accorded by the companies concerned.

14. The actual cost of production of the subject goods has been determined taking into account the optimum cost of production on the basis of GAAP as per the consistent approach followed by the Designated Authority. The non injurious price for the domestic industry has been determined after taking into account all the relevant factors ineluding cost of raw materials used in the production of the subject goods, the consumption thereof, the cost of utilities i.e., power, steam, water etc., interest cost, cost of labour, depreciation cost and selling, general and administrative (SGA) expenses. The factors such as investments and the capacity utilization have also been examined in the cost analysis. All these factors have been considered with reference to the basic books of accounts and production and financial statements of the participating companies to determine the cost of production. Non injurious price for the domestic industry has been determined by adding a reasonable profit margin @ 22% return on the capital employed, on the cost of production (capital employed is determined as the sum of net fixed assets and working capital for the product under consideration). Return is defined as interest

plus profit, i.e., interest expense in the cost of production has been deducted to determine a reasonable profit. It is also noted that 22% return on capital employed is not the profit element, rather it is determined after deducting interest from the return so determined and the Authority has applied lesser duty law and therefore in any case, the resultant duties have not exceeded dumping margins determined.

15. The interested parties have argued that caustic soda lye and flakes are not like article to the product under consideration, since these two are used for different end applications by the user industry. The argument of the interested party was examined, keeping in view the scope of the product under consideration and definition of like article. Product under consideration includes both caustic soda lye and solid forms. It is noted that the solid forms can be in the form of lumps, prills, chips, flakes etc. It is further noted that both the forms of caustic soda are one product and are similar in terms of essential product properties, function and uses, production technology and process, plant and equipment, pricing. The difference in pricing is only due to, as stated before, incremental production process and differences in transportation costs. The Authority agrees with the argument made by the interested parties that some consumers may be using caustic soda only in lye form because of their convenience and technology adopted by them, but the Authority holds that this does not mean that the product in different form becomes different product and looses its essential features, functions & uses, nor does this mean that other forms cannot be used for similar functions. This has been well demonstrated during the verification visits to various producers. The product remains essentially the same regardless of specific end applications. However, given differences in the resultant prices, price parameters have been considered separately for lye and flakes for the purpose of determination of dumping margin, price undercutting, price underselling, price suppression, price depression and injury margin.

16. The interested parties have argued that ECU realization may be considered for the purpose of allocation. It is noted that the present findings are based on actual ECU realization of the domestic industry, in as much as realization from chlorine has been either reduced from the cost of production or chlorine treated co-product and cost of production determined accordingly and therefore, the concern of the interested parties have been addressed. It is noted that if a company has treated chlorine as a by-product and if chlorine realization has been higher during the relevant period, higher deduction on this account has been made.

17. NALCO has repeatedly argued that their interests as consumers should not be ignored and referred to some decisions of the EC also in this regard. It is noted that right of NALCO as a large consumers of the subject goods have been well recognized in the present proceedings and the company has been provided full opportunities to provide relevant information and make submissions.

18. It is argued by the interested parties that the vital information has been kept confidential depriving the opposing interested parties of the right to challenge the information and make meaningful submissions to the Authority. The Authority notes that Rule 7 of the AD Rules provides for submission of information by the interested parties

on confidential basis subject to the condition laid down therein. The Rules provide that certain information which are either business proprietary information or any other information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, be treated as such by the authorities. The Rules further provide that such information shall not be disclosed to other interested parties without specific permission of the party submitting it. In this review investigation certain business sensitive information has been kept as confidential, which includes information pertaining to costs and prices of the subject goods and other sensitive information, disclosure of which would be of significant competitive advantage to a competitor and would adversely affect the business interests of the company. The information claimed confidential by the interested parties was examined as per confidentiality provision under AD Rules and such information was considered confidential by the Authority on being satisfied that the information claimed confidential is indeed confidential. The non-confidential summary of the information submitted on a confidential basis was placed in the public file, which was made available for the inspection, by all the interested parties in terms of Rule 6 (7) of the AD Rules.

F. **DUMPING & DUMPING MARGIN**:

F.1. **VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY**

19. The domestic industry has submitted that,

i. None of the exporters, except SABIC, have cooperated with the Authority in this sunset review investigation.

ii. Caustic soda continued to be exported to India at dumping prices from some of the subject countries viz. USA, Saudi Arabia and Iran. There is imminent likelihood of recurrence of dumping from some of the subject countries viz. France and Japan.

iii. Considering published information provided by Chlor Alkali, and the price at which goods have been exported to India, it is evident that the current exports were made at dumping prices. In order to ensure a fair comparison of normal value and export prices of the producers and the exporters of the subject countries adjustments were made where appropriate for differences in transport, insurance, handling, loading and ancillary costs, credit costs, bank charges, and levels of trade.

iv. The exporters are required to establish based on their data that their exports are not at dumping prices (whether made to India or third countries) and dumping is unlikely to recur in the event of revocation of anti dumping duties.

v. No export by the subject countries to India would not necessarily mean that there is no likelihood of recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

vi. With regard to exports from Saudi Arabia, Indian Producers have argued that export price claimed by the exporter from Saudi Arabia should be considered unreliable because of a compensatory arrangement between the producer, exporter and traders. SADAF admittedly export the subject goods to India through their affiliate companies Saudi Basic Industries Company (SABIC) and Shell Trading (M.E.) Pvt. Ltd. (STME). Admittedly, SADAF, SABIC and STME are related companies and there exists an arrangement between them for the export of the subject good to India. The definition of export price lays down that a case where there exist possibilities of some compensatory arrangements between the exporters and the importers, the export price is deemed to be unreliable. In such cases the related companies might have a contract to perform the trading activities at very low margin by virtue of their being related companies, but the same is not adequate and sufficient to derive a fair ex-factory export price.

vii. SADAF is the manufacturer and does not directly sell the subject goods to the customers. SABIC and STME are the trading arm of SADAF. These related trading companies further export the subject good manufactured by SADAF to other countries worldwide. Transactions between the three companies cannot be regarded as arm's length transactions. SABIC and STME are purchasing the goods and accounting the same in their books as purchases. In case of sales through agent, both goods as also documents move between the producer and the purchaser and the agent gets a commission. In the instant case, even when the invoices have been raised in favour of SABIC/STME by SADAF, SADAF has only accounted for commission as one of the price adjustments, which can not exists at all. The Designated Authority must deduct direct & indirect SGA and profit of these trading companies. Margin or mark-up which is gained by a Trader and which is different from commission needs to be adjusted in order to arrive at a fair ex-factory export price. Producers and exporters from Saudi Arabia i.e. SADAF exported the subject goods to India through their related traders SABIC and STME who are assigned to margin or mark-up, which is different from commission. SADAF is acting only a producer with little or no concern over sales, it is SABIC and STME who share the marketing efforts. It is vital to determine whether or not the margins added by SABIC or STME are adequate to recover their direct and indirect selling, general and administrative costs and profits.

viii. Even if it is assumed, though not admitting, that there was no dumping of the subject goods in the period of review investigation, the same only establishes that the present measures have been able to prevent dumping and therefore the same at best establishes that there is a need for the continuation of the present measures. The condition of no dumping is merely a result of the imposition of duty and further substantiates that the duty should be continued further in order to address injury and recurrence

of injury to the Domestic industry. The exporters are likely to continue dumping and there would be recurrence of dumping and injury, should the present duties expire.

ix. In their comments to the disclosure statement, the domestic industry has submitted the following:-

a) They have submitted and filed import information compiled from market intelligence, which shows that actual volume of imports from Iran (13766 MT @ Rs. 5303 per MT) is much higher than reported by the DGCI&S (303 MT @ 10560).

b) The normal associated import volume in case of lye as commercial trade transaction generally is not less than 5000 MT. In view of the information available from the market intelligence, volume and price reported as per import statistics from DGCI&S found to be significant, therefore, the price made available by the domestic industry should be considered for the determination of export price.

c) Wide variations in import prices for Caustic Soda Lye reported from Iran and other countries makes it evident that imports of lye from Iran reported by DGCI&S is aberrant an abnormal that needs to be ignored. In support of this the domestic industry has filed an evidence regarding imports from Iran.

d) The domestic industry has submitted that if the exports be made at prices equal to or higher than normal value, the landed price of imports would be significantly higher than the selling price of the domestic industry. The, foreign producers would resort to dumping, if they sell at prices matching or below net sales realization of the domestic industry.

e) Foreign Producers are having sufficient freely disposable capacities.

f) Since none of responding parties have claimed that their supplies are under some long-term contracts, they will be free to decide the market and prices particular to their benefits.

g) The world surplus capacity is much more than the entire demand of country.

x. With regard to Japan and US, information with regard to their exports to world countries was provided and it was shown that (1) these countries export significant volume to the world, (2) significant volumes exported by USA to various countries at the prices below the price at which material is being exported to India, (3) significant volumes from Japan to

world countries were at a price, which is significantly below the prevailing prices in India.

xi. In comments to the disclosure statement the interested parties raised the following issues;

a) the normal value with regard to determination for US, France and Iran has been constructed based on the Chlor Alkali, the details of which has not been provided by the domestic industry. It has been suggested that DA should have constructed the normal value on the basis of Chlor Alkali after making appropriate adjustments instead of considering dumping margin adopted in the original investigation.

b) they have further submitted that in view of no exports from Japan, the Authority should have recommended withdrawl of duty concerning imports from Japan and also stated that details regarding determination of export price have not been provided for USA, Iran and France.

c) the Designated Authority has incorrectly interpreted and applied the likelihood test to the facts of the present case since there is no imports from Japan during the POI and consequently no current dumping, there is no substantial basis to conclude the likelihood of continued dumping.

F.2 **VIEWS OF THE EXPORTERS**

20. The interested parties have submitted that;

i) There is no dumping from Saudi Arabia as the data filed by them establishes that there is no dumping.

ii) The consolidated imports filed by the applicant is not reliable, incorrect and suffers from number of inconsistencies. Authority may take either DGCI&S or IBIS statistics, as the basis for the purposes of this investigation, not combined data for the purpose of determination.

iii) The basis of dumping margin determination was not specified by the Authority in the initiation notification. Petitioners have consolidated the trade data as it suits them from various sources thus vitiating the review. Review period precedes the subsequent rise in energy and shipping costs that needs to be considered while assessing the likelihood of recurrence of injurious dumping. Authority needs to first decide whether it will include or exclude producers that may also be importers from the scope of the domestic industry. The Dumping Margin may be determined only in respect of sales to the market segment in India subject to anti dumping duty. The total domestic industry supporting the Applicants does not appear to exceed 45% of the output and thus not fulfill the 50% eligibility criteria

as laid down in Rule 2(b) read with Rule 5(3) (a) of the Customs Tariff Rules, 1995.

iv) The SGA of STME is already low. Such exports of the traders to India were profitable and keeping in mind its relatively low volumes the respective profits have been reasonable. The alleged dumping margin of STME is well within the difference between high Indian tariff rates during the review POI and much lower tariff rates in most other countries and leading markets. Any anti dumping duty levied on the basis of landed value rather than CIF price may be unlawful since such duties would necessarily exceed the dumping margin. Exporter-reseller may operate on the basis of either a commission or markup.

v) At present there is high demand and tight supply position of caustic soda in the world including the subject countries. As a result of this the price of caustic soda is increasing coupled with the rising price of natural gas in Gulf Countries and US. Petitioner had falsely averred that the installed world capacities in caustic soda are in excess of demand of the product in the world.

vi) STME submitted that its SGA is already low and exports to India were profitable. The company further claimed that the alleged dumping margin of STME is well within the difference between high Indian tariff rates during the review POI and much lower tariff rates in most other countries and leading markets.

vii) Paper Association has argued that the normal value may be determined in accordance with the average of the low range of the prevailing prices of caustic soda in the subject countries instead of the average price of caustic soda between the low and high range prices as published in Chlor Alkali magazine. Petitioner has intentionally misrepresented the DA by falsely stating that the prices mentioned in the Journal are on 'delivered basis'. Therefore, adequate adjustments are appropriate. They further argued that export price is based on unreliable secondary source of data. Also, petitioner wrongly adopted an exchange rate of US$ 1 = Rs. 46.06 whereas it was US $1=Rs. 45.79 during the POR, so that it can show decreased net export price. It is also argued that export price for France and Japan cannot be determined based on the weighted average export price from these countries to the world. Export price for France to be determined on the DGCI&S data and for Japan to be based on the rate at which Japan exported caustic soda to India during 2003-2004.

F.3 **EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

21. The Authority has noted the arguments made by the applicants on the methodology and practices adopted by various Authorities in their Sunset Reviews and the relevant WTO jurisprudence on the subject. The Authority notes that this being a sunset review investigation it is required to look at the continuation and likelihood of recurrence of dumping in the event of withdrawal of duty.

F.4 **CONTINUATION OF DUMPING**

22. The Authority sent copies of the questionnaire to all the known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A (1)(c). Responses have been received from producer/exporters from Saudi Arabia, exporters from UAE and USA. No other exporters/producers from subject countries filed any questionnaire response. The Designated Authority, therefore, has no option but to proceed on the basis of best information available on records under Rule 6(8) of AD Rules for non-cooperative exporter, which provides that

"In a case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the designated authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as it deems fit under such circumstances".

In anti-dumping investigations, normal value shall be determined in accordance with the Rules which provides that : -

(c) "normal value", in relation to an article, means-

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country or origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

SAUDI ARABIA

M/s. SADAF/M/s. SABIC/M/s. STME

NORMAL VALUE

23. M/s. SADAF, producer of the subject goods, has filed the information in the manner prescribed in the exporter questionnaire. They were neither involved in domestic sales nor export sales of the subject goods. M/s. SADAF has the capacity to produce 8,40,000 MT of EDC, and 6,10,000 MT of Caustic Soda and Chlorine. SADAF is 50: 50 joint venture company between SABIC and STME. The Company provided their costs statements starting from Salt Plant. Since there were significant differences between the cost of production and domestic selling price of subject goods, the Company was asked about this differential and it was shown that the Company has made loss on sale of Caustic Soda. It was also noted that the Company has made loss in domestic sales, exports to India and exports to other countries. SABIC is responsible for all domestic sales and export sales also, whereas STME is involved only in export sales. M/s. SABIC, the exporter of the subject goods separately filed the information regarding the domestic sales, export sales to India and sales to other countries. They had also filed information with regard to the expenses incurred on exports to India to arrive at the ex-factory export price. The verification of the data/information provided by the exporter was carried out and the verification report was sent to the exporter for their comments, if any and no adverse comments received on the verification report. It has been found that the domestic selling price for the subject goods were loss making sales and exports to countries other than India were also loss making and the domestic sales and exports to other than India were not in the ordinary course of trade. In view of the loss making sales of the company, it was found appropriate to determine the normal value based on cost of production of SADAF with reasonable profit. The normal value has been determined as US$****/MT.

24. M/s. STME, UAE (exporter) has also filed the exporter response with regard to their exports to India. M/s. STME has trading arrangement with various companies for the product of M/s. SADAF (producer). M/s. STME has exported through M/s. Amgulf, UAE, M/s. Tricon, USA and M/s. Mitsui, Japan. M/s. Amgulf, UAE and M/s. Tricon, USA had filed the exporter's response separately and their data/information were verified during on-the spot verification at their premises. Since these exporters have exported the subject goods produced by M/s. SADAF, UAE through M/s. STME, UAE, normal value has been determined for these exporters as US$****/MT.

EXPORT PRICE

25. M/s. SABIC has exported 1747.872 MT of caustic soda to India during the POI. M/s. STME has exported 19943 MT during the POI through M/s. Amgulf, UAE as 9225.745 MT, through M/s. Tricon, USA, as 9412.864 MT and M/s. Mitsui, Japan as 1304.48 MT. The export invoices raised by STME to traders for their exports to India were verified and the related invoices generated by SADAF to STME were also verified. The payment vouchers to SADAF after a deduction of 4% commission were also

verified. The profit and loss account for the product during the period of investigation was reconciled from their record. The invoices raised by STME on Tricon International Ltd., Mitsui & Co., Ltd., and Amgulf Polymers & Chemicals Ltd., and the invoices raised by SADAF to STME on account of these traders were verified. The details of payment made by Amgulf Polymers on account of STME concerning export consignments to Indian customer were also verified from their records. Similarly the payment made by Tricon on account of STME concerning exports to Indian customer was also verified from the records. M/s. SABIC, M/s. STME, M/s. Amgulf and M/s. Tricon had filed information regarding expenses for their claim to arrive at ex-factory export price. The adjustments claimed by these cooperative exporters were verified during the on-the spot verification and the verified information were taken for the purpose of determination of ex-factory export price. The expenses incurred by the exporter to trader to the producer have been taken into consideration to arrive at ex-factory export price. In view of the above, the ex-factory export price determined as US$****/MT for M/s. SADAF exported through M/s. SABIC, US$****/MT for M/s. SADAF exported through M/s. Shell – M/s. Amgulf and US$****/MT for M/s. SADAF exported through M/s. Shell – M/s. Tricon.

OTHER PRODUCERS AND EXPORTERS FROM SAUDI ARABIA

26. It is noted that no other producers/exporters from Saudi Arabia had responded to the Designated Authority. The Authority has determined the same normal value for all other exporters/producers from Saudi Arabia since M/s. SADAF constitutes more than 90% of the production of the subject goods in Saudi Arabia. Therefore, the normal value has been determined as US$****/MT for all other exporters/producers from Saudi Arabia.

27. As regards the export price, it is noted that the lowest export price of the responding exporter has been considered for determination of dumping margin for all other exporters/producers from Saudi Arabia. Hence the export price has been determined as US$ *****/MT for all other exporters/producers from Saudi Arabia.

USA, FRANCE, IRAN

NORMAL VALUE

28. The Authority sent questionnaires to all known exporters/producers for the purpose of determination of dumping margin. None of the exporters / producers from USA, Japan, France and Iran filed submissions and response to the questionnaire in the form and manner prescribed. Article 6.8 of the Agreement provides that in cases an interested party refuses access to, or otherwise does not provide, necessary information within a reasonable period or significantly impedes the investigation, preliminary or final determinations, affirmative or negative, may be made on the basis of the facts available. Since none of the exporters / producers from USA, Japan, France and Iran have filed the submissions for determination of normal value, the normal value for all exporters / producers has been constructed based on facts available as per Rule 6(8) of AD Rules. The domestic industry has submitted that they could not procure the prices of the subject

goods for the period of investigation in USA, Japan, France and Iran. Since actual prices was unavailable, the domestic industry filed information from secondary sources for determination of normal value published by Chlor Alkali price, which has been considered as a reasonable and sufficient basis for determination of normal value with appropriate adjustments. The normal value is, therefore, determined on the basis of prices reported in Chlor Alkali for the POI. The prices were considered as delivered prices and an adjustment for possible inland freight was made to determine the normal value at ex-factory level. The normal value is accordingly determined respectively as US$****/MT, US$ ****/MT and US$ ****/MT for all exporters / producers from USA, France and Iran.

EXPORT PRICE:

29. The export price is determined on the basis of transaction wise import statistics provided by DGCI&S. On examination of import data, it was found that the transaction wise data provided by the DGCI&S were having data pertaining to other products also. Therefore, import data was analyzed and segregated for the product under consideration, which was further segregated for caustic soda lye and flake/solid forms. As per DGCI&S import statistics USA has exported 1295 MT, Iran has exported 303 MT, France has exported 40 MT of caustic soda during the POI. The DGCI&S import statistics did not report any imports of subject goods from Japan during the POI. To arrive at the ex-factory export price, adjustments were considered as facts available, in the absence of any response from the exporters/producers from USA, France and Iran and any information from other interested parties. The ex-factory export price was determined as US$****/MT, US$ ****/MT and US$****/MT for all exporters/producers from USA, France and Iran.

JAPAN

30. The Authority sent questionnaires to all known exporters/producers for the purpose of determination of dumping margin. None of the exporters / producers from Japan filed submissions and response to the questionnaire in the form and manner prescribed. Article 6.8 of the Agreement provides that in cases an interested party refuses access to, or otherwise does not provide, necessary information within a reasonable period or significantly impedes the investigation, preliminary or final determinations, affirmative or negative, may be made on the basis of the facts available. Since there were no exports of subject goods from Japan during the POI, the current dumping margin could not be determined.

F.4 **DUMPING- MARGIN**

31. Based on the normal value and export price as determined above, the Authority assessed the dumping margin as under:

Exporter/Producer	Normal Value (US$/MT)	Export Price (US$/MT)	Dumping margin as % of Export Price
Saudi Arabia			
SADAF (producer) and SABIC (exporter)	****	****	149.81
SADAF (producer) and AMGULF (exporter) through STME	****	****	92.61
SADAF (producer) and TRICON (exporter) through STME	****	****	85.23
All Other exporters/ producers from Saudi Arabia	****	****	149.81
France – All exporters/producers	****	****	56.13
Iran– All exporters/producers	****	****	34
Japan – All exporters/producers (dumping as established in the original investigation)	****	****	190.7
USA – All exporters/ producers	****	****	139.36

F.5 LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING

32. In order to determine whether the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, the Authority considered the following parameters: -

- Dumping margin determined in the original investigations.
- Dumping margin determined in the present investigations – wherever exports to India existed during the investigation period, the same were considered and dumping margin determined. Wherever there were no exports to India during the investigation period, the dumping margins assessed in the original investigation were considered.
- Freely disposable present and potential capacities, considering known expansions undertaken by the foreign producers, prices prevailing in India, actual and potential volume of exports, export price from these countries to other countries.

33. On examination of these factors it is noted that;

(a) The dumping margins are significant in case of Saudi Arabia, Iran, USA and France;

(b) Considering the benchmark proposed to be recommended, should the exports be made below this benchmark, the same would be at dumped prices. Therefore, the exports are likely to be at dumped prices, if the imports are below the benchmark proposed to be recommended;

(c) Export price from subject countries are significantly below not only the normal value but also the prevailing selling prices in India and non injurious price determined for the domestic industry;

(d) It has not been demonstrated by the exporters that withdrawal of anti dumping duty would not lead to likelihood of dumping and injury to the domestic industry and continued imposition of the duty was unnecessary to offset dumping.

(e) Considering the level of capacity utilization achieved by the producers in the exporting countries in the past over the injury period and the capacity utilization achieved during the investigation period, the Authority determined unutilized capacities in subject countries. Based on the information provided by the domestic industry from CMAI, it is noted that the unutilized capacities with the USA producers were to the extent of 1028000 MT, with the Japanese producers were to the extent of 707000 MT, with the Iranian producers were to the extent of 120000 MT, with the Saudi Arabian producers were to the extent of 9000 MT while the same were to the extent of 1886000 MT in case of West European producers. In other words, producers in these countries can readily offer material to these extents.

(f) As per information provided by CMAI:-

USA unutilized capacity	1028000 MT
Saudi Arabia unutilized capacity	9000 MT
Japan unutilized capacity	707000 MT
Iran unutilized capacity	120000 MT
France unutilized capacity	1886000 MT
Total unutilized capacity in subject countries	3750000 MT
Indian Demand	
➢ excluding captive consumption	1851494 MT
➢ including captive consumption	2108996 MT

(g) As per CMAI reports, the present demand-supply situation in the world is as follows:-

Demand	50031000 MT
Capacity	57574000 MT
Surplus	7543000 MT

As there is surplus capacity on a worldwide basis, it is noted that there is likelihood of exports from subject countries to Indian market. Having regard to the evidence regarding capacity, production, sales and demand, it is noted that withdrawal of anti dumping duty would lead to dumping and on this account, the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping. It is noted that in absence of exports of subject goods from Japan current dumping could not be determined, however based on the likelihood examination of dumping, it was found appropriate to adopt the dumping margin determined in the original investigation as 190.7%.

(h) The examination of dumping during the POI and likelihood of dumping indicates that the dumping margins in respect of subject goods, exported from subject countries, are significant. The interested parties have argued that there is substantial change in the economic scenario during the last four years and the domestic industry has improved which is evident from their annual reports. The interested parties have further claimed that in the changed market dynamics of the price structure and supply demand scenario there would not be any need for any producer to dump the goods in India. It is noted though the likelihood test is required to take into account the changed market dynamics to examine whether there is a likelihood of continuation of dumping in the event of removal of duty, no credible evidence was provided by interested party in this respect. The world trade data indicates that the export price of subject goods to the world market, from the subject countries has been lower than the export price to India for the comparable periods. In view of the above, it is noted that in spite of the changed market dynamics it would be difficult to conclude that the exports would not likely to continue to enter the Indian market from the subject country at dumped prices in event of revocation of the duty.

G. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

34. The Authority notes that this being a sunset review of antidumping duty already in force, continuation of material injury to the domestic industry, as well as likelihood of continuation or recurrence of material injury needs to be examined in the context of actual or likely imports of the subject goods from subject countries.

G.1 CONTINUATION OF INJURY

35. The Authority notes the arguments of the domestic industry that injury and causal link determination is not mandatory in a sunset review investigation as has been held by the Appellate Body in its final report in the matter of US – Sunset Review of Anti Dumping Duties on Oil Country Tubular Goods from Argentina. However, having

established positive dumping margin for the subject goods exported from USA, Iran, Saudi Arabia and France during the investigation period and likely dumping from Japan, the Authority has also examined the injury, if any, suffered by the domestic industry during the period of anti dumping duties were in force.

36. It is noted that Caustic Soda is being imported from a number of countries, including the countries/territories under parallel investigations. The Authority also notes that antidumping duty is in force against Qatar, Korea and China in addition to subject countries. Midterm review against Chinese Taipei, Indonesia and EU (excluding France) has confirmed continued and/or likely dumping and injury from these countries.

G.2 **VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY**

37. The domestic industry has submitted that:

(i) The Authority is not required to restrict to the requirements of Article 3 of the ADA or Annexure-II to the Rules in a sunset review case and causal link in review investigations is not required to be examined. WTO decision in the matter of OTCG has been referred to and relied upon.

(ii) Though the performance of the domestic industry improved in respect of a number of parameters (essentially volume parameters), the performance remained adverse in respect of a number of price parameters and the domestic industry has suffered continued injury. However, domestic industry was yet to achieve financial stability and reasonable returns considering huge investments made in Caustic Soda Industry. In sunset review investigation, in a situation where the performance of the domestic industry shows improvement, the Authority is thereafter required to examine likelihood of recurrence of injury, in case the duties are withdrawn. Even if, it is held that the domestic industry has not suffered continued material injury during the period of review, the positive state of the domestic industry would be disturbed once anti dumping duty is withdrawn. Further, mere positive state of the domestic industry is not a sufficient ground to allow the duty in force to expire without examining the likelihood of recurrence of injury. The same has been upheld by the WTO Appellate Body in the matter of US – Sunset Review of Anti Dumping Duties on Oil Country Tubular Goods from Argentina.

(iii) Injury to the domestic industry is likely to recur which is established by significant positive price undercutting, significant freely disposal capacities with Foreign Producers in the subject countries (and other countries), price attractiveness of Indian market (higher prices in the Indian market vis-à-vis other third country market), dumping in third country markets by the producers in subject countries.

(iv) In 2004, worldwide production capacity of caustic soda was assessed as 65.41 Million MT whereas the world demand of caustic soda was only 52.8 Million

M1, thus, there existed a surplus of 12.52 Million MT which amounts to nearly around 20% of capacity.

(v) Considering various factors, the Authority should appropriately consider the same treatment to chlorine as has been treated by the company in its books, duly certified by Cost Auditors.

(vi) *A number of transactions reported in DGCI&S and actual evidence made available by the domestic industry makes it evident that the goods in lye form could not have been imported at an abnormal high price. In view of the abnormal unrealistic export price the undercutting determination assessed as negative can not be the reason for non continuance of anti dumping duty with regards to dumped imports from Iran.*

(vii) *Domestic industry has further submitted that mere negative price undercutting in a sunset review investigation did not mean no likelihood or recurrence of injury. Significant freely disposable capacities makes it evident that the domestic industry is likely to be injured, should the present anti dumping duties be withdrawn.*

G.3 **VIEWS OF THE EXPORTER / IMPORTER /OTHER INTERESTED PARTIES**

38. The interested parties have submitted that;

i There is inadequate evidence to support the claim of the domestic industry that injury will recur if the duties are withdrawn.

ii The domestic industry has not suffered any material injury during the period of review. The Designated Authority is required to take into consideration several factors as mandated in Article 3.1 of the ADA, Rule 11, and Annexure II of the Indian Anti dumping Rules while determining injury.

iii Domestic Industry has failed to establish a prima facie case with regard to recurrence of injury. Import volumes of the subject goods did not go down drastically even after the imposition of the anti dumping duty and the import volumes remained unaffected, therefore, the imports would not go up in case the duties are withdrawn.

iv The Designated Authority has failed to examine all the listed factors of injury as mandated by Article 3.4 of the ADA. The determination of injury was interpreted and considered by WTO in various appellate body decisions mainly, Anti Dumping Duties on Imports of Cotton Type Bed linen from India in Para 6.154 of the Panel report, Definitive Anti Dumping on Poultry from Brazil and Anti Dumping Duty on Angles Shapes and Sections of Iron and Non-Alloy Steel and H-Beams from Poland. They have submitted that none of the injury factors show material injury to the Domestic Industry.

v Domestic Industry has failed to establish causal relationship between dumped imports and injury to the domestic industry. Other factors, which are relevant with regard to injury to the domestic industry, are imports from other sources, limited capacity with Indian Producers, utilization of existing capacity and the planned capacities for production of other products are relevant in this regard. Import volumes from the subject countries were at an all time low and negligible.

vi There is no clear threat of either dumping or attributable injury in the next few years. There exists no causal link between the alleged dumping and the alleged injury. Authority is required to consider that the relative conditions of competition in the Indian market are also influenced by the fact that India has world's highest tariff rates and Domestic Industry is unable to satisfy the 'but for dumped imports test' to show a causal link between any dumping and any injury.

vii The Domestic Industry must show threat of material injury or a likelihood of injury based on facts in order to justify the continuation of anti dumping duty.

viii Injury determination cannot be assessed based on less than 50% of Indian production.

ix Injury is due to increasing exports with poor sales realization and failure to increase capacity to match increase in domestic demand.

x Captive consumption can not be ignored from the injury analysis.

xi Domestic Industry is experiencing historic profits and that there is no threat from imports in the Indian market. Some of the domestic manufacturers viz. Bihar Caustic & Chemicals ltd., DCM Shriram Consolidated Ltd., Kanoria Chemicals & Industries Limited, Andhra Sugars Limited and Travancore Cochin Chemicals Ltd. etc. have planned expansion of their manufacturing units which would increase the total installed capacity of Caustic Soda by 1,35,852 MT, which suggests that the domestic industry is fully on the road of recovery.

xii The ECU realization in the market has drastically gone up with realization from each individual constituent having gone up by 100% - 200%. The ECU realization in India has been higher as compared to USA and Western Europe.

xiii Caustic Soda and Chlorine should be treated as co-products of equal economic value for the purpose of calculation of the non-injurious price and the injury margin in light the recent decision of the CESTAT. Both caustic soda and chlorine are able to realize substantial and near equal amounts from the market. Therefore, caustic soda and chlorine should be accorded the status of joint products and not by-products. The monograph of the Institute of Cost Accounts on cost accounting for joint products and by-products recognizes that caustic soda and chlorine are co products or products of equal importance. In case an

evaluation of the total realization to the Indian Manufacturers with caustic soda and chlorine is considered together, it would be much higher than the cost of production of caustic soda.

xiv The demand of more than 12% return on capital employed is contrary to the established law and to the state of the Indian economy as held by the CESTAT in the case of Indian Spinners Association vs. Designated Authority, which has provided guidance on the issue of ROCE and needs to be followed. CESTAT has also held that evidence should be produced to show the margin of profit for calculating the ROCE is reasonable. Chlor Alkali industries do not justify the return of 22% on the capital employed. DA has failed to provide why a flat rate of 22% return including interest should be considered for all industries.

xv Domestic Industry is facing in-competitiveness in the domestic market due to high cost of power in India. The losses of the domestic Industry are attributable to the skewed nature of the capital structure. Domestic Industry has abnormally high level of borrowings as a result of which bulk of income from operations go to service debt and very little or nil surplus is left for the shareholders.

xvi Profit after tax and depreciation trends reflects that domestic industry is suffering due to high interest burden and not dumping.

xvii There has been a recovery in the prices of caustic soda, which would continue for few years.

xviii The Domestic Industry had brought about an intentional and unjustified escalation in the prices of caustic soda to gain undue profit margins at the cost of negative impact on the user-industries. Domestic Industry has intentionally created an artificial shortage of caustic soda by forming a cartel resulting in the production cuts, periodic caustic soda price increase, deliberate erratic supplies.

xix Cumulative assessment of injury was impermissible in the present case as the volume of imports from the subject countries during POR is below 3% of total imports of caustic soda and collectively is less than 7% of total volume of imports in India.

xx At present there is high demand and tight supply of caustic soda in the world market including the subject countries. As a result of this the price of caustic soda is increasing coupled with the rising price of natural gas in Gulf Countries and US. Petitioner had falsely averred that the installed world capacities in caustic soda are in excess of demand of the product in the world.

xxi The Domestic Industry has not suffered any volume injury or price injury during the POR. The price of caustic soda in India is higher than the price of caustic soda in other parts of the world due to other factors like high power cost, poor logistics and infrastructure, non-availability of raw materials etc.

xxii. The export of the Domestic Industry during 2003-2004 fell by 25% to 31.20 tonnes during 2003-2004 due to high domestic prices and increase in domestic consumption. Domestic Industry is adopting unfair trade practice by building this false case of dumping against the subject countries. Thus, the duty is requested to be withdrawn in public interest.

xxiii. In the comments to the disclosure statement the interested party has submitted that a return of capital employed of 2% is not realistic and as such the DA has determined the ROCE without any factual basis. The determination of ROCE will have a material bearing on the findings of injury to the domestic industry, since they have claimed injury on the basis of this basis of benchmark on all parameters.

xxiv. Most of the parameters are showing positive trend during the period of investigation, therefore no injury suffered to the domestic industry and there is no basis provided for concluding that there is a likelihood of recurrence of injury to the domestic industry on the basis of facts available. Since there is no injury to the domestic industry, therefore causality cannot be claimed on the basis of alleged dumping.

xxv. M/s. NALCO has submitted that the proportion of import to the extent of little more than 4% to the total domestic production either has not caused injury to the domestic industry or will not recur injury due to such imports. They have also submitted that the major imports are taking place of caustic lye, therefore lye should be considered separately in the Authorities examination.

G.4. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

39. The Authority has taken note of various arguments raised by various parties with regard to the material injury to the domestic industry. It is noted that antidumping duty is in force against Qatar, Korea and China in addition to subject countries and midterm reviews against Chinese Taipei, Indonesia and EU (excluding France) has confirmed continued and/or likely dumping and/or injury from these countries.

40. The Authority has examined the submissions made by the various interested parties regarding the likelihood of continuation or recurrence of injury to the domestic industry in case of revocation of duty. It is noted that duty was originally imposed on reference price basis on all imports of subject goods from subject countries. It is also noted that a review has been initiated in terms of Section 9A(5) of Customs Tariff Act which requires the Authority to examine whether the duty is required to be continued for a further period of five years and to examine the degree and extent of likely dumping and injury and the need for revocation for duty based on the information provided and arguments raised by various interested parties during the course of the investigation.

41. For the purpose of assessing current injury in the period of investigation, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports on the domestic industry. The dumping margins have been established from each of the subject countries and likelihood of dumping has been established from each of the subject countries. Entire exports from subject countries have been treated as dumped imports for the purpose of injury and causation analysis.

42. It has been argued by the domestic industry that because there are no imports from some of the subject countries or nominal imports due to anti dumping duty in place, cumulation can not be done in this case and even after separate examination of injury is done, domestic industry is likely to suffered injury from the dumped imports from each of the subject countries in case of revocation of duty. The subject goods have been imported under the same tariff classification and the user industry for the imported product and the domestic product is the same and they compete in the same market. Accordingly, the Authority has assessed injury and likelihood of continuation or recurrence of injury to the domestic industry.

Volume Effect

43. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Annexure II (ii) of the anti dumping rules provides as under:

"While examining the volume of dumped imports the said authority shall consider whether there has been significant increase in the dumped imports either in absolute terms or relative in production or consumption in India"

Assessment of demand and market share

44. Demand of the product in India has been computed as the sum of domestic sales of the domestic industry, production of other Indian producers and total imports of the subject goods from various countries. The demand so assessed is shown in the following table.

MT	2000-01	2001-02	2002-03	POI – Annualized
Sales of Domestic Industry	730,129	756,220	784,438	842,930
Indexed	100.00	103.57	107.44	115.45
Production of domestic industry	789,600	819,011	846,998	892,492
Imports				
Subject Countries	23,012	5,438	7,159	15,552
Indexed	100.00	23.63	31.11	67.58
Other Countries	50,609	33,533	107,526	71,042
- Attracting anti dumping duty	39,046	29,689	95,928	36,681
- Not attracting ADD	11,563	3,844	11,598	34,361
Total imports	73621	38971	114685	86594
Indexed	100.00	52.93	155.78	117.62
Demand	1,635,448	1,623,806	1,792,411	1,851,494
Indexed	100.00	99.29	109.60	113.21

45. It is seen that demand of the subject goods has shown a positive trend during the injury period. The sale of the domestic industry has improved during the injury period, which shows that the domestic industry is recovering from the effects of past dumping. It is also noted that there are continued imports of Caustic Soda from USA, France, Saudi

Arabia and Iran at dumped prices during the POI. Investigation has also revealed that the exporters/producers in subject countries are likely to continue or resume export at dumped prices, should the present anti dumping duties be revoked at this stage. It is noted that volume of imports of subject goods from USA, France, Saudi Arabia and Iran were low and there were no imports from Japan during the POI. However, these do not establish no likelihood of recurrence of injury in the event of revocation of anti dumping duties.

	2000-01	2001-02	2002-03	POI - Annualized
Imports volume				
France	0	9	80	27
Japan	17,260	2,476	-	-
Saudi Arabia	612	-	6,046	14,460
USA	5,140	2	866	863
Iran	-	2,951	167	202
Subject Countries Total	23,012	5,438	7,159	15,552
Indexed	100	23.63	31.11	67.58
Other Countries	50,609	33,533	107,526	71,042
Total imports	73,622	38,971	114,685	86,594
Indexed	100	52.93	155.78	117.62
Market share in imports				
France	0.00	0.02	0.07	0.03
Japan	23.44	6.35	-	-
Saudi Arab	0.83	-	5.27	16.70
USA	6.98	0.01	0.76	1.00
Iran	-	7.57	0.15	0.23
Subject Countries Total	31.26	13.95	6.24	17.96
Other Countries	68.74	86.05	93.76	82.04

Market share of imports from subject countries in total imports has also declined from 31.26% in the base year to 17.96% during the period of investigation whereas the imports from other countries have increased from 68.74% to 82.04% in the respective period. It is noted that the share of dumped imports has declined due to anti dumping duty on place on imports from various sources including the countries involved in this sunset review investigation.

Price Effect

46. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows,

"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which other wise would have occurred to a significant degree."

47. In a sunset review investigation, it is required to be examined whether there has been a significant price effect by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether there is likelihood of adverse price effect in case of revocation of anti dumping duty. It is observed that inspite of the imposition of the anti dumping duty, the import price of the subject goods has remained significantly lower than the selling price, cost of production and non-injurious price determined for the domestic industry. The imports would be undercutting the prices of the domestic industry to a significant extent in the event of revocation of anti dumping duties. It is, therefore, noted that there is likelihood of adverse price effect in the event of revocation of the anti dumping duties.

Rs. Per MT	USA	Iran	Saudi Arabia	Japan	France
Net Sales realization of Domestic industry	****	****	****	****	****
Landed Value	9,910	13,009	7,554	7,264	13,230
Price Undercutting	****	****	****	****	****
Price Undercutting (%)	****	****	****	****	****

48. In order to assess the effect of imports on the domestic market, the Authority analyzed import prices over the injury period and it was found that the exporters from USA, Iran, Saudi Arabia and France have continuously kept their prices at low levels in respect of their exports to India. The decline in customs duty and decline in the prices of imports have further triggered a reduction in landed price of imports. Change in cost structure if any, due to competition in the domestic industry and prices of competing substitutes have been examined for analyzing the factors other than dumped imports that might be affecting the prices in the domestic market and it is noted that there are no viable substitute to this product and the prices could be affected due to dumped prices.

49. The net sales realization of the domestic industry has been determined considering selling price, excluding taxes & duties, rebates, discounts and freight & transportation. Entire sales volumes of the domestic industry have been considered for this purpose. Landed price of imports has been determined considering weighted average CIF import price, with 1% landing charges and applicable basic customs duty. The comparison is done between net sales realization and landed price of imports for Caustic Soda Lye and Solid separately. A comparison for subject goods during the period under investigation was made between the weighted average landed value of dumped imports and the domestic selling price in the domestic market. With regard to Japan, the price at which goods were exported to other world countries were used to determine whether the exports were likely to undercut the prices of the domestic industry, should these be made at the same price to India at which these were made to third countries. Price undercutting in case of Japan was also determined considering the export price established in the investigation period of original investigation, extrapolating the same to determine landed price in order to determine the price undercutting. It is found that the landed value of imports from USA, Saudi Arabia, Japan and France were lower than the net sales realization of the domestic industry for the subject goods during the POI thereby establishing that the imports are undercutting the selling price of the domestic industry and likely to undercut with the revocation of anti dumping duties. The weighted average landed value of imports were much lower than the net sales realization of the domestic industry, thus undercutting the domestic prices. The undercutting margins from the subject countries were in the range of -17 % to 35% during the POI.

Rs. Per MT	USA	Iran	Saudi Arabia	Japan	France
Non injurious price for Domestic industry	****	****	****	****	****
Landed Value	9,910	13,009	7,554	7,264	13,230
Price Underselling	****	****	****	****	****
Price Underselling (%)	****	****	****	****	****

50. The non-injurious price determined for the domestic industry was compared with the landed value to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been evaluated for the domestic producers by appropriately considering the cost of production for the product under consideration during the POI, normatting the capacity utilization and providing reasonable profit on the capital employed. The analysis shows that the weighted average landed value of the subject goods from each of the subject countries is less than the non-injurious price determined for the domestic industry during the period of investigation. The underselling margins were in the range of 5% to 47% during the POI.

Economic parameters relating to the domestic industry

51. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of the subject goods. Further Annexure II (iv) of the Rules lays down various factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

Production and Sales

52. Status of the domestic industry with regard to actual capacity, production, capacity utilization and sales volumes over the injury period has been as under:-

	2000-01	2001-02	2002-03	POI - Annualized
Capacity of domestic industry	897,598	910,098	910,098	910,098
Indexed	100.00	101.39	101.39	101.39
Production of domestic industry	789,600	819,011	846,998	892,492
Indexed	100.00	103.72	107.27	113.03
Capacity Utilization of domestic industry	87.97	89.99	93.07	98.07
Indexed	100.00	102.30	105.80	111.48
Sales of domestic industry	730,129	756,220	784,438	842,930
Indexed	100.00	103.57	107.44	115.45

It is noted that production, capacity utilization and sales of the domestic industry showed a positive trend during the injury period. Production of the domestic industry has increased in response to increase in sales with imposition of anti dumping duties on imports of Caustic Soda from various sources, including the subject countries . However, it is noted that the exporters from subject countries are exporting Caustic Soda at prices significantly below the reference prices determined in earlier and present investigation. Moreover, exporters from subject countries are exporting significant volume to other countries regularly, and the investigation has shown that there is freely disposable capacity available with the producers in subject countries. It is also noted that the dumped imports are likely to cause significant price undercutting and given significant freely disposable capacities with the subject foreign producers, it is likely that the domestic industry is likely to either loose sales volumes or reduce the prices. Should the domestic industry be forced to sacrifice sales volumes, it is evident that the revocation of anti dumping duties would lead to adverse impact on sales volumes and consequently on production and capacity utilization.

Productivity

53. Productivity of the domestic industry is given in the table below

	2000-01	2001-02	2002-03	POI - Annualized
Productivity per employee(MT)	****	****	****	****
Productivity trend – Indexed	100.00	107.46	115.68	129.35

The productivity of the domestic industry improved during the injury period. It is further noted that the domestic industry has improved its performance and productivity during the POI due to anti dumping duty on imports from a number of sources in last four investigations including this investigation.

Actual and Potential decline in Utilization of Capacity

54. Present utilization of capacity of domestic industry has been as under:

	2000-01	2001-02	2002-03	POI – Annualized
Capacity of domestic industry	897,598	910,098	910,098	910,098
Indexed	100.00	101.39	101.39	101.39
Production of domestic industry	789,600	819,011	846,998	892,492
Indexed	100.00	103.72	107.27	113.03
Capacity Utilization of domestic industry	87.97	89.99	93.07	98.07
Indexed	100.00	102.30	105.80	111.48
Demand	1,635,448	1,623,806	1,792,411	1,851,494
Indexed	100.00	99.29	109.60	113.21

Based on the above, it is noted that capacity utilization of the domestic industry has improved. Capacity utilization of the domestic industry has increased because of increase in production and sales due to antidumping duty in place on imports from various sources in earlier investigations. It is noted that the capacity of the domestic industry during the injury period has increased marginally, however, the capacity utilization has increased in the increased demand of the subject goods.

Actual and Potential decline in Sales

55. Present sales status of the Domestic industry has been as under:

MT	2000-01	2001-02	2002-03	POI - Annualized
Sales of Domestic industry	730,129	756,220	784,438	842,930
Indexed	100.00	103.57	107.44	115.45
Imports				
- France	0	9	80	27
- Japan	17,260	2,476	-	-
- Saudi Arabia	612	-	6,046	14,460
- USA	5,140	2	866	863
- Iran	-	2,951	167	202
- Subject Country	23,012	5,438	7,159	15,552
Indexed	100.00	23.63	31.11	67.58
Other Sources				
Attracting ADD	39,046	29,689	95,928	36,681
Indexed	100.00	76.03	245.68	93.94
Not attracting ADD	11,563	3,844	11,598	34,361
Indexed	100.00	33.25	100.30	297.16
Total Others	50,609	33,533	107,526	71,042
Indexed	100.00	66.26	212.46	140.37
Total imports	73,622	38,971	114,685	86,594
Indexed	100.00	52.93	155.78	117.62
Imports from subject countries in relation to sales of Domestic industry	3.15	0.72	0.91	1.84
Market share in imports – Subject Countries	31.26	13.95	6.24	17.96
Market share in imports – Other Countries	68.74	86.05	93.76	82.04

The sales of the domestic industry have increased during the entire injury period. It is also observed that the share of dumped imports from subject countries in relation to sales of the domestic industry has declined from 3.15% in base year to 1.01% during the POI. Market share of imports from subject countries in total imports has also declined from 31.26% in the base year to 17.96% during the period of investigation whereas the imports from other countries have increased from 68.74% to 89.27% in the respective period. It is noted that the share of dumped imports has declined due to anti dumping duty on place on imports from various sources including the countries involved in this sunset review investigation.

Profits, return on investment and cash flow

56. The present and likely status of profits, return on investment and cash flow of the domestic industry has been examined. Present status of these parameters of the domestic industry has been as under:

In Lacs	2000-01	2001-02	2002-03	POI - Annualized
Profit Before Tax	****	****	****	****
Indexed	(100.00)	(45.83)	(155.66)	(21.58)
Profit before interest and tax	****	****	****	****
Indexed	100.00	90.68	(2.93)	128.22
Return on capital employed - NFA Basis	****	****	****	****
Indexed	100.00	152.16	(13.60)	37.61
Cash Profit	****	****	****	****
Indexed	(100.00)	52.44	(272.02)	86.96

It is noted that losses (PBT) to the domestic industry has increased during 2002-03 and subsequently the losses of the domestic industry declined during the POI. The original investigation of the present sunset review investigation was first investigation of the subject goods and important dates and events of this investigation are as under:

SN	Event	Date
1	First Investigation against USA, Japan, Saudi Arabia, Iran and France (Period of investigation has been April 1998 – Sept 1999)	
	➢ Initiation of Investigation	26.05.2000
	➢ Preliminary Finding	16.11.2000
	➢ Preliminary Finding Ministry of Finance	26.12.2000
	➢ Final Finding	14.05.2001
	➢ Final Finding Ministry of Finance	26.05.2001
2	Second Investigation against Qatar (Period of investigation has been Jan 2001 – Sept 2001)	
	➢ Initiation of Investigation	08.10.2001
	➢ Preliminary Finding	18.01.2002
	➢ Preliminary Finding Ministry of Finance	27.03.2002
	➢ Final Finding	7.10.2002
	➢ Final Finding Ministry of Finance	31.10.2002
3	Third Investigation against China and Korea (Period of investigation has been 2001-02)	
	➢ Initiation of Investigation	14.05.2002
	➢ Preliminary Finding	21.09.2002
	➢ Preliminary Finding Ministry of Finance	26.12.2002
	➢ Final Finding	04.08.2003
	➢ Final Finding Ministry of Finance	26.12.2003
4	Fourth Investigation against Chinese Taipei, Indonesia and EU excluding France (Period of investigation has been Jan 2002 – Sept 2002)	
	➢ Initiation of Investigation	08.10.2002
	➢ Preliminary Finding	08.01.2003

➢ Preliminary Finding Ministry of Finance	27.03.2003
➢ Final Finding	01.10.2003
➢ Final Finding Ministry of Finance	14.11.2003

57. It is noted that the domestic industry was suffering due to dumped imports from Qatar during the base year and subsequently faced injury due to dumped imports from Korea and China, followed by Indonesia, Chinese Taipei and European Union (excluding France). After imposition of duty against these sources, performance of the domestic industry in terms of profits, return on investment and cash flow has materially improved in the present POI. However, the domestic industry was still suffering financial losses (PBT) in the current investigation period. Return on capital employed was positive upto 2001-2002, become negative in 2002-03 and again improved substantially during the period of investigation. Most of the constituents of the domestic industry are multi product companies and do not maintain separate cash flow for product under consideration, therefore, the cash flow situation of the domestic industry could not be assessed. However, the cash profit of the domestic industry with regard to the product under consideration, which was positive upto 2001-02, became negative in 2002-03 and thereafter once again become positive during the period of investigation. It is noted that dumping from one or other source adversely affected profits, cash flow and return on capital employed. The financial health of the domestic industry improved substantially with the imposition of anti dumping duties on imports from various sources, however, none of these parameters reached a reasonable satisfactory situation. The domestic industry still continued to suffer financial losses during the injury period.

Market share in Demand

58. Actual and potential increase in dumped imports and its impact on market share of the domestic industry in demand were examined. Status of imports from subject countries and share of imports in relation to production/consumption in India is given in the table below.

	2000-01	2001-02	2002-03	POI - Annualized
Market share in Demand - Excluding Captive				
Domestic industry	44.64	46.57	43.76	45.52
Other producers	50.86	51.03	49.84	49.80
Subject Countries	1.41	0.33	0.40	0.84
Other Countries	3.09	2.06	6.00	3.84
Market share in Demand - Including Captive				
Domestic industry	51.51	53.49	51.01	52.17
Other producers	44.54	44.42	43.41	43.72
Subject Countries	1.23	0.29	0.35	0.74
Other Countries	2.71	1.80	5.23	3.37
Imports (subject countries) in relation to production of domestic industry	2.91	0.66	0.85	1.74
Imports (subject countries) in relation to sales of domestic industry	3.15	0.72	0.91	1.84

It is noted that market share of dumped imports from subject countries in total imports declined from 31.26% during 2000-01 to 17.96% during the POI and the market share of dumped imports from subject countries in total demand has declined from 1.41% to 0.84% (in demand excluding captive) and from 1.23% to 0.74% (in demand including captive) during the POI. Thus, with the existence of the present duties, market share of the imports in demand has declined whereas the market share of domestic industry in total demand has first declined and then improved during the POI. The Authority also examined likely situation of the market share of subject countries should the present duties be revoked. It is noted that the decline in dumped imports and improvement in market share is solely due to imposition of anti dumping duty on imports from various sources including sources in this investigation. Considering the price levels of the producers and exporters from subject countries to India and other countries, the information on record shows that the producers and exporters are exporting significant quantity at prices lower than prevailing prices in the Indian market. It is also noted that the exporters in subject countries are exporting to other countries at lower prices and surplus capacity is available with them. In view of this, there is no reason to believe that these produces and exporters would not be exporting significant material at dumped prices to India if anti-dumping duty were revoked. Given the likely volume of imports, it is noted that the market share of the subject imports in demand is likely to once again reach significant levels in event of revocation of anti dumping duty.

Employment and wages

59. It is noted that most of the constituents of the domestic industry are multi product companies, therefore, there may not be direct adverse effect on employment levels of the domestic industry due to dumped imports. These parameters were nevertheless examined and status of employment levels and wages have been as under:

	2000-01	2001-02	2002-03	POI – Annualized
Employment	****	****	****	****
Indexed	100.00	96.52	92.73	87.39
Wages	****	****	****	****
Indexed	100.00	106.14	105.74	113.77

The employment levels with the domestic industry show a decline during the POI, but no substantial argument was raised on this account. Wages do not show decline and rather show an increase over the period, which is reflective of the increments in wages.

Price undercutting and underselling

60. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or

whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred to a significant degree. In order to assess the effect of imports on the domestic market, Designated Authority analyzed import prices over the injury period and it was found that the exporters from subject countries have continuously kept their prices at low levels in respect of their exports to India. The decline in customs duty and decline in the prices of imports have further triggered a reduction in landed price of imports.

61. Designated Authority determined the net sales realization of the domestic industry considering selling price, excluding taxes & duties, rebates, discounts and freight & transportation. Entire sales volumes of the domestic industry have been considered for this purpose. Landed price of imports has been determined considering weighted average CIF import price, with 1% landing charges and applicable basic customs duty. The comparison is done between net sales realization and landed price of imports for Caustic Soda Lye and Solid separately. A comparison for subject goods during the period under investigation was made between the weighted average landed value of dumped imports and the domestic selling price in the domestic market. With regard to Japan, the price at which goods were exported to other world countries were used to determine whether the exports were likely to undercut the prices of the domestic industry, should these be made at the same price to India at which these were made to third countries. Price undercutting in case of Japan was also determined considering the normal value established during the investigation period, extrapolating the same to determine landed price in order to determine whether the Japanese exports were expected to be at dumping prices, should the exports be made at prices equal to or less than normal value. It is found that the landed value of imports from each of the subject countries were lower than the net sales realization of the domestic industry for the subject goods during the POI thereby establishing that the imports are likely to undercut the selling price of the domestic industry with the revocation of anti dumping duties. The weighted average landed value of imports were much lower than the net sales realization of the domestic industry, thus undercutting the domestic prices. The undercutting margins were in the range of -17% to 35% during the POI.

Rs. Per MT	USA	Iran	Saudi Arabia	Japan	France
Net Sales realization of Domestic industry	****	****	****	****	****
Landed Value	9,910	13,009	7,554	7,264	13,230
Price Undercutting	****	****	****	****	****
Price Undercutting (%)	****	****	****	****	****

62. The Authority further notes that price underselling is an important indicator of assessment of injury in order to determine whether the exports are likely to depress the prices of the domestic industry to a significant degree. For the purpose, the Authority considered the non injurious price determined for the domestic industry and compared the same with the landed value of imports to arrive at the extent of price underselling the domestic industry would be forced

to in case the domestic industry matches the prices. The non-injurious price has been evaluated for the domestic producers by appropriately considering the cost of production for the product under consideration during the POI, normatting the capacity utilization and providing reasonable profit on the capital employed. The analysis shows that the weighted average landed value of the subject goods from each of the subject countries is less than the non-injurious price determined for the domestic industry during the period of investigation. The underselling margins were in the range of 5% to 47% during the POI.

Rs. Per MT	USA	Iran	Saudi Arabia	Japan	France
Non injurious price for Domestic industry	****	****	****	****	****
Landed Value	9,910	13,009	7,554	7,264	13,230
Price Undercutting	****	****	****	****	****
Price Undercutting (%)	****	****	****	****	****

63. The Authority notes that revocation of the anti dumping duty in force would provide an opportunity to the exporters to sell the material at such prices which is likely to depress prices of the domestic industry to a significant degree or prevent price increases to a significant degree which otherwise would have occurred.

Inventories:

64. Designated Authority has examined the inventory level of the domestic industry, which is given in the following table:-

MT	2000-01	2001-02	2002-03	POI - Annualized
Inventory	****	****	****	****
Indexed	100.00	152.63	202.25	161.39
Inventory as % of sales	****	****	****	****
Indexed	100.00	147.06	193.60	137.77

Based on the above, it is noted that the inventory level of the domestic industry has increased during the injury period. However, present inventory levels do not appear to be significantly high.

Growth

65. On examination of various economic parameters of the domestic industry, it is noted that various volume parameters of the domestic industry showed positive trend, which is due to anti dumping duty in place from many sources including the subject countries in this investigation. It is further noted that the domestic industry has improved

its performance with regard to profits, cash flow and return on capital employed. However, the domestic industry has still not been able to make profits (the industry was rather faced with continued losses), return on capital employed is at low level and cash profits of the domestic industry is quite low. Thus, it is noted that even though the growth of the domestic industry has been positive with the imposition of anti dumping duties, given adverse likely volume and price effect that the imports are likely to have in event of revocation of anti dumping duties, it is evident that the growth of the domestic industry is likely to be adversely affected with the revocation of anti dumping duties from the subject countries.

Magnitude of dumping

66. It is noted that the dumping margins are more than limits prescribed and are at significant level in the case of import from USA, Iran, France and Saudi Arabia and information shows likelihood of significant dumping from Japan in case of revocation of anti dumping duties. Dumping margin determined in earlier investigation were also at significant levels. It is noted that the evidence on record shows substantial likely dumping in case of revocation of anti dumping duties.

Ability to raise capital and investment

67. It is noted that the capacity of the subject goods of the domestic industry has increased during the injury period and there was some investment during the POI but it has not impacted the cost of production of the subject goods since the capacity of the domestic industry has been normated for determination of non-injurious prices.

Factors affecting domestic prices

68. Change in cost structure if any, competition in the domestic industry have been examined for analyzing the factors other than dumped imports that might affecting the prices in the domestic market. It is noted that the landed value of imported material from subject countries is significantly below the selling price of the domestic industry causing severe price undercutting in the Indian market. It is also noted that there is no viable substitute to this product and the domestic prices compete with one another alongwith the landed value of the imported goods and the prices could be affected due to dumped prices. It is noted that dumped imports from several sources compete with one another and landed price in effect determines the movement of domestic prices . It is also found that there is a healthy demand of the product in the domestic market.

Magnitude of injury and injury margin

69. The non-injurious price determined by the Authority has been compared with the landed value of exports for determination of injury margin. The weighted average injury margins have been found to be significant.

OTHER KNOWN FACTORS AND CAUSAL LINK

70. Attention of the Authority has been drawn to Panel and Appellate body decisions on the standards of review and applicability or Article 3 (including Article 3.5) examination in a sunset review. It has been argued that in the United States - Sunset Review of Antidumping Measure on Oil Country Tubular Goods from Argentina, the

Appellate Body upheld the Panel finding that the obligation set out in Article 3 of ADA does not apply to likelihood-of-injury determination in sunset review. The Appellate Body also held that the ADA does not preclude the investigating authorities from cumulating the effects of likely dumped imports in the course of likelihood-of-injury determination and the conditions of Article 3.3 of ADA do not apply in the context of sunset review.

71. Notwithstanding the above arguments and the accepted view of the Appellate Body that injury and causal link examination under Article 3 of ADA is not a mandated requirement in a sunset review; the Authority has examined the current injury and causal link between the current injury and dumped imports from the subject country as well as likelihood-of-injury simultaneously. The Authority examined whether other listed known factors could have caused or are likely to cause injury to the domestic industry.

Volume and prices of imports from other sources

72. Imports from various countries have been as under:-

MT	2000-2001	2001-2002	2002-2003	POI
Subject countries	23012	5438	7159	15552
Countries attracting ADD	39046	29689	95928	36681
Countries Not attracting ADD	11563	3844	11598	34361
Total imports	73621	38971	114685	86594
Share in imports				
Subject countries(%)	31.26	13.95	6.24	17.96
Countries attracting ADD	53.04	76.18	83.64	42.36
Countries Not attracting anti dumping duty	15.71	9.87	10.11	39.68

MT	2000-01	2001-02	2002-03	POI - Annualized
Subject Countries	23,012	5,438	7,159	15,552
France	0	9	80	27
Japan	17,260	2,476	-	-
Saudi Arabia	612	-	6,046	14,460
USA	5,140	2	866	863
Iran	-	2,951	167	202
Other Countries – Attracting Anti Dumping Duty				
Qatar	0	17062	2713	2025
China	17	7305	202	300
Korea RP	33	0	6230	21519
Taiwan	19032	327	13248	0

Indonesia	0	4972	42372	12769
European Union – Excluding France	19964	22	30982	67193
Other major Countries – Not attracting Anti Dumping Duty				
Romania	0	0	0	6650
UAE	5132	0	0	1530
Unspecified	5217	0	135	6173

During the POI, in addition to the imports of subject goods from subject countries, imports have taken place from number of other countries also. Total import from other sources increased from 50609 MT during 2000-2001 to 71042 MT during POI. Imports from Romania and Korea DP were more than de-minimus limits during the investigation period and the Indian Producers had earlier filed an application alleging dumping by the producers in Romania, Korea DP and Brazil. On examination, the Authority did not find sufficient evidence that imports from Romania, Korea DP RP and Brazil would have caused material injury to the domestic industry. It is further noted that the weighted average import price from sources not attracting anti dumping duty is higher than the dumped price or the likely prices from the subject countries. Therefore, it is held that imports from the other sources did not appear to have had significant adverse effect on the domestic industry, both in terms of volume and value.

Contraction in demand and / or change in pattern of consumption

	2000-01	2001-02	2002-03	POI
Demand	1,635,448	1,623,806	1,792,411	1,851,494
Indexed	100.00	99.29	109.60	113.21

73. Total domestic demand of the product under consideration has increased from 1635448 MT during 2001-2002 to 1851494 MT during the POI. It is noted that the demand has consistently increased during the entire injury period. Thus, possible contraction in demand is not a factor that could have caused injury to the domestic industry.

Trade restrictive practices and competition between the foreign and domestic producers

74. The subject goods are freely importable and there are no trade restrictive practices in the domestic market. The domestic industry consists of 10 producers of the subject goods out of 37 producers of caustic soda in the Country. The Indian Producers competes among one another and at the same time compete with the landed price of the subject goods. The price of the domestic industry is influenced by the landed price of subject goods. Present situation of likely injury to the domestic industry cannot be attributed to trade restrictive practices or fair competition between foreign and domestic producers.

Developments in technology and export performance

75. The production facilities of the cooperative foreign producer and the production facility of the domestic industry were found to be of similar technology. There are three

technologies for production of the subject goods and all the three forms continue to be deployed. Even though a number of companies are upgrading their technology from mercury to membrane, it is found that this process of change is not a new phenomenon, nor the investigations revealed that the producers with latest technology have lower cost of production or non injurious price. Technology or technology related issues have not been raised by any interested party as a possible cause of injury to the domestic industry. It is noted that the domestic industry has exported small quantity of subject goods during the POI that does not substantially affect the operations of the company. The export performance of the domestic industry is thus insignificant if compared with the entire sales of the domestic industry, therefore, export turnover does not affect performance of the domestic industry and can not be the cause of injury.

Productivity of the Domestic Industry

76. Productivity of the domestic industry in terms of labour output and daily output has shown a growth during the POI compared to the base year. It is also noted that productivity has shown a growth during the entire injury period along with growth in production and sales.

77. It is noted that market share of the domestic industry first declined in 2002-03 and thereafter improved during the POI. The landed value of the subject goods during the period of investigation was below the net sales realization and the non injurious price determined for the domestic industry and was thus significantly undercutting the domestic selling prices. Should the exports undercut the prices of the domestic industry, the same is likely to have adverse volume and/or price effect and would be at dumped prices. It is also noted that should the exports be made at prices on or above normal value, the landed price of imports would be significantly higher than the current selling price of the domestic industry. Any exports to India are likely at prices close to or below the selling price of the domestic industry, which would clearly be at dumping prices. It is thus concluded that likely injury to the domestic industry in the event of withdrawal of anti dumping duty would be due to dumped imports.

Conclusions on current injury

78. After considering the evidence on record, it is noted that;

a) Performance of the domestic industry showed positive trends in terms of capacity, production, capacity utilization sales and productivity.

b) Even though profits, cash profits, return on investments showed improvements, performance on these accounts was not satisfactory and the domestic industry suffered continued financial losses.

c) Inventories with the domestic industry increased.

d) Imports were significantly undercutting the prices of the domestic industry, if anti dumping duty in force is not considered. Further, landed price of imports without anti dumping duty were significantly below the non-injurious price determined for the domestic industry.

79. After considering the foregoing and having regard to the evidence on record, the Authority concludes that even though the performance of the domestic industry improved and the domestic industry suffered material injury and situation of the domestic industry remained fragile.

LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY

80. The domestic industry has argued that the requirement under sunset review is to examine whether revocation of anti dumping duty is likely to lead to continuance or recurrence of injury to the domestic industry and therefore, any examination based on the factors listed for a threat analysis would be flawed. Therefore, all such factors brought to the notice of the Authority, have been examined, to find if there is a likelihood of continuation of injury in the event of withdrawal of the duty. The Authority has determined that the subject goods are continuing to enter the Indian market at dumped prices or are likely to be exported at dumped prices from the subject countries in the event of withdrawal of anti dumping duties. It is pertinent to examine whether injury to the domestic industry is likely to recur due to these dumped imports if the duty is removed. It has already been established that the actual landed value of imports from the subject countries without the antidumping duty were below the non-injurious price determined for the domestic industry.

81. In addition to the examination of continued injury, likelihood of continued or recurrence of injury to the domestic industry has also been examined by the Authority on the basis of information and evidence presented by various interested parties during the course of the investigations. The Authority examined the likelihood of continuation or recurrence considering the parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure II (vii) of the Rules, which states as under:

"A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances, which would create a situation in which the dumping would cause injury, must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the Designated Authority shall consider, inter alia, such factors and;

(a) a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.

(b) Sufficient freely disposable or an imminent, substantial increase in capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.

(c) Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports and,

(d) Inventories of the article being investigated."

82. None of the exporters/producers from any of the subject countries except Saudi Arabia have responded in this review investigation. The domestic industry has provided information regarding capacity, production and demand of subject goods of the exporting countries based on published information from CMAI. It is noted that factors such as the

volume of imports over the injury period, the level of import prices of subject goods from subject and non subject countries, surplus/freely disposable capacities available with the exporting countries suggest that revocation of anti dumping duty would likely result in significant increase in volume of dumped imports from subject countries. In a situation where the goods have been exported to India inspite of anti dumping duty in force, the volume of dumped imports is likely to increase further, in case the present anti dumping duties are withdrawn.

83. Producers/exporters from some of the subject countries and countries involved in ongoing parallel investigations have been supplying the subject goods in significant volumes to industrial consumers in India such as NALCO. It is noted that during the last three years, domestic industry has been able to get substantial orders for supply to NALCO, one of the major importers of the subject goods in the past, which is evident from the followings: "

Status of NALCO tenders (Volume in MT)	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
Quantity as per tender	100000	115000	120000	120000	120000
Foreign offers received	352000	262000	86000	38000	118000
Indian offer received	83000	122000	134000	127400	147000
Order placed on Foreign suppliers	100000	86000	32000	18000	0
Order placed on Indian suppliers	0	29000	88000	102000	120000

84. It is noted that Indian producers have improved their share of supply of subject goods to NALCO during the injury period after imposition of anti-dumping duty and during 2005-06 they have bagged the entire quantity of supplies. However, NALCO continues to and is likely to continue to source its requirement through international competitive bidding process. In the present situation, withdrawal of present anti-dumping duties is likely to create intense competition and the foreign producers are likely to offer dumped prices, which would result in recurrence of injury to the domestic industry. The cumulative surplus capacity available with the exporters in subject countries is higher than the entire consumption in India, and the investigations in the past have shown that the market for caustic soda is highly volatile and any significant volume of exports made to India at likely dumped prices is likely to lead to price undercutting and consequently injury to the domestic industry. No cogent reason has been provided by the interested parties why the surplus capacities in the subject countries would not be used to supply the material in the Indian market at dumped prices. Nor any cogent reason was advanced why the likely prices would be higher than the present export prices to India or third countries than normal values in the exporting countries.

85. In order to assess the likely effect of the expiry of measures in force, it is noted that there are clear indications that the subject countries have the potential to raise their production and export volumes. On the basis of dumping examination, it is likely that in absence of measures, the producer from subject countries would adopt a policy of supplying goods at dumped prices, which will further cause injury to the domestic industry, which has recovered and improvement has been shown due to the anti-dumping duty in place against dumped imports from subject countries. The possibility for lowering down the pries from the exporting producers from these countries cannot be overlooked and denied in view of dumping and likely dumping Such a price behavior of exporters

from subject countries coupled with their ability to deliver significant quantities of subject goods, would in all likelihood have a general price depressing impact on the price sensitive commodity market. The evidence, thus, shows that should the measures be revoked, there is likelihood of recurrence of injury to the domestic industry.

86. The interested parties have argued that the domestic industry has not submitted evidence regarding the likely volume of imports from subject countries in a situation of revocation of duty and the likely prices at which such imports would be made and likely impact on the domestic industry due to such imports. They have further submitted that the domestic industry has made their claim without substantiation regarding sufficient freely disposal capacity available with foreign producers and likely dumping in future. The sole responding exporter has argued that their production is fully utilized that it has neither sufficient disposable capacity for export nor any abnormal inventory of the subject goods, however, it is noted that the company did not filed any information with regard to production, sales, capacity and demand for the entire country. It is further argued that wild allegations cannot form the basis of any apprehension for future likelihood of injurious dumping.

87. The domestic industry contended that the exporters from subject countries continued to export the subject goods at dumped prices in the Indian market and producers in the subject countries are likely to resort to dumping of subject goods in the Indian market due to excess capacities in subject countries and surplus available with them. The interested parties did not provide relevant documents in support of their claim that surplus was meant for third countries and no surplus would have been available for exports to India. The domestic industry repeatedly stressed that the price difference between the domestic and imported material has been so huge that there is no reason to believe that these subject countries would not divert significant volumes of the subject goods to the Indian market in case the anti dumping duties are withdrawn, more so when freely disposable capacities exist with the foreign producers.

88. The arguments and submissions made by the interested parties were examined having regard to the information/evidence made available by these interested parties and on record of the Authority about the present and potential capacity, production, sales, imports, exports, domestic demand, the price levels in respect of domestic sales, exports to third countries and India, likely prices of imports from the subject countries. In order to determine whether the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, the Authority considered the following parameters:-

(i) Dumping margin determined in the original investigations;

(ii) Dumping margin determined in the present investigations.– for the purpose, wherever exports to India existed during the investigation period, the same were considered and dumping margin determined. Wherever there were no exports to India during the investigation period, the Authority determined dumping margin in respect of established in the original investigation and likelihood of dumping considering the normal value established.

(iii) Surplus unutilized capacities, present and potential, considering known expansions undertaken by the foreign producers, prices prevailing in India, past actual and potential volume of exports.

89. On examination of these factors it is noted that;

(a) The dumping margins are significant in case of subject countries;

(b) Export price from subject countries are significantly below the prevailing selling prices in India and non injurious price determined for the domestic industry;

(c) It has not been demonstrated by the exporters that withdrawal of anti dumping duty would not lead to likelihood of dumping and injury to the domestic industry and continued imposition of the duty was unnecessary to offset dumping.

(d) Considering the level of capacity utilization achieved by the producers in the exporting countries in the past over the injury period and the capacity utilization achieved during the investigation period, the Authority determined unutilized capacities in subject countries based on the information provided by the domestic industry from CMAI. It is noted that the unutilized capacities with the USA producers were to the extent of 1028000 MT, with the Japanese producers were to the extent of 707000 MT, with the Iranian producers were to the extent of 120000 MT, with the Saudi Arabian producers were to the extent of 9000 MT while the same were to the extent of 1886000 MT in case of West European producers. In other words, producers in these countries can readily offer material to these extents, as per information provided by CMAI.

USA unutilized capacity	1028000 MT
Saudi Arabia unutilized capacity	9000 MT
Japan unutilized capacity	707000 MT
Iran unutilized capacity	120000 MT
West European unutilized capacity	1886000 MT
Total unutilized capacity in subject countries	3750000 MT
Indian Demand	
➢ excluding captive consumption	1851494 MT
➢ including captive consumption	2108996 MT

90. As per CMAI reports, the present demand-supply situation in the world is as follows:-

Disposable capacity and potential exports to India

	USA	Japan	West Europe	Iran	Saudi Arabia
Capacity	13,147,000	4,941,000	11,605,000	332,000	803,000
Production	12,109,000	4,234,000	9,719,000	212,000	794,000
Capacity Utilization	92.10	85.69	83.75	63.86	98.88
Unutilized Capacity	1,038,000	707,000	1,886,000	120,000	9,000
Imports	600,000	5,000	340,000	15,000	-
Total Availability	12,709,000	4,239,000	10,059,000	227,000	794,000

Demand	11,010,000	3,626,000	9,616,000	125,000	142,000
Excess availability	1,699,000	613,000	443,000	102,000	652,000
Exports	1,709,000	613,000	443,000	102,000	652,000
Net excess availability	(10,000)	-	-	-	-
Net Excess Capacity	1,028,000	707,000	1,886,000	120,000	9,000

Demand	50031000 MT
Capacity	57574000 MT
Surplus	7543000 MT

As there is surplus capacity on a worldwide basis as also in the subject countries, it is noted that there is likelihood of exports from the subject countries being made in Indian market. Having regard to the evidence regarding capacity, production, sales and demand on record, it is noted that withdrawal of anti dumping duty would lead to intensified dumping and consequent injury and on this account, continued imposition of the duty is necessary to offset dumping.

91. It is noted that the exporters have not placed any convincing evidence on record that injury will not recur in event of withdrawal of measures. Having regard to the evidence regarding capacity, production, sales and demand on record, it is noted that withdrawal of anti dumping duty would likely to lead to continuance or recurrence of injury to the domestic industry. Therefore, in view of these findings the Authority proposes to conclude that the evidence on records clearly establishes that injury would recur in the event the measures are withdrawn.

Conclusion

92. On the basis of the above examination of the current level of dumping, injury, causal links and likelihood of continuation of dumping and injury the Authority concludes that

a) The subject goods are continuing to enter the Indian market from subject countries at dumped prices;

b) The domestic industry is suffering material injury and likely to recur injury due to the dumped imports;

c) Dumping of the subject goods from subject countries and injury to the domestic industry is likely to continue if the duties are withdrawn.

H. FINAL FINDINGS:

93. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority through the submission of interested parties or otherwise as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the state of current and likely dumping and injury and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that:

i) the subject goods are entering the Indian market at dumped prices and dumping margins from subject countries are substantial and above de-minimis. The subject goods are likely to enter Indian market at dumped prices, should the present measures be withdrawn. Thus, it has not been established that the continued imposition of the duty to offset dumping is unnecessary,

ii) even though the domestic industry has improved its performance over the injury period, the situation of domestic industry continues to be fragile. Further, should the present anti dumping duties be withdrawn, injury to the domestic industry is likely to continue or recur.

94. Having concluded that the situation of the domestic industry continue to be fragile and there is likelihood of continuation or resumption of dumping and injury on account of imports from subject countries if the duties are revoked, the Authority is of the opinion that continuation of the measure is necessary against import from these countries. However, in view of the current level of dumping from subject countries and injury suffered by the domestic industry the anti dumping duty in force needs to be revised. Therefore, the Authority considered it necessary and recommends continuation of anti dumping duty on imports of subject goods from subject countries.

95. The Authority considers it necessary to continue with an anti dumping duty on all imports of Caustic soda from subject countries in order to remove the injury to the domestic industry. The Authority recommend the amount of anti dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining injury, the landed value of imports has been compared with the weighted average non-injurious price of the domestic industry determined for the period of investigation.

96. Accordingly, the Authority recommends that definitive anti dumping duties as set out below be imposed by the Central Government on all imports of Caustic soda falling under customs heading 2815.11 & 2815.12 originating in or exported from subject countries. The anti-dumping duty shall be the difference between the amount mentioned in column no.9 of the following table and the landed value of imports per MT on all imports of subject goods falling under chapter 28 of the Customs Tariff, originating or exported from the subject territory/countries mentioned below:-

Sl. No	Sub-heading	Description of goods	Specification	Country of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount (US$)	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	2815.11 & 2815.12	Caustic Soda	Any grade	Saudi Arabia	Saudi Arabia	SADAF	SABIC	258.97	DMT	USD
	2815.11 & 2815.12	Caustic Soda	Any grade	Saudi Arabia	Saudi Arabia	SADAF	STME&AMGULF	243.90	DMT	USD
	2815.11 & 2815.12	Caustic Soda	Any grade	Saudi Arabia	Saudi Arabia	SADAF	STME&TRICON	250.41	DMT	USD
	2815.11 & 2815.12	Caustic Soda	Any grade	Saudi Arabia	Saudi Arabia	Any Producer	Any Exporter	258.97	DMT	USD
	2815.11 & 2815.12	Caustic Soda	Any grade	Any country other than Iran, USA, Japan and	Saudi Arabia	Any Producer	Any Exporter	258.97	DMT	USD

				France						
	2815.11 & 2815.12	Caustic Soda	Any grade	Saudi Arabia	Any country other than Iran, USA, Japan and France	Any Producer	Any Exporter	258.97	DMT	USD
2	2815.11 & 2815.12	Caustic Soda	Any grade	Iran	Iran	Any Producer	Any Exporter	274.48	DMT	USD
	2815.11 & 2815.12	Caustic Soda	Any grade	Any country other than Saudi Arabia, USA, Japan and France	Iran	Any Producer	Any Exporter	274.48	DMT	USD
	2815.11 & 2815.12	Caustic Soda	Any grade	Iran	Any country other than Saudi Arabia, USA, Japan and France	Any Producer	Any Exporter	274.48	DMT	USD
	2815.11 & 2815.12	Caustic Soda	Any grade	Japan	Japan	Any Producer	Any Exporter	282.64	DMT	USD
3	2815.11 & 2815.12	Caustic Soda	Any grade	Any country other than Saudi Arabia, USA, Iran and France	Japan	Any Producer	Any Exporter	282.64	DMT	USD
	2815.11 & 2815.12	Caustic Soda	Any grade	Japan	Any country other than Saudi Arabia, USA, Iran and France	Any Producer	Any Exporter	282.64	DMT	USD
4	2815.11 & 2815.12	Caustic Soda	Any grade	France	France	Any Producer	Any Exporter	296.94	DMT	USD
5	2815.11 & 2815.12	Caustic Soda	Any grade	Any country other than Saudi Arabia, USA, Iran and Japan	France	Any Producer	Any Exporter	296.94	DMT	USD
6	2815.11 & 2815.12	Caustic Soda	Any grade	France	Any country other than Saudi Arabia, USA, Iran and Japan	Any Producer	Any Exporter	296.94	DMT	USD
7	2815.11 & 2815.12	Caustic Soda	Any grade	USA	USA	Any Producer	Any Exporter	296.94	DMT	USD
8	2815.11 & 2815.12	Caustic Soda	Any grade	Any country other than Saudi Arabia, France, Iran and Japan	USA	Any Producer	Any Exporter	296.94	DMT	USD
9	2815.11 & 2815.12	Caustic Soda	Any grade	USA	Any country other than Saudi Arabia, France, Iran and Japan	Any Producer	Any Exporter	296.94	DMT	USD

97. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

98. The Authority may review the need for continuation, modification or termination of the definitive measure as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act and public notices issued in this respect from time to time. No request for such a review shall normally be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party within the time stipulated for this purpose.

99. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 (as amended).

CHRISTY FERNANDEZ, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.